राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १६५६ का ७३वां दिवस [संख्या ४३

बुधवार, २६ अप्रेल, १६५६

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

पंचायत कोष का दुरुपयोग।

१२६२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state :—

1. Is it correct that public have lodged complaints with Panchayat Department that the Ex-sarpanch of Rani Khurd Panchayat has irregularly spent and also misappropriated thousands of rupees of the Panchayt?

2. Is it correct that he has sold of "ghairabadi land" to his friends and relatives at a throw away price?

3. Is it correct that the District Panchayat Inspector enquired into the affairs of the Panchayat? If so, what were his findings?

उप-मंत्री, स्वायत शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। कुछ शिकायतें आई हैं।

(२) जी नहीं। सरपंच रानी खुर्द के रहने वाले नहीं थे। अलबत्ता जो जमीन बेची गई है वह कम कीमत में अनियमित रूप से मनमाने तरीके से दी जाने की रिपोर्ट मिली है।

(३) जांच में आबादी भूमि अनियमित, अवैध तथा सस्ती दर से बेचना पाया एवं पंचायत कोष का अनियमित रूप से व्यय करना पाया गया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह जो शिकायत आई थी उसमें एम्बेज़लमेंट की शिकायत भी थी?

श्री दौलतराम सारण : एम्बेज़लमेंट की शिकायत नहीं थी। जो मैंने उत्तर दिया है उस तरह की शिकायतें थी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : शिकायत करने वाले कौन कौन थे?

Page No.2

श्री दौलतराम सारण : यह इस समय नहीं बतला सकता, लेकिन वहीं के लोग थे।

श्री तेजाराम गहलोत : शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न पढ़ा नहीं। शिकायतें आई थीं उसकी जांच करके इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दे दी है, और उस रिपोर्ट में जो बातें बतलाई गई हैं उनके ऊपर ऑडिट वालों को लिखा गया। उन्होंने पहले ही ऑडिट वहां का कर लिया था। उसमें जो अनियमितताएं बताई गई थीं उनके बारे में ज़िला स्तर के पंचायत अधिकारी पाली को फिर लिखा गया। उसका अभी तक उत्तर नहीं आया है कि कौन कौन आदमी इसमें खास तौर से जिम्मेदार है।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार के विभाग की ओर से जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सरपंच ने कुछ जमीन में अनियमितताएं की है, वाजिब कीमत नहीं लेकर कम कीमत पर बेचा है तो फिर उसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : यही तो देखना है कि बेचने की जिम्मेदारी केवल सरपंच पर ही है, सब पंचों पर हैं ? अगर यह अनियमितता सरपंच ने की है तो सरपंच के खिलाफ़ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सरकार ने इसीलिए जिलास्तर के पंचायत अधिकारी को लिखा है कि किस तरह की गड़बड़ हुई है ? यह जानकारी देने के लिए सरकार ने लिखा है।

श्री पी० के० चौधरी : आपके इन्सपेक्टर ने एन्क्वायरी की है उसकी फाइन्डिंग्स क्या हैं ? उसमें किस की जिम्मेवारी बतलाई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी है उसमें यह नहीं बताया है कि जिम्मेदारी किस की है इसीलिए दुबारा लिखा है कि किस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ? पंचायत की या केवल सरपंच की ?

श्री पी० के० चौधरी : कब लिखा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको बतलाया कि १४–१०–५८ को लोकल ऑडिट फण्ड वालों को लिखा था और अब लेटेस्ट २७–४–५६ को जिला पंचायत अधिकारी को लिखा है।

श्री पी० के० चौधरी : १४–१०–५८ के बाद कोई जवाब नहीं आया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने अपने उत्तर में बतलाया था। आपने सुना नहीं होगा। लोकल ऑडिट फण्ड वालों को जब हमने लिखा तो उससे पहले वे जांच कर चुके थे और जांच की रिपोर्ट भेज दी गई थी। वह जांच रिपोर्ट मिलने पर जिला स्तर के पंचायत अधिकारी को लिखा है कि जो शिकायतें आई हैं उनमें खास तौर से कौन जिम्मेदार है ? यह जानकारी दी जाय। उसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ता० २७-४-५६ को लिखा गया है।

श्री पी० के० चौधरी : जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

श्री दौलतराम सारण : इन्स्पेक्टर ने रिपोर्ट १४–३–५८ को अपने जिले के पंचायत ऑफिसर को की और पंचायत ऑफिसर से ३०–३–५८ को सी. पी. ओ. को मिली थी।

श्री पी. के. चौधरी : ऑडिट से जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

श्री दौलतराम सारण : ऑडिट रिपोर्ट १४–१०–५८ को।

श्री पी० के० चौधरी : उसके बाद एन्क्वायरी के लिए अप्रेल ५६ में लिखा गया है तो ८ महीने आपने Why did you take six months to write to the S.D.O. for enquiry ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने बतलाया तब शायद उत्तर आपने ठीक तरह से नहीं सुना। मैंने बतलाया था कि १४–१०–५८ को लिखा था जांच के लिए ऑडिट को उससे पहले वे जांच करा चुके थे। इसलिए न की ऑडिट रिपोर्ट आने पर जिला स्तर के पंचायत अधिकारी को उन्होंने जो अनियमितताएं बतलाई थीं उनके बारे में फिर लिखा गया कि कौन उसके लिए खास तौर से जिम्मेदार है ?

श्री पी० के० चौधरी : यह आडिट रिपोर्ट कब आई है ? When did you receive the audit report ? यह पूछ रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : उसकी डेट मुझे अभी ठीक याद नहीं है लेकिन १४-१०-५८ को लिखा था उसके बीच में ऑडिट वालों ने जांच की थी तो वह इसके आस पास इधर उधर रिपोर्ट आई होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह भूमि किस की है और किस को विक्रय की गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री दौलतराम सारण : जिन्होंने ली होगी उनको विक्रय की होगी।

श्री फतेहसिंह टाटनवा (लोसल) के यहां चोरी में गया हुआ माल बरामद होने के बावजूद माल न लौटाया जाना

१२६३. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर–श्री शिवचरणदास द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री फतेहचंद, टांटनवा वाला साकिन लोसल के यहां लगभग ५ माह पूर्व एक चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट थाना सिंहरावट में की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस चोरी का कुछ माल बरामद हुआ है तथा चोर भी गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कितनी कीमत का माल बरामद हुआ है ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री हिम्मतसिंह थानेदार, थाना संहरावट ने मुल मुलज़िमान से कुछ माल बरामद करके माल मालखाने में जमा नहीं कराया और खुद ने ही खुर्द बुर्द कर दिया ?

(घ) क्या यह सही है कि मुस्तगीस को थानेदार इस माल को देने के लिये टहलाता रहा है अन्त में माल देने से इन्कार हो गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि मुस्तगीस ने इस मामले की शिकायत एस. पी. को की

(श्री शिवचरणदास)

है ? यदि हां, तो इस संबंध में तथा इस मुकद्में के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) २१५१) रु० की कीमत का माल बरामद किया गया तथा चार अपराधी पकड़े गये। पांचवा फ़रार है।

(ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(घ) यह सत्य नहीं है। बरामदशुदा माल अदालत के पास में है और यह अदालत की आज्ञा से ही मुस्तगीस को मिल सकता है।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत एस. पी. सीकर के पास नहीं आई और इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। मुकद्में का चालान हो चुका है और ज़ेर तज़वीज़ अदालत है।

श्री शिवचरणदास : आपने (ख) के जवाब में क्या फरमाया ? उसे वापिस सुना दें, सुना नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : (ख) का उत्तर वापिस दें।

श्री शिवचरणदास : (ख) का क्या जवाब दिया आपने ?

श्री रामकिशोर व्यास : (ख) २१५१) की कीमत का माल बरामद किया गया तथा चार अपराधी पकड़े गये। पांचवा फरार है।

प्रश्न संख्या १२६४

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दोसा से गंगापुर तक बिजली की व्यवस्था

१२६५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा से गंगापुर तक बिजली के खम्भों को लगाये कितना समय हो गया ?

(२) क्या सरकार की मन्शा बिजली न लगाने की थी तो खम्भे गाड़कर जनता के लाखों रुपयों का दुरुपयोग क्यों किया गया ?

(३) क्या इन खम्भों का एक मात्र उद्देश्य एक भूतपूर्व मंत्री को बिजली देना था ?

(४) अब सरकार कब तक बिजली दे रही है ?

उप-मन्त्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) लगभग २ साल।

(२) ऐसी कोई मन्शा नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) १६६० एवं ६१ तक।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : खम्भे दो साल पहले लगा दिये। अगर बिजली देर से देनी थी तो खम्भे पहले क्यों लगा दिये गये ?

Page No.5

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सामान नहीं मिलने के कारण लाइनों वगैरह का काम नहीं किया जा सकता है। पहले बिजली का पूरा काम करने की मन्शा थी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अब सरकार जल्दी देने का प्रबन्ध कर रही है क्या ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

बांदीकुई, जयपुर बस रूट

१२६६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge, Transport be pleased to state :—

1. Is it correct that there are 16 operators holding non-temporary permits plying buses on Bndikui-Jaipur route ?

2. Is it correct that sometime in December, 1958 the Regional Transport Authority, Jaipur invited applications for issuing additional permits on this route ? If so, why no fresh permits were issued when applications were received ?

3. Did the Regional Transport Authority ascertain the traffic potentiality of the route and adequacy or otherwise of the existing passenger transport services before inviting fresh applications from operators ? If so, what are its findings ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

1. Yes.

2. No.

3. Question does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that such a notification was issued and published in the Gazette inviting applications.

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं कर दिया (२) में।

श्री पी. के. चौधरी : १६५८ के किसी महीने में पब्लिसिटी नहीं हुई नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी १६५६ में पब्लिसिटी हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने १६५६ का पूछा था...

श्री पी. के. चौधरी : १६५८ का पूछा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : १६५८ का पूछा था उसके लिए जवाब दिया कि अभी तक कोई नहीं हुआ।

प्रश्न संख्या १२६८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

सहकारी विभाग के निरीक्षकों व सहाक निरीक्षकों का फिक्सेशन

१२६६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सहकारी विभाग के कितने निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों का यूनीफाइड पे स्केल

Page No.6

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में व रेशनेलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन हो चुका है ?

(ख) कितने ऐसे निरीक्षक व सहायक निरीक्षक हैं जिनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है?

(ग) क्या यह सही है जिनका फिक्सेशन हो चुका है उनके एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां; तो क्यों ?

(घ) क्या यह सत्य है कि निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों को जो प्रमोशन दिये गये हैं वे सीनियोरिटी से नहीं दिये हैं ? यदि नहीं तो उनकी सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) इसका उत्तर परिशिष्ट के कालम नम्बर १ में दे दिया गया है ।

(ख) इसका उत्तर सूची (परिशिष्ट) के कालम नं० २ में दे दिया गया ।

(ग) नहीं जैसा कि सूची (परिशिष्ट) के कालम नंबर ३ से स्पष्ट है ।

(घ) प्रमोशन सीनियोरिटी से ही दिये गये है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : एरियर्स का भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ? इसमें देरी होने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : जैसा कि आपने इसमें पूछा है कि एरियर्स की भुगतान अभी तक नहीं हुई है प्रश्न के भाग (ग) में तो उसका उत्तर दिया गया है, "जी नहीं । जैसा कि सूची के कालम नम्बर ३ से स्पष्ट है ।"

प्रश्न संख्या १२७०

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दलपतसिंह ।

आबू रोड तहसील में गेहूं के खराब बीज का वितरण ।

१२७१. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि आबू रोड तहसील में गेहूँ बोने के लिये राज्य की ओरसे पिछले साल जो बीज वितरण किया गया था उसमें से ४० प्रतिशत उगे ही नहीं ?

(ख) यदि हां तो सरकार उन काश्तकारों को इस नुकसान का क्या मुआवजा देगी ?

उप-मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : ऐसी कोई शिकायत इस विभाग में नहीं है और न ऐसा फिल्ड स्टाफ के देखने में आया बताया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दलपतसिंह : यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है । मैं खुद देखकर आया हूं । वहां पर ६० पर्सेन्ट बीज उगा नहीं है । इस तरह

(श्री दलपतसिंह)

के उत्तर हो जायं तो Nothing to ask for a supplementary question then...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का जैसा कि विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है वह मैंने निवेदन किया है। आपको विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो लिखकर दें, इसमें उसकी एन्क्वायरी करवाली जायगी और एन्क्वायरी होने के अन्दर अगर साबित हुआ तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री दलपतसिंह : प्रश्न पूछा है उसके बाद में अगर कोई बात है तो एन्क्वायरी करने की मिनिस्टर महोदय की रेस्पोन्सिबिलिटी हो जाती है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे प्रश्न के उत्तर में जो कुछ विभाग से मिला वह मैंने निवेदन किया है।

श्री दलपतसिंह : मेरी समझ में नहीं आता है कि डिपार्टमेंट को लोकल ऑफिसर्स इतना गलत रिपलाई मिनिस्टर महोदय को क्यों देते हैं अगर वे देते हैं तो यह हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मन्त्री) : आप जो यह कह रहे हैं कि ४० पर्सेन्ट बीज उगा और ६० पर्सेन्ट बेकार गया यह जो आप कह रहे हैं, सिरोही के अन्दर यह बात गलत है यह यों गलत है कि आप जो यह कह रहे हैं कि सिरोही के लिये जो बीज मिला वह कम क्वालिटी का मिला इस कारण आप यह समझते हैं जो बीज बोया गया वह उगा नहीं यह बात नहीं है। सिरोही में जो बीज भेजा गया वह इस प्रकार का था। ३२० मन तो वहां के किसानों से वसूल किया गया और उसको वहीं पर वापिस दे दिया। ४७५ मन पाली से खरीदा था वह वहां की लोकल क्वालिटी का था। इसके अलावा ८०० मन पंजाब से भेजा गया उसमें से ७० से ९५ पर्सेन्ट उगा है। प्योरिटी के हिसाब से देखा जाय तो इसकी प्योरिटी ७० से ९५ पर्सेन्ट तक थी। इसमें से ४० पर्सेन्ट ही उगा हो ऐसी बात नहीं। आप जो यह कहते हैं ६० पर्सेन्ट उगा नहीं यह सही नहीं जंचता।

श्री दलपतसिंह : ४० पर्सेन्ट भी बीज उगा नहीं आप प्रेक्टिकल चलकर देख सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरोही का कोई काश्तकार आया नहीं और न किसी ने यह शिकायत ही की है कि आपने बीज ठीक दिया नहीं। इस कारण उगा नहीं।

श्री दलपतसिंह : क्या यह सही है वहां के विकास अधिकारी बी०डी० ओ० और कलेक्टर महोदय तक ने यह कहा है कि जो बीज वहां दिया गया वह उगा नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय यह बात हुई थी, बी०डी०ओ० साहब भी बैठे थे। उन्होंने यह कहा कि रबी अभियान के रिजल्टस अच्छे आये हैं। १२५ आदमियों ने जिन्होंने प्रोडक्शन किया उसके फिगर्स भी बताये। उनकी कम्पीटिशन के अन्दर एन्ट्रीज़ आयी। उन्होंने आपके सिरोही के फार्म की काफी तारीफ भी की।

श्री दलपतसिंह : रबी अभियान में सफलता प्राप्त की है उसके लिये धन्यवाद

(श्री दलपतसिंह)

लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ आप उसके प्रेक्टिकली परिणाम जाकर देखें कि काश्तकारों की वास्तव में क्या हालत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : काश्तकार तो एक भी नहीं आया। सिरोही वाले काश्तकारों को मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं। यदि वास्तव में बीज खराब होता तो वे आकार कहते कि बीज खराब था इसलिये नुकसान हुआ। इस तरह कहने वाला एक भी किसान नहीं आया।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : इस वास्ते नहीं आया कि आपके पास आने से कोई फायदा नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आपका खयाल है।

श्री दलपतसिंह : काश्तकारों ने मुझ से कहा और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेकिन कृषि विभाग के जो अधिकारी वहां पर हैं उनके पास तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री दलपतसिंह : इस तरह की शिकायत काश्तकारों की आबूरोड तहसील के अन्दर गिरवर गांव के अन्दर हुई उसके बाद इन्क्वायरी हुई और उस इन्क्वायरी से यह पता चला कि वहां चालीस पर्सेन्ट बीज उगा नहीं खराब बीज था इसलिये वह आबूरोड के महाजनों को बेच दिया गया। This is clear proof that the Bij was bad.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मिनिस्टर साहब बी०डी०ओ० साहब से न कहकर बी०डी०ओ० ही कह दे तो काफी होगा।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि पंजाब से जो बीज प्रोक्योर किया गया था वह सीड पर्पज़ के लिये नहीं था फ्रोजन गेहूं था उसमें केवल ४० पर्सेन्ट ही फरटे-लिटी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंजाब से जो गेहूं प्रोक्योर किया था उसमें से कुछ की प्योरिटी अच्छी थी और कुछ बीज की कम प्योरिटी थी ६० से ६० पर्सेन्ट तक थी। यह मैं आपको पहले भी कई दफा का बता चुका हूं।

श्री दलपतसिंह : वहां पर इस बीज के कारण काश्तकारों को नुकसान हुआ। क्या सरकार उनको किसी प्रकार का रिलीफ देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास किसी किसान की इस प्रकार की शिकायत नहीं है।

श्री दलपतसिंह : कॉन्फीडेन्सियली शिकायत न आयी हो, मैं आपके सामने प्रेक्टि-कली शिकायत कर रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर इक्वायरी कराकर जो कुछ भी कम्पेन्सेट कर सकें करना चाहिये।

उप-मन्त्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : लिखकर शिकायत दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : क्या माननीय

Page No.9

(श्री चन्दमल वैद)

मन्त्री महोदय के सुधरे हुए बीज से दुगुनी पैदावार होती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

आर०ए०सी० के सिपाहियों को सुविधायें

१२७२. डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या गृह मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पाकिस्तान की सीमा पर जो आर० ए० सी० की नियुक्ति की जाती है उसके सिपाहियों को क्या क्या सुविधा दी जातीहै ?

(२) वह कितने दिनों बाद अपने ग्राम छुट्टी पर जाते हैं ? क्या सिपाहियों की अपनी गृहस्थी साथ रखने की व्यवस्था है ?

(३) जैसलमेर क्षेत्र से कितने समय बाद सिपासियों को राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थानान्तर किया जाता है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि आर०ए० सी० के सिपाही भोजन की अव्यवस्था तथा स्वच्छ खाद्यान्न न मिलने से रोगी रहते हैं ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सुधार के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : गढ़वाल और नैपाल के निवासियों को सिवाय पांच दिन सफर के जब कि केज्युअल अवकाश पर जाते हैं के अतिरिक्त और कोई विशेष कन्सेशन या सुविधा नहीं दी जाती है ।

(२) उनको अवकाश राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार स्वीकार किया जाता है । यह रूल्स यह नहीं बतलाते हैं कि अवकाश कितने दिनों बाद स्वीकार किया जाय । साधारणतया हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार अवकाश मिलता है । कुछ चुने हुए स्थानों के अलावा उनके साथ परिवार रहने की स्वीकृति नहीं दी जाती है क्योंकि उनकी नौकरी इसी प्रकार की है ।

(३) जैसलमेर से लगी हुई आर०ए० सी० बटालियन साधारणतया हर दो वर्ष के बाद बदली जाती है ।

(४) वे दूसरे सब मनुष्यों की भांति बीमार अवश्य पड़ते हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बुरा खाना या उनके भोजन की अव्यवस्था के कारण ऐसे होता । इस सिलसिले में व्यवस्था पहले से ही है और इसलिये इसमें सुधार करने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो बीमार पड़ते हैं वे किस कारण से पड़ते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास: बीमार पड़ने के सैकड़ों कारण हैं, एक कारण हो तो बताया जा सकता है ।

डॉ० **बहादुरसिंह** : प्रमुख शिकायत यह है कि खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीहै ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा

१२७३. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) :

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने ऐसे कोई रूल्स बनाये हैं जिनके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के घर पर चिकित्सक के जाने पर चिकित्सक की आर्थी व चिकित्सक द्वारा लिख कर देने पर औषधियों की कीमत भी कर्मचारी को सरकार द्वारा प्राप्त हो जाती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सुविधायें जनता के निर्धन वर्ग को भी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां।

(ख) आम जनता को यह सुविधा नहीं दी जाती क्योंकि सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई रूल्स नहीं बनाये गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सुविधा सभी प्रकार के वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : वैसी हालत में जनता में भी ऐसे वर्ग हैं जिनकी हालत इन सरकारी कर्मचारियों से भी बहुत खराब है। उनको मुफ्त में दवाई क्यों नहीं दी जाती ?.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जहां तक सरकारी होस्पीटल्स का सवाल है वहां जितनी भी दवा अवेलेबल होती है सभी को फ्री दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : हम यह चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में, दवाइयों के मामले में जिस प्रकार की सुविधा सरकारी नौकरों को दी जाती है उसी प्रकार की सुविधा जनता का जो निर्धन वर्ग है उसको क्यों नहीं दी जाती ? क्या यही समाजवाद का नमूना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिक्षा पर फीस हो सकती है किन्तु जहां तक मेडिसिन का सवाल है वह तो फ्री दी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सरकारी कर्मचारी जो बाहर से औषधि खरीदते हैं उसका पेमेंट सरकार द्वारा किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खास तौर से जो ऐसी औषधियां हो जो होस्पीटल्स में अवेलेबल न हों, डॉक्टर के सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर वह बाज़ार से खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट सरकार द्वारा किया जाता है ?

डॉ० बहादुरसिंह : यह सुविधा आयुर्वेदिक औषधियों के लिये क्यों नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक यह सुविधा आयुर्वेदिक औषधियों के लिये नहीं है फिर भी सरकारी नौकर इसकी मांग करेंगे तो हम यह करने के लिये तैयार हैं। कर देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : हॉस्पीटल्स में सभी प्रकार की दवाइयां जनता को फ्री मिलती हैं, यह मिथ्या है अध्यक्ष महोदय !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो औषधियां सरकारी डिस्पेन्सरीज में अवेलेबल होती हैं वे फ्री दी जाती हैं। खास खास मेडिसिन्स जो अवेलेबल नहीं होती, नहीं दी जाती।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार इस बात की जांच करायगी कि १०० फीसदी में से ८० फीसदी महत्वपूर्ण औषधियां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और बीस पर्सेन्ट दवाइयां जो चलती नहीं हैं वे हॉस्पीटल्स में मिलती हैं। क्या सरकार इस बात की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार है जिसमें पांच सात एम० एल० एज० हों। हॉस्पीटल्स में दवाइयां फ्री मिलती हैं, यह मिथ्या है। उनको जरूर मिलती है जिन डॉक्टरों के रोगी होते हैं और उनके अलावा लोगों के लिए दवाइयां लिख दी जाती हैं, उसके साथ साथ उस दुकान का नाम भी लिख देते हैं जहां से दवाई लेनी हो। उसमें होता क्या है कि उनका कमिशन तय रहता है। यही कारण है कि आप जगह जगह पर मेडिकल हाल देख रहे हैं। यह राजस्थान व्यापी क्वेश्चन है जिसकी आपको इन्क्वायरी करानी चाहिये It is so important. This is an important fact.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे अफसोस है माननीय सदस्य रिमार्क कस देते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता इस तरह की बातें कहने की उनकी आदत है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Minister has put asper-rtions on the Hon'ble member and he should be asked to withdraw these words.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहना गलत है। दवाइयां जो भी अवेलेबल होती हैं, वह फ्री दी जाती हैं।

श्री पी. के. चौधरी : He should first be asked to withdraw the words.

श्री अध्यक्ष : Why do you fee provoked ?

श्री जनार्दनराय नागर : मिनिस्टर साहब को तो ऐसी बातें कहने की आदत है। इम्पोर्टेन्ट मेडिसिन्स हॉस्पीटल्स से सप्लाई नहीं होती। मेडिकल हाल से खरीदनी पड़ती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं फिर दुबारा रिपीट करता हूं कि हमने अस्पतालों में जो खास खास दवाइयां हम देते हैं वे प्रेसक्राइब कर रखी हैं और फ्री मिलती हैं।

अब आप कहते हैं नहीं मिलती और हम लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां भेजते हैं और हर साल भेजते हैं, मांग बराबर आती रहती है तो आखिर अगर वे काम में नहीं आती तो जाती कहां है। अब आप कहते हैं इम्पोर्टेन्ट नहीं है। इम्पोर्टेन्ट की डेफीनेशन क्या है ? पांच रुपये की दवाई भी इसमें आ सकती है। दो आना की भी आ सकती है। दस बीस रुपए की भी आ सकती है। आम सुविधा के लिए जो दवाइयां होती हैं हम तो उनको ही इम्पोर्टेन्ट मानते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या आप कृपा करेंगे बताने की कि एक्वा-पैरीन के सिवाय कौन कौन सी दवाइयां फ्री मिलती हैं ?

श्री अध्यक्ष : टिचर आईडीन मिलती है ?

(हंसी)

Page No.12

श्री जनार्दनराय नागर : प्रोकलिन पेनसिलिन का इन्जेक्शन सप्लाई नहीं करती सरकार फ्री। इसमें फिर बहस की क्या बात है। आपको इतना भारी लोगों के लिए अफसोस है तो आप. इन्क्वायरी क्यों नहीं करा लेते। क्या हालत है, कितने स्लिप डॉक्टर बाहर से खरीदने के लिए इश्यू करते हैं सब मालूम हो जावेगा। इसमें बात क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप खाना खाने के बजाय दवाई खावेंगे तो इसका इलाज क्या है ?

श्री जनार्दनराय नागर : हम तो डॉक्टरों को भी खाने को तैयार हैं, दवाई की आप क्या बात करते हैं। आप एन्क्वायरी करा कर देख लीजिये। मेरा चैलेन्ज है कि इसमें बड़ी भारी गड़बड़ी है। सरकार में अगर हिम्मत हो तो इस चैलेन्ज को उठा कर देख लें।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : बजट भी आप बनाते हैं, पर वस्तुस्थिति यह है कि अस्पताल में वे दवाइयां फ्री मिलती नहीं हैं। इसके लिए विजिटर्स कमेटी जैसी पहले बनाई गई थीं, बनाई जानी जरूरी है। इसके लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकाला जाना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विजिटर्स कमेटियां ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर दवाइयों की नहीं मिलने की शिकायत है, काम में नहीं आती हैं तो फिर जाती कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष : वे यह नहीं कह रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : थोड़ी दवाइयां दी जाती हैं, मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं कुछ कहता हूं तो माननीय मन्त्री महोदय नाराज हो जाते हैं छोटी बात पर। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि वे एन्क्वायरी कराने को तैयार हैं या नहीं। मेरा तो कहना है कि बड़ा घोटाला इसमें है, और बहुत बड़े तथ्य एन्क्वायरी में सामने आयेंगे। आप कहते हैं दवाइयां आप भेजते हैं, सही है, मैं इसको मान लेता हूं परन्तु कौन देता है जनता को वे। वे वाकई जनता को मिलती हैं या नहीं इसकी जांच करना सरकार का फर्ज़ है। यह कोई अहसान और मेहरबानी का प्रश्न नहीं है किसी पर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा कॉस्टली दवाइयां नहीं दे सकते मुफ्त में।

श्री जनार्दनराय नागर : आप ज्यादा कॉस्टली की बात करते हैं, सस्ती से सस्ती और बहुत अधिक काम में आने वाली प्रोकलिन पैनिसिलिन तक नहीं मिलती। वह तक रोगियों को बाजार से लाना पड़ता है। कोडा पायरिन की गोली नहीं मिलती। विटामिन बी कम्प्लेक्स का इन्जेक्शन नहीं लगा सकते। फिर कौन सी दवाई देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : Vitamin B Complex that is a tonic, not a medicine.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि डॉक्टर लोग बोगस रोगियों के नाम से इनको इश्यू कराते हैं और फिर वे दवाइयां औषधि विक्रेताओं के पास फिर पहुंच जाती हैं। अस्पताल में वास्तव में जो मरीज हैं और जिन को ये दवाइयां मिलनी चाहिये, उनको नहीं मिल पाती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कतई सही नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

रानीवाड़ा डीसा सड़क के अन्तर्गत आने वाली जमीन का मुआवजा

१८७४. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा) : क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) रानीवाड़ा डीसा सड़क के अन्तर्गत आने वाली जमीन का मुआवजा अभी तक मालिकान जमीन को क्यों नहीं दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि मालिकान जमीन से भूमि अवाप्त की जाने के बाद का लगान भी लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे वापिस लौटाने की व्यवस्था करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) एक्वीजीशन की कार्यवाही चालू है।

(ख) इस विभाग की जानकारी नहीं है ।

श्री मंगलसिंह : क्या सरकार यह नीति अपनाने पर विचार कर रही है कि पहले जमीन का मुआवजा काश्तकार को दिया जावे और फिर सड़क बनाई जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा किया जावेगा तो आप ही नाराज होंगे। सड़क चार वर्ष में भी नहीं बन पावेगी ।

श्री मंगलसिंह : हम तो बहुत खुश होंगे कि पहले जिस काश्तकार से जमीन छुड़ाई जाती है उसका प्रबन्ध कर दिया जावे पहले। फिर आप अपनी स्कीम चालू करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सिद्धान्त रहा तो फिर सड़क बनाने में देर होगी,एक्वीजीशन की कार्यवाही में दो साल लग जावेंगे । लोग राजी खुशी से जमीन देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां से सड़क निकालो, वे जानते हैं सड़क का फायदा । तो हम जमीन ले लेते हैं, सड़क का काम भी चालू कर देते हैं और साथ साथ एक्वीजीशन का काम चालू कर देते हैं । अब थोड़ी देरी इसलिए भी लग जाती है कि स्टाफ कम है, और काफ़ी जल्दी भी काम को करने की कोशिश करते हैं । पर फिर भी समय लगता है ।

श्री अध्यक्ष : यह सड़क कब बनी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो बन ही रही है ।

श्री अध्यक्ष : शुरू कब हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डेढ़ साल हुआ है। काफ़ी लम्बी है ।

श्री मंगलसिंह : डेढ़ साल हो जाने के बाद भी आज तक काश्तकार को मुआवजा नहीं मिला, जमीन उससे ली, उसके बदले में उसको जमीन नहीं मिली इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लैन्ड की जगह लैंड नहीं मिलती है, पैसा मिलता है।

श्री मंगलसिंह : फिर भी आप उनको देते नहीं आज डेढ़ साल हो गया, उनको लिटिगेशन में जाना पड़े और आप उनको कुछ नहीं दो यह कहां की बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; लिटीगेशन में

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं जाना पड़ता। ज़मीन को नाप कर कम्पेन्सेशन मिल जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसा कौनसा प्रावधान है कानून में जिसके मातहत आप बिना एक्वायर किये ही और बिना मुआवजा दिये ही कब्जा ले लेते हैं पहले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रावधान नही है, सड़क निकालना ज़रूरी है इसलिए सड़क वहीं निकालेंगे जहां जमीन होगी, कोई आसमान में तो निकालेंगे नहीं। इसलिए सड़क जमीन जहां पर होगी वहीं निकलेगी। अब उनको पैसा दे देंगे ज़मीन अगर लेते हैं तो। जल्दी करने के लिए जल्दी ले लेते हैं। वे ऐतराज करते नहीं। वे इतने भले हैं, आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं समझते, वे भले आदमी होंगे। वे तो उल्टे खुश होते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सरकार क्या यह उचित नहीं समझती कि जहां सड़क उसको निकालना हो, उस जगह किन किन लोगों की कितनी कितनी ज़मीन आवेगी उसको स्कीम के साथ साथ सोच लिया जावे और फिर पैसा देकर एक्वायर कर लिया जावे पहले, और फिर वहां का काम शुरु करें। यह क़ानून सम्मत है। उन लोगों के चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है। उसूल का सवाल है,न्याय का सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एलाइन्मेंट आप जैसे बीच में करने वाले बहुत आते हैं। पर वे जानते हैं सड़क निकलने से उनको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, कितना कम्यूनिकेशन का लाभ उनको मिलने वाला है, इसको वे जानते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): यह स्पीडी वर्क करने के लिये अगर एक्वीज़ीशन के कानून में संशोधन किसी प्रकार का लाना जरूरी हो तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष : चार चार साल और डेढ़ डेढ़ साल में भी लोगों को कम्पेन्सेशन नहीं मिले तो इसमें या तो एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई ढिलाई है या कोई कानून में कहीं खामी है। इस बारे में कुछ तो होना चाहिये। ऐसा तो चलते रहना कोई सही बात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : काम करने वाले काफी मेहनत से और लगन से करते हैं। पर फिर भी समय तो लगता ही है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी देर होती है तो ऑफिसर बढ़ाइये, आपके हाथ की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों को किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई आदमी मेरे पास शिकायत करने नहीं आया। रोड निकलती है तो अल्टीमेटली उसका फायदा उनको ही तो मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : पर जिन लोगों की जो प्राइवेट प्रोपर्टी है उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और लैंड रेवेन्यू लेते हैं और काफ़ी अर्से तक उनको कोई मुआवजा नहीं देते। This is a very serious state of affairs.

(तालियां विरोधी पक्ष की ओर से)

Page No.15

श्री नाथूराम मिर्धा : हम जबर्दस्ती थोड़े ही करते हैं। वे तो उल्टा कहते है कि आपका भला होगा। सड़क निकाल रहे हैं, हमें ट्रन्सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। वे सब सहृदयता से विचार करते हैं। वे चाहते हैं कि राज के काम में साथ दें। फिर हम अधिक लेते नहीं, किसी का बीघा आधा बीघा उसमें आता है, उसकी मुआवजे की उसको कोई चिन्ता नहीं है। फिर कोई मेरे पास शिकायत करने नहीं आया। उल्टे मैं जब वहां जाता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि राज्य बहुत अच्छा काम कर रही है। हम राज्य का इसमें साथ देंगे। मुआवजे की वे परवाह नहीं करते।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिनकी जमीन ली जाती है, वे ही अपना दर्द जानते हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, कितने विधान सभा के सदस्य कह रहे हैं आप मानते ही नहीं उनकी बात को। वास्तव में काश्तकारों को कितना दुख होता है जिनकी जमीन सरकार ले ले और चार चार साल तक उनको उसका पैसा न दे। I am pressing it.

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज जाता हूं सड़क निकलती है वहां। सड़क निकलने की कार्यवाही में देर लगेगी और मुआवजे में भी देर लगेगी। वे इस बात को जानते हैं सब।

श्री अध्यक्ष : जानने नहीं जानने का सवाल नहीं है। The Government should have a very helping attitude. This is no explanation. You should assure the House that you will improve the affairs. लोग फील नहीं करते, हमेशा माननीय सदस्य कहते हैं।

(तालियां विरोधी पक्ष की ओर से)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मैंने कई दफा कहा है और किया भी है।

श्री अध्यक्ष : But still the things are not improving.

(हंसी, तालियां विरोधी पक्ष की ओर से)

ग्राम बालुन्दा, तहसील मांगरोल के एक कुए का मुआवजा

१२७५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बालुन्दा तहसील मांगरोल जिला कोटा में ग्राम का एक कुआ नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या इसका मुआवजा ग्रामवासियों को दिये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

उपमन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : (१) जी हां।

(२) कुछ का तखमीना बन चुका है। लैण्ड एक्वीज़ीशन ऑफिसर का अवार्ड मिलने पर ही मुआवजा दिया जायगा।

प्रश्न संख्या १२७६

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

जिला गंगानगर में कृषि फार्म

१२७७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला गंगानगर में कितने कृषि फार्म्स हैं व कबसे कायम हैं ?

(२) प्रत्येक फार्म में सन् १९५३ से कितनी कितनी बीघा काश्त होती रही है ? बीज़, बोआई, कटाई, आदि में कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(३) सन् १९५३ से आज तक का खर्चा व आमदनी का आंकड़ा प्रस्तुत किया जावे।

उपमन्त्री कृषि विभाग (श्री दौलत राम सारण) : (१) जिला गंगानगर में कुल ५ कृषि फार्म हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं (१) श्री गंगानगर फार्म, (२) श्री करनपुर फार्म, (३) पदमपुर फार्म, (४) रायसिंह नगर और जैटसर फार्म। ये फार्म क्रमशः १९४९, १९३६, १९२८, १९३६ और १९४० से कायम हैं।

(२) प्रत्येक फार्म में सन् १९५३ से जो कृषि होती रही है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) बीज बोआई कटाई आदि में प्रत्येक फार्म पर जो वार्षिक व्यय हुआ उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह क्या सरकारी फार्म्स हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री भीमसेन : यह करनपुर कृषि फार्म में जो आमदनी हुई है वह तो दर्ज की है लेकिन खर्चा कितना हुआ यह दर्ज नहीं किया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : किसी भी डिपार्टमेंट की आमदनी तो तुरन्त मालूम पड़ जाती है लेकिन खर्चा वगैरह तो जब मालूम पड़ता है जब कि उसका पूरा हिसाब रखें और अकॉउन्टेन्ट जनरल के पास से होता है तब फाइनल होता है।

श्रीमती सतवंत कौर (करनपुर) : क्या यह सही है कि फार्मों में सरकार को घाटा पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आंकड़े आपके सामने हैं, देख लीजिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने क्या कहा खर्चा ए० जी० से पास होता है ? क्या कहा आपने जरा इसको क्लेरीफाई तो कर दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरे साल का खर्चा सारे डिपार्टमेंट्स का जोड़ करके तैयार नहीं हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : आपसे सन् ५३ का खर्चा पूछा है और अगर इसको नहीं बता सकते तो ५७ का बता दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब साल का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बता दिया लेकिन इसी साल का नहीं बताया।

श्री भीमसेन : आपने गंगानगर का खर्चा दिया और करनपुर का नहीं दिया इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े तैयार नहीं हुए।

श्री श्रीभानसिंह : यह जो पांच फार्म हैं इनमें से कितने प्रोफिट में चल रहे हैं और कितने लास में चल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले सूची का मुलाहिज़ा फरमा लीजिए।

श्री चंदनमल वैद (सरदार शहर) : यह आंकड़े तो आपने रख दिये हैं लेकिन इन ५ फार्मों में से कितने फार्म तो लोस में और कितने प्रोफिट में चल रहे हैं, यह बता दीजिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो एक्सपेरीमेन्टल फार्म है। इसलिए इनके घाटे और नफे का प्रश्न नहीं है।

श्री चंदनमल वैद : My question is direct. इन फार्मों में से कितने लास में हैं और कितने प्रोफिट में हैं ? यह एक्सपेरीमेन्टल हैं या नहीं, यह हम नहीं जानते।

श्री मंगलसिंह : यह तो बताना जरूरी है कि कितने लोस में है और कितने प्रोफिट में ? एक्सपेरीमेन्ट से क्या मतलब ?

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जब हर साल के एक्सपेन्डीचर और आमदनी के आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत कर दिए और अब कितना घाटा कौन से साल में, कौन घाटे में रह गया है कौन नफे में रह गया है तो यह अपने आप ही देख लें।

श्री चन्दनमल वैद : आप किसी साल का भी बता दीजिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किस साल का पूछ रहे हैं ?

श्री चंदनमल वैद : जिस साल की आपकी मर्ज़ी है उसी साल का बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जिस साल मुनाफा है उसी का बता दीजिए।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत लम्बी लिस्ट है। तो फिर लीजिए सुनिये।

वर्ष	आमदनी	खर्चा
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१९५३–५४	४८,२६० ५८	३१,५८१–३०
१९५४–५५	५७,६०८	३८,४३६
१९५५–५६	५३,१७३–२२	३८,८०२–८
१९५६–५७	५६,४७०–६८	४२,६२६–१२
१९५७–५८	४६,२५५–७६	३३,७६१–२३
१९५८–५६	५१,५००–२४	३८,८६७–३४

श्री चुन्नीलाल (रायसिंह नगर) : करनपुर और रायसिंह फार्म घाटे में चल रहे हैं इसका क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकरलाल।

सिंचाई विभाग के मज़दूरों को साप्ताहिक छुट्टी

१२७८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत पाली (दक्षिण डिविज़न) के मज़दूरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल रही है ?

(ख) इस प्रकार की जो शिकायत व मांग पाली (दक्षिण डिविज़न) के मज़दूर संघ द्वारा सरकार के समक्ष की गई है उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) वर्क चार्ज मज़दूरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है।

(ख) ऐसी मांग की गई है और मामल विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : यह छुट्टी क्यों नहीं दी जाती है। जो लोग काम करते हैं उनको हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि मिलनी चाहिए।

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दरअसल में वर्क का जो रेग्यूलर लेबर है उनको रेग्यूलरली १५ दिन की छुट्टी दी जाती है लेकिन जो इरेंग्यूलर हैं और जो कैनाल पर डेलीवेजेज़ पर काम करते हैं, मेन्टीनेन्स पर काम करते हैं उनको नहीं दी जाती। वह जो काम करते हैं उसका पेमेन्ट उनको हो जाता है, डेली वेजेज़ पर होने के कारण।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या उनको कोई वीकली रेस्ट भी नहीं दिया जाता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज कर दिया कि वह रेस्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं पर उसका उनको पैसा नहीं मिलेगा।

श्री पी. के. चौधरी : क्या आप उनको वीकली रेस्ट नहीं देते ?

श्री भीखाभाई : मेरे उत्तर में सन्निहित है।

श्री शंकरलाल : वह कौन से रूल्स से गवर्न होते हैं कि उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती? वह लगातार छः छः महीने काम करते हैं और उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तो वह कौन से कानून के मुताबिक उनको छुट्टी नहीं मिलती ?

श्री भीखाभाई : आम मज़दूरों की तरह से होते हैं। जैसे कोई काम करने के लिए जाता है तो जिस दिन वह काम करने के लिए जाता है उसका पेमेन्ट हो जाता है, नहीं तो नहीं।

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है तो छुट्टी देने का विचार कर रही है या किस पर विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : देने या नहीं देने की बात पर विचार कर रही है कि दी जायेगी या नहीं दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के कार्यालय

१२७६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या श्रम विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के कार्यालय कहां कहां हैं तथा इनको खोलने की क्या कसौटी है ?

(ख) सीकर ज़िले में इस प्रकार का विभाग क्यों नहीं खोला गया है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) (१) राज्य में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ निम्नांकित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं:-

अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, और उदयपुर।

(२) अप्रेल, १९५९ में टोंक और सिरोही में भी एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ कार्य करने लगेंगे।

(३) एक नये एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज़ को खोलते समय क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र में प्राप्त रोज़गार के अवसर, तथा निकटस्थ एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ से दूरी का विचार रखा जाता है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नियोज़न सेवा (एम्पलॉयमेन्ट सर्विस) का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। सीकर में अब तक एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ खोलना सम्भव न हो सका पर इस सेवा के भविष्य में विस्तार के साथ सीकर में भी एक एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ खोलने का विचार किया जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सैकड़ों व्यक्ति यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं कि वहां पर आपने अपने किसी डिपार्टमेन्ट के क्लर्क को इनचार्ज बना दें और वह वहीं पर सारा काम कर दे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक एक व्यक्ति को यहां पर आना पड़ता है और आप अन्दाज़ा लगायें कि उसमें लोगों का कितना खर्चा होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जहां सम्भव हो सका है वहां तो एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंजेज़ खोल दिये गये हैं और इनका आगे विस्तार होने में सीकर का भी नम्बर आ जायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : टोंक और सिरोही वगैरह तो सीकर से भी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सीकर बड़ा है फिर भी वहां नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस प्लान में जो प्रोविज़न रखा गया था उसमें यह खोले गये और आगे जब विस्तार होगा तो सीकर का भी ख्याल रखा जायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां पर आप किसी क्लर्क को इन्चार्ज बना दें और वह वहां पर प्रार्थनापत्र आदि जो कुछ भी है वह इकट्ठे कर ले और हर पन्द्रह दिन के बाद या वहां से डाक से भेजकर यहां रजि-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

स्ट्रेशन करा दे ताकि हर एक को गांवों से जो यहां आने की दिक्कत है वह तो मिट सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सम्भव नहीं है कि वह वहां से इकट्ठे करके भेज दें। यह तो आदमी को वहीं एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज पर जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि कई बातें होती हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके डिपार्टमेन्ट का कोई क्लर्क यह काम कर दे और बाकी कार्यवाही वह यहां से करा ले।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामेश्वर दयाल।

बल्लभ नगर कॉलोनी, कोटा की सड़कें

१२८०. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

1. Is the Government aware that the roads in the Ballabh Nagar Colony, Kotah City are not on the scheduled list ?

2. Is the Government aware that these roads have not been repaired ever since they were consutructed in 1951 ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. Yes.

2. Yes.

श्री रामेश्वर दयाल : Then why they are not repaired.

श्री नाथूराम मिर्धा : मरम्मत इसलिए नहीं होती कि वह पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें नहीं हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : When the management of these raods was taken by the Municipality ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बनने के बाद में ही उन्होंने ले ली।

श्री रामेश्वर दयाल : Are you quite sure that in 59, the management was taken by the Municipality ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कहता हूं कि वह सड़कें बनने के बाद में तुरन्त ही उनको चली गई। हमने तो बनाने का काम कर दिया।

श्री रामेश्वर दयाल : When they were constructed ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९५३

श्री रामेश्वर दयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् ५३ के अन्दर शहर की जितनी सड़कें थीं वह म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत नहीं थी बल्कि पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत थी और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय में वह जांच करके बतायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने इस विषय

Page No.21

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में पूरी जानकारी कर ली है, वह सड़कें हमारी मेन्टीनेन्स लिस्ट में नहीं हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : Does the Government look into the fact whether the Municipalities are constructing and repairing the roads properly or not? And is not the Government to see all this ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो म्युनिसिपैलिटी के करने का काम है वह उसको करना ही चाहिए। अब म्युनिसिपैलिटी में भी जो पुरानी राजधानियां हैं उनकी सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए और एमीनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ मदद पापुलेशन के आधार पर ४ लाख रुपये का बंटवारा करके देते हैं उसमें कोटा भी शामिल है और नई रोड्स बनाने की बात है वहां पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने की ओर ध्यान देना चाहिए यह उनकी जिम्मेदारी है।

श्री रामेश्वर दयाल : If any Municipality and specially Kotah Municipality fails in his duty to construct or repair the roads, what steps will the Government take ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर वहां की म्युनिसिपैलिटी ठीक काम नहीं करती है तो वहां के नागरिक स्वायत्त शासन मन्त्रीजी के पास एप्रोच कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : But the roads are under your department.

श्री नाथूराम मिर्धा : All roads are not mine.

श्री अध्यक्ष : He has said 'no'.

जयपुर शहर में हत्या की घटनाएं

१२८१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ?

(ख) मार्च, ५६ में कुल कितने और कौन कौन से हत्याकांड हुए ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कई एक लाशों की शनाख्त भी नहीं हो पाई ? अब तक कितने हत्याकारियों को पकड़ा गया तथा उन्हें क्या दंड दिया गया ?

(घ) इन हत्याकारी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जयपुर शहर में मार्च १६५६ में कोई हत्या होने की सूचना नहीं मिली।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथापि जब कभी शान्ति भंग होने का अन्देशा होता है आवश्यक रोकथाम की कार्यवाही की जाती है एवं जिसके जीवन के खतरे का शक

(श्री रामकिशोर व्यास)

होता है उन्हें आवश्यक आश्रय (Protection) दिया जाता है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि मार्च १६५६ में कोई मृत्यु घटना की सूचना नहीं मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास : मृत्यु होना और बात है और हत्या होना और बात है ।

डॉ० चन्द्रकला : जब शनाख्त नहीं हुई तो कैसे कहा जा सकता है कि हत्या की दुर्घटना नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : हत्या होने की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : बगरूवालों के रास्ते में और नाहरगढ़ में मृत्यु घटनाएं हुई उनमें बतलाया गया कि किसी में जानवर खा गये और किसी में कुछ और हो गया, क्या सरकार ने जांच कराई कि मृत्यु घटना नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

बगड़ी सज्जनपुर ग्राम पंचायत का चुनाव

१८८२. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सोजत के बगड़ी सज्जनपुर ग्राम पंचायत का चुनाव पहले कब हुआ था उसके बाद अब तक चुनाव नहीं होने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सच है कि पंचायत के चुनाव की तारीख बार बार मुकर्रर करने के बाद फिर चुनाव स्थगित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब सरकार उक्त पंचायत का चुनाव कब तक करा देगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) चुनाव दिनांक ५.३.५५ को हुआ । शपथ ग्रहण दिनांक २२.६.५५ को हुई । प्रत्येक पंचायत की अवधि जिस दिन प्रथम बैठक होती है उस दिन से ३ साल मानी जाती है । क्योंकि इस पंचायत की आबादी ५,००० से अधिक है अतः पुनर्गठन के आदेश दिये जा चुके हैं । इस वजह से चुनाव नहीं करवाये गए । पंचायत की अवधि राजस्थान पंचायत अधिनियम १६५३ की धारा ७ के अन्तर्गत एक साल की बढ़ाई जा चुकी है ।

(२) जी नहीं । केवल एक बार पुनर्गठन विचाराधीन होने के कारण ।

(३) यह ५००० से अधिक की आबादी वाली पंचायत है और ऐसी पंचायतों के पुनर्गठन के आदेश हो चुके हैं और शीघ्र ही पुनर्गठन होने वाला है । पुनर्गठन होने पर चुनाव करवाया जायगा ।

श्री नेनाराम गहलोत (खारची) : यह आदेश कब दिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : ५.२.५६ को ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पांच हज़ार से ऊपर वाली जिन पंचायतों का

Page No.23

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चुनाव रोका है क्या उनका चुनाव २ अक्टोबर से पहले हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी मयाद बढ़ाई है, मयाद खत्म होगी और पुनर्गठन होगा तब चुनाव करा देंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मयाद तो आपने बढ़ाई है लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया है, और २ अक्टोबर से नया कानून फोर्स में ला रहे हैं तो उससे पहले ही नये प्रतिनिधि आने चाहिये ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ऐसी पंचायतें १ साल के अन्दर ही खत्म कर दी जायेंगी, नया अमेन्डमेन्ट बिल इसीलिये लाया गया है । अभी चुनाव करा देंगे तो फिर दुबारा चुनाव कराना पड़ेगा इसी दृष्टि से अभी नहीं कराये जा रहे हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ६ महीने हो गये उनके चुनाव रोक दिये गये और पुनर्गठन भी नहीं करते हैं और यों ही कार्यवाही की जा रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुनर्गठन के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को कह दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपने सुझाव भेज दें, सारे राजस्थान की पंचायतों का पुनर्गठन होना है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : नई पंचायतों की जनसंख्या २००० रखी है तो ५ हज़ार की आबादी वालों का पुनर्गठन क्यों करा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुनर्गठन की बात पांच हज़ार से ऊपर की जनसंख्या की है । स्टेज़ बाई स्टेज़ करने का है ।

श्री पी० के० चौधरी : पांच हज़ार से ऊपर की आबादी वाली पंचायतों के चुनाव स्टे करने का ऑर्डर कब दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो तारीख बताई गई थी । ५.२.५६.

सैन्ट्रल मार्केटिंग फेडरेशन, जिला, जयपुर

१२८३ श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सैन्ट्रल मार्केटिंग फेडरेशन लि० जयपुर की स्थापना कब तथा किस उद्देश्य से की गई थी ? फेडरेशन के पदाधिकारियों की एक सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(ख) फेडरेशन के हिसाब का कब कब ऑडिट हुआ ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(ग) अब इस संस्था का क्या स्वरूप है ?

उप-मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : जयपुर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल फेडरेशन लि०, जयपुर की स्थापना दिनांक ३१ अगस्त सन् १६४५ को हुई । इसका उद्देश्य लघु उद्योगों (कोटेज़ इन्डस्ट्रीज़) को प्रोत्साहन देना एवं सदस्य समितियों के लिये कपड़ा और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था । फेडरेशन के पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं :

Page No.24

(श्री दौलतराम सारण)

१. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर, सभापति (पदेन)

२. श्री प्रसन्न कुमार छाबड़ा निरीक्षक सहकारी समितियां (रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत) अवैतनिक मंत्री।

(ख) फैडरेशन के हिसाब निम्नलिखित तारीखों में ऑडिट हुए :

१. सन् १६५१ का १६.७.५२

२. सन् १६५२ का ११.१०.५३ को

३. सन् ५३,५४, ५५ का ८.६.५६ को

४. सन् ५६,५७ का ६.६.५७ को

५. ३० जून सन् ५८ तक का ३०.३.५६ को (ऑडिट रिपोर्ट काफी बड़ी है जिसकी दस दस प्रतियां तैयार कराया जाना असंभव है। अतः वह संलग्न नहीं हो पाई हैं)

(ग) अब यह संस्था बंद है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें सरकार का कितना रुपया लगा है, सबसिडी या एड के रूप में।

श्री दौलतराम सारण : इसमें सरकार का कोई रुपया नहीं है।

डॉ० चन्द्र कला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या इसमें घाटा है ?

श्री दौलतराम सारण : प्राप्त सूचना के अनुसार यही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि संस्था घाटे में जाने के कारण बंद हुई ?

श्री दौलतराम सारण : यह ठीक है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : घाटा किन कारणों से हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है। लेन देन का प्रश्न है, क्रय विक्रय किया करती थी इसलिये घाटा हुआ होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार ने लोन या सबसिडी नहीं दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने कुछ नहीं दिया। जयपुर बैंक के रुपये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जयपुर बैंक के रुपये हैं लेकिन गवर्नमेंट डाइरेक्टर है उसकी जांच करे कि किस कारण से घाटा हुआ ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जांच की जा रही है, हिसाब किताब देखा जा रहा है। हमारे यहां के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पदेन पदाधिकारी हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके अधिकारी पदेन पदाधिकारी हैं और वह घाटे में जाती है तो उसका कारण यह है कि बीच में कहीं लूप होल्स हैं। उनको देखना चाहिये कि घाटे में क्यों गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे पदेन पदाधिकारी हैं लेकिन सारा काम तो संस्था करती है। यह बहुत पुरानी संस्था है सन् ४५ से ५२ तक काम करती रही। बंद हुए भी काफी अर्सा हो गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पदेन अधिकारी किस कारण से गये जब कि सरकार का रुपया इसमें नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जयपुर स्टेट की बात है। उस समय से रजिस्ट्रार पदेन सभापति थे।

डूंगरपुर में विद्युत के विकास हेतु लोकल एडवाइज़री कमेटी

१२८४. **श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या डूंगरपुर में विद्युत एक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत कोई लोकल एडवाइज़री कमेटी विद्युत के विकास के सम्बन्ध में स्थापित की गई है ?

(२) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान के किसी भी भाग में ऐसी कमेटी अभी नहीं बनी है।

(२) अभी उपयुक्त समय नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपयुक्त समय कब आयगा ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत धारा १७ में यह है कि स्टेट गवर्नमेंट महसूस करे आवश्यकता तब कमेटी कायम करें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : आवश्यकता कब महसूस करने वाले हैं ?

श्री भीखाभाई : जब इसकी आवश्यकता होगी।

अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या निर्धारित करने का आधार

१२८५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किसी स्थान पर कितने डॉक्टर रखे जायें, यह उस स्थान की जनसंख्या पर निर्भर करता है या रोगियों की संख्या पर और यह जनसंख्या अथवा रोगियों की संख्या क्या है ?

(ख) भरतपुर ज़िले के अन्तर्गत डीग की जनसंख्या अथवा वहां रोगियों की औसत संख्या क्या है ?

(ग) क्या सरकार वहां की जनसंख्या, रोगियों की संख्या तथा स्थान के महत्व को देखते हुए और डॉक्टर बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) इस विभाग द्वारा केवल द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही खोले जाते हैं जिनके लिये निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत हैं।

प्रथम श्रेणी के डॉक्टर १

(श्री भीखाभाई)

द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर	१
लेडी हैल्थ विज़िटर	१
सेनिटरी इन्स्पेक्टर	१
कम्पाउन्डर द्वितीय श्रेणी	२
कंपाउन्डर तृतीय श्रेणी	४
मिडवाइफ	४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	८
ड्राइवर (गाड़ी उपलब्ध होने पर)	१

जो अस्पताल आदि पहले से खुले हुए हैं उनमें पहले से स्वीकृत किया हुआ स्टाफ ही अभी तक चला आता है। सरकार स्टाफ़ के युक्तिकरण (रेशनेलाइजेशन) की योजना पर विचार कर रही है।

(ख) डीग की जनसंख्या १३१८७ है तथा रोगियों की दैनिक औसत संख्या निम्न प्रकार है :

बाह्य रोगी १२५.२

अंतः रोगी ११

(ग) जी नहीं।

(घ) जब तक उपरोक्त युक्ति युक्त करण (रेशनेलाइजेशन की योजना स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ, प्रश्न में पूछा कि सरकार कितनी आबादी पर, कितने रोगियों पर डॉक्टर बढ़ाती है। इसमें हैल्थ सेन्टर्स का सवाल नहीं है। आपने उत्तर अधिक दिया लेकिन जो चाहा था वह नहीं आया।

श्री भीखाभाई : जो स्कीम चल रही है, वह बताई कि आज कल नये हॉस्पीटल खोले जाते हैं, उनमें यह है। जो पहले के हैं, जिनके रेशनेलाइजेशन का प्रश्न चल रहा है, कौनसा हॉस्पीटल ए श्रेणी का हो, कौनसा बी में हो, और कितना स्टाफ होना चाहिए। आम तौर पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वह रोगियों की संख्या पर किया गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कितने रोगी हों तो ए श्रेणी का हॉस्पीटल होगा, कितने रोगियों पर बी श्रेणी का हॉस्पीटल होगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो अस्पताल पहले के बने हुए हैं, उनमें वैसे ही डॉक्टर चले आ रहे हैं। रेशनेलाइजेशन कैसे हों, इस पर विचार किया जा रहा है। वैसे बैड्स के लिहाज़ से होता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वैसे भी नहीं है, तो आबादी के लिहाज़ से डॉक्टर होंगे या रोगियों के हिसाब से होंगे, नित्य प्रति कितने रोगी आते हैं, कितनी आबादी है, उनके अनुपात के हिसाब से डॉक्टर होते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जो बेड्स बने हुए हैं, उनके आधार पर क्लासिफाई किया है, ३०० के ऊपर ए क्लास होती है, उसके ऊपर दूसरी क्लास होती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): ए श्रेणी में आता है या नहीं, वहां बाहर सौ की संख्या है, १५०,२०० मरीज़ रोज आते हैं, एक ऐतिहासिक कस्बा है, एस. डी. ओ.

Page No.27

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हैड क्वार्टर है। आस पास के गांवों के लिए वहां एक डॉक्टर के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी डॉक्टरों की कमी है। जो मौजूदा जगह हैं, वही कमी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : डॉक्टरों की कमी पूरी कब तक होगी और दूसरा डॉक्टर कब तक मिल जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रेशनेलाइजेशन स्कीम पर अभी विचार किया जा रहा है, उसके अन्तर्गत फाइनल होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रेशनेलाइजेशन में इस कोटि का हॉस्पीटल आता हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे माननीय सदस्य को देखने से मालूम होता है कि वहां बीमार नहीं है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : डॉक्टरों की कमी है, तो क्या सदन में जो डॉक्टर हैं, उनको लगाने की सरकार सोच रही है ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता : उनके लिए और बहुत काम मौजूद है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) ; क्या ए० एच० एम० ओ० के वास्ते जीप रखी जाती है सभी जिलों में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र : यह किस आधार पर रखी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी आधार पर नहीं रखी जाती है, कहीं जीप नहीं है।

श्री रामचन्द्र : बहुत सी जगह, बहुत से जिलों में जीप है, बहुत से जिलों में नहीं हैं। इसका क्या आधार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स के लिए यूनिसको की मदद के अन्डर में जीप मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से जीप नहीं दी जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : डीग में रोगी नही हैं, यह कैसे अनुमान किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों से अनुमान करता हूं।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं अलवर में ज्यादा रोगी होने चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर के एम. एल. ए. आपके पीछे बैठे हुए हैं, उसको देखिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अलवर के मुख्य प्रतिनिधि आपको मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपका प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

जीप के बारे में नहीं है, डीग के बारे में है।

(हंसी)

टौंक बस सर्विस

१२८६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद द्वारा पूछा गया): क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टौंक बस सर्विस के बन्द करने से पहले पिछले ५ वर्षों में किस किस वर्ष में कितना कितना खर्चा हुआ व कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार को घाटा रहने के कारण सरकार ने इस बस सर्विस को बन्द किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों की जांच करवाई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीजा रहा ?

(३) क्या यह सही है कि टौंक बस सर्विस के इस रूट पर या इस रूट को प्रभावित करने वाले अन्य मार्गों पर परमिट दूसरे व्यक्तियों को दिये गये जिससे इस रूट का एनक्रोचमेंट हुआ है ? यदि हां, तो किस किस को और किस किस मार्ग का पर्मिट दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसे पर्मिटों के दिये जाने के विरोध में टौंक बस सर्विस के मैनेजर ने आर० टी० ए०, एस० टी० ए० व अदालत में भी कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(५) क्या यह सही है कि टौंक बस सर्विस के मैनेजर ने इस सर्विस के सम्बन्ध में सरकार से यह निवेदन किया था कि इनमें कोई घाटा नहीं रहेगा ? तथा एकॉउन्टेन्ट जनरल ऑफिस के ऑडिट के अनुसार भी इसमें कोई घाटा नहीं था ? यदि हां, तो इसे फिर क्यों बन्द किया गया ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) टौंक ट्रांसपोर्ट सर्विस को १-४-५२ से कामर्शियल कन्सर्न घोषित किया गया और इस तारीख के बाद की आमदनी और खर्चे की तालिका नीचे दी जाती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सुनाई नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे बोलिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (१) टौंक ट्रान्सपोर्ट सर्विस को १-४-५२ से कामर्शियल कन्सर्न घोषित किया और इस तारीख के बाद की आमदनी और खर्चे की तालिका नीचे दी जाती है :

वर्ष	आमद	खर्च
१६५२ ५३	८८, ४३१	६६, ०५४ रु०
१६५३ ५४	७८,२२६ रु०	७४, ७४५ रु०
१६५४ ५५	१,०१,६५७ रु०	६२, ०१६ रु०
१६५५ ५६	१,००,६५५ रु०	१,०१,७८७ रु०
१६५६ ५७ ३१-३-५७ तक	२७,२८२ रु०	३३,०६५ रु०

(२) हां। इस प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

(३) हां यह सही है कि आर. टी. ए. और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निम्नलिखित

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बस संचालक को उनके सम्मुख लिखे मार्गों के मंजूर किये थे।

१. श्री लेखराज ललवानी १ परमिट

२. श्री महमूद खाँ १ परमिट

३. दी जनरल मोटर बस सर्विस १ परमिट

४. श्री जसनमल १ परमिट

५. श्री मालिक राम १ परमिट

६. श्री एल. एम. ठाकुर १ परमिट

(४) हां, अपीलेट ऑथोरिटी ने अपील मंजूर कर ली थी। किन्तु प्रतिवादी आपरेटर्स ने हाई कोर्ट में रिट करके फैसले को रद्द करा दिया।

(५) नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : फिर इस रूट पर दूसरे लोगों को परमिट क्यों दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे कोर्ट ने दिये हैं, आर. टी. ए. ने दिये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): घाटा नहीं रहा, तो बन्द क्यों की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसने कहा, घाटा नहीं है ? आंकड़े बताये, उसमें रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि सरकार ने इन्क्वायरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। जब जानते थे कि घाटा रहा तो इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेजूअली गवर्नमेंट की गाड़ियां चलाने का विचार था, लेकिन प्राइवेट पार्टी को परमिट दे दिये गये और ज्यादा आदमियों के कम्पटीशन में आना नहीं चाहते थे क्योंकि खर्चा ज्यादा था, इसलिए बन्द कर दिया।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : एक तरफ सरकार नेशनेलाइजेशन करने के लिए कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ जो नेशनेलाइज्ड रूट हैं, उनको बन्द कर रही है, इसमें क्या रहस्य है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पहले की बात है। नेशनेलाइजेशन करने की बात बाद में सोची।

श्री दयाकृष्ण विजय : अकॉउन्टेन्ट जनरल ने बताया है कि घाटा नहीं रहेगा फिर घाटा रहने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसने बताया ?

श्री दयाकृष्ण विजय : अकॉउन्टेन्ट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार घाटा नहीं रहता है। प्रश्न के पार्ट ५ में है कि इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि घाटा नहीं रहेगा। फिर घाटा किस प्रकार से रहा, कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ए. जी. का नाम कैसे आ गया ?

श्री अध्यक्ष : भाग ५ देखिये, जिसका उत्तर दे दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए कह दिया कि यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

दाँता से रामगढ़ तक सड़क

१२८७. **श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़- श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील दातां में दांता से रामगढ़ तक दो मील सड़क का टुकड़ा अभी तक क्यों पड़ा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार इसे पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथराम मिर्धा) : (१) एलाइनमेन्ट निश्चित् होने के लिये ।

(२) जी हां एलाइनमेंट निश्चित होने पर काम कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

भाकरा जोन में बैटरमेंट लेवी

१२८८. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु.): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भाखरा जोन में वहां किसानों पर बैटरमेंट लेवी कायम की गई है, उसमें एक बीघा की पैदावार क्या मानी गई है और किन किन सालों की पैदावार की औसत निकाली गई है तथा उस पैदावार में अनाज़ के क्या भाव लगाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने उन्हीं सालों की पैदावार की औसत में शामिल किया है जिन सालों में अनाज़ के भाव बहुत तेज़ रहे हैं ?

(३) बैटरमेन्ट लेवी की औसत फी बीघा या फी एकड़ क्या कायम की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि जो बैटरमेंट-लेवी कायम की गई है, उसके खिलाफ हज़ारों किसानों ने अपीलें दायर की हैं ?

(५) क्या सरकार उनकी अपीलों पर गौर करके बैटरमेंट लेवी की शरह को कायम करने को तैयार है ?

उप मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है । इसलिए राजस्व मन्त्री अपने टर्न पर उत्तर देंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : बैटरमेंट लेवी का क्वान्टम राजस्व विभाग तय करता है या सिंचाई विभाग तय करता है ।

श्री भीखाभाई : राजस्व विभाग के रूल्स पढ़ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल ।

भरतपुर ज़िले में ट्राली वाले ट्रेक्टर्स

१२८९. **श्री तेजपाल** (वैर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर ज़िले में कितने ट्राली वाले ट्रेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं कि जो ट्राली के

(श्री तेजपाल)

भार वाहन का टैक्स देते हैं और कितने ऐसे हैं कि जो भार वाहन का टैक्स नहीं देते हैं ? इनके टैक्स न देने का कारण क्या है ?

(ख) क्या इन ट्राली ट्रैक्टर्स से सड़क खराब नहीं होती है ?

(ग) यदि होती है, तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

मन्त्री यातायात विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) १३३ ट्रैक्टर्स मय ट्राली के रजिस्टर्ड हैं जिनमें से केवल तीन भार वाहन का टैक्स देते हैं। अन्य १३० कृषि के काम में आते हैं जिनका टैक्स टैक्सेसज़ रूल्स की दफा २८ के तहत माफ हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या सरकार को मालूम है कि १३० ट्रैक्टर हैं जो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड हैं, उन्हें कामर्शियल पर्पज़ में लोड ड्राइव करने में यूटिलाइज़ किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसा नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपने कभी नहीं देखा है रास्ते में या जो डिपार्टमेंट है रोड ट्रान्सपोर्ट का, उसके इन्सपेक्टर ने कभी चैक नहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे चैक करते हैं, चैक करना उनका काम है। जो पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ दी ट्रैक्टर्स भार वहन के लिए रन करते हैं, कृषि के लिए नहीं करते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : यह ठीक कहा है।

श्री तेजपाल : म्युनिसिपैलिटी एरिया में ट्रैक्टर ट्राली चलती है. उन पर क्या म्युनिसिपैलिटी का टैक्स लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर से पूछिये।

श्री तेजपाल : म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो ट्रैक्टर्स और टाली चलती हैं, क्या उनसे म्युनिसिपैलिटी का टैक्स लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : म्युनिसिपैलिटी भी टैक्स लेती है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ठीक जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है।

श्री तेजपाल : मैं जानकारी दे रहा हूं, कि भरतपुर में जितने ट्रैक्टर और ट्राली चलती हैं, वे ईंट पत्थर ढोती हैं, उन पर म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : वे बता रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं है जो पत्थर और ईंट वगैरह ढोती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह म्युनिसिपै-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिटी के सोचने की बात है, लगाना या नहीं लगाना चाहिए, उनको पॉवर है या नहीं।

श्री तेजपाल : जो दूसरी गाड़ियां चलती हैं उन पर टैक्स है म्युनिसिपैलिटी की ओर तो ट्रैक्टर और ट्राली पर क्यों नहीं होना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत सी गाड़ी किसानों का गल्ला ले जाती है। अब क्या शर्तें हैं, यह म्युनिसिपैलिटी देखेंगी। मैं बिना जानकारी के नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द्र।

स्थगित प्रश्न

सांचोर सीड स्टोर में धान की कमी

३२३. **श्री लक्ष्मी चन्द** (सांचौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला जालोर के सांचोर सीड स्टोर में कितने मन धान की कमी है और इस कमी का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलत राम सारण) : सांचोर सीड स्टोर में ६ मन ५ सेर १२ छटांक की कमी हुई और यह कई बोरियों में अनाज के अन्दर घुण लगने तथा बीज लाने ले जाने के समय लादने व, उतारने आदि से हुई।

श्री लक्ष्मी चन्द्र : इस मसले की जांच किस से करवाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो शिकायत आई थी, जो जानकारी की है, उससे यह जानकारी मिली है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : कितना धान इकट्ठा किया गया और कितनी कमी हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १६३१ मन, ५ सेर, १२ छटाक।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : क्या ऐसी कमी स्वाभाविक तौर पर दूसरे सीड स्टोर्स में भी होती है।

श्री दौलतराम सारण : यह जरूरी नहीं है कि सब ही सीड स्टोर में इस प्रकार से कमी हो।

श्री चन्दनमल वैद : फिर क्या कारण है कि इस सीड स्टोर में कमी हुई है और दूसरे में नहीं हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने मेरे प्रश्न के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना नहीं है। मैंने यह कहा था कि घुन लगने से और लाने ले जाने में भी कमी हुई है। लाने ले जाने में कमी हो जाना यह प्रायः संभव हो सकता है लेकिन इस स्टोर में गेहूं में घुन लग जाने के कारण अतिरिक्त कमी हुई है।

श्री चन्दनमल वैद : क्या मंत्री महोदय ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्पेशियली इसी सीड स्टोर में घुन कैसे लगा ?

श्री दौलतराम सारण : गुन तो एक कीड़ा है। दवाई छिड़कने की कोशिश की गई और फिर भी गुन लग गया।

श्री चन्दनमल बैद : दवाई न छिड़कने की किस पर जिम्मेदारी है?

श्री दौलतराम सारण : दवाई छिड़की गई थी ऐसी सूचना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि गेहूं में घुन की बीमारी नहीं होती?

श्री दौलतराम सारण : कहीं इसको घुन कहते हैं, कहीं फकरिया, कहते हैं, इली भी कहते हैं, यह गेहूँ में लग जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि चने में तो घुन लगता है लेकिन गेहूं में घुन नहीं लगता है।

श्री दौलतराम सारण : इसको गुन भी कहते हैं. रुपरिया भी कहते है और इसके लग जाने के कारण से कमी हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी जानकारी आपको कब हुई?

श्री दौलतराम सारण : जब शिकायत हुई तो मालूम किया।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

पशु मेला सेवाड़िया व सांचोर में पानी का प्रबन्ध

८५२. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् ५५,५६ पशु मेला, सेवाड़िया (जालोर) व सन् ५७, ५८ पशुमेला सांचोर (जालोर)में सरकार द्वारा पानी के प्रबन्ध के लिए कितना कितना रुपया व्यय करना पड़ा? तुलनात्मक आंकड़े बतावें?

उप-मंत्री कृषि विभाग (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह अवश्य आ जाना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय।

नगरपालिकाओं के एग्जीक्युटिव ऑफीसर व सैक्रेट्री की योग्यतायें

१२६७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में नगरपालिकाओं के एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स तथा सेक्रेट्रीज़ की अल्पतम योग्यता सरकार ने क्या निर्धारित की है?

(२) राजस्थान में कितने एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स तथा सेक्रेट्रीज़ एल० एस०जी० डी डिप्लोमा होल्डर्स हैं?

(३) गत तीन वर्षों में कितने एक्ज़ीक्युटिव ऑफीसर्स तथा सेक्रेट्रीज़ एपॉइन्ट किये गये हैं? तथा इनमें से कितने एल० एस० जी० डी डिप्लोमा होल्डर्स हैं? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज़ पर रखें।

उप-मन्त्री स्वायत शासन (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) अभी तक कोई अल्पतम योग्यता निर्धारित नहीं की है किन्तु प्रायः इन पदों पर मेट्रिक व एल० एस० जी० डी० से कम योग्यता वाले व्यक्ति नियुक्त नहीं किये जाते हैं।

(२) ६१।

(३) ५६ नियुक्तियों की गई जिनमें ३७ एल० एस० जी० डी० डिप्लोमा होल्डर्स थे। सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कब से निर्णय किया गया कि एल० एस० जी० डी० डिप्लोमा होल्डर्स को सेक्रेटरी, एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर नियुक्ति किया जायगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : १६५६ से। यह प्रायः है, लेकिन यह जरूरी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : विभिन्न प्रकार की पंचायतें हैं उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशन्स हैं। इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह म्युनिसिपैलिटीज़ से सम्बन्धित है पंचायतों से नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए ही कहता हूं, ए० बी० सी० ग्रेड की जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें अलग अलग निर्धारित हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सात ग्रेड की म्युनिसिपैलिटियां हैं उनमें तनख्वाहें मुकर्रर हैं और उनके अनुसार जो अवेलेबल होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। लोयेस्ट ग्रेड ६०-४-८०) है उनमें मैट्रिकुलेट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं और इस प्रकार से योग्यता के अनुसार ऊंची तनख्वाहें दी जाती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सेवन्थ ग्रेड में काम करने वाले सेक्रेटरी को म्युनिसिपैलिटियों में एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर आदि के पदों पर नियुक्ति किया जाता है और उनका ट्रांस्फर होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोअर ग्रेड में बहुत काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह अलग अलग ग्रेड्स होने से यह संभव नहीं। लोअर ग्रेड्स में बहुत से काम कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : बाकी लोग उपलब्ध नहीं थे या आपने नियुक्त नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ द्वारा मुकर्रर होते हैं। मैट्रिकुलेट्स ज्यादा मिलते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब मिलते हैं तो प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं दी जातीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मिलते हैं तो उसी समय प्रायोरिटी दे दी जाती है।

प्रश्न संख्या १२६८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल ।

करौली और हिन्डौन में बिजली की व्यवस्था

१२७०. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु० डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला सवाई माधोपुर में करौली व हिन्डौन को करौली से बिजली देने का विचार है और हिन्डौन से दो नए इन्जिन करौली ६ माह पूर्व पहुँच गए हैं ? यदि हां, तो उक्त इन्जिन अभी तक वहां फिट क्यों नहीं हुए हैं ?

(ख) क्या सरकार इन इन्जिनों को शीघ्र फिट कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक भेजेगी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां । इन्जिन लगाने का कार्य चालू है और करीब चार छः माह में पूर्ण होने की संभावना है टैक्निकल आदमियों की कमी के कारण यह कार्य जल्दी नहीं हो सका है ।

(ख) जी हां । फिटिंग करने का कार्य चालू है और चार छः माह में इन्जिन लग जाने की संभावना है ।

डॉ० चन्द्रकला : हिन्डौन में था तो फिर करौली में क्यों फिट किया गया ? क्या करौली से हिन्डौन को बिजली देने की व्यवस्था होगी ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

प्रश्न संख्या १२७६

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल (नोखा)

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

६.१५ म० पू०

सदन से अनुपस्थिति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

(१) मेजर फतेहसिंह (वि० संख्या ।

२४.४.५६ से सत्र के अन्त तक ।

(२) श्री महेन्द्रसिंह (वि० सं० ६१)

२६.४.५७ से २०.५.५६ तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

६.१६ म० पू०

राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल पर वाद विवाद

अब श्री मूलचन्द डागा राजस्थान हिन्दू

(श्री अध्यक्ष)

पब्लिक ट्रस्ट बिल पर अपना भाषण शुरू करेंगे ।

(विराम)

दस मिनिट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कानून न जानना कोई विचार की दलील नहीं है और मैं यह बताने जा रहा था कि

(अश्रव्य)

मैं यह कहना चाहता था कि कैरो का यह सिद्धान्त है कि वह शासन अच्छा है ; जो कम राज्य करता है और मैं मानता हूँ कि हमारा भी यह उद्देश्य है, हम शासन विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं । हमारा यह प्रोग्राम है कि हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें कोई शासन न हो, लेकिन दूसरी ओर हम चाहते हैं कि जीवन सम्बन्धी जो काम हैं उनमें आज शासन का हस्तक्षेप होता है और हो रहा है,मैं यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल के बाबत कि पहला सवाल तो यह है कि 'हिन्दू' शब्द ही क्यों रखा गया है ? आपका मकसद यह था कि जो चेरिटेबल इन्स्टिट्युशन हैं उनका ठीक प्रबन्ध किया जावे । लेकिन आपने पर्टिकुलरली यहां पर शब्द है 'हिन्दू ट्रस्ट बिल' रखे हैं जब कि उदाहरण दिया है बोम्बे का । मैं आपको बताऊं कि बोम्बे में इस बिल के आगे 'हिन्दू' शब्द ही नहीं लिखा है लेकिन वहां है 'बोम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट' किन्तु यहां पर आपने पर्टिकुलरली हिन्दू शब्द बता कर जो, परिभाषा दी है हिन्दू के अतिरिक्त सिक्ख, जैन भी आ सकते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि पारसी आ सकते हैं या नहीं, क्रिश्चियन आ सकते हैं या नहीं ? उनकी क्या स्थिति होगी ? जो दूसरे धर्मावलम्बी हैं उनकी क्या स्थिति होगी ? 'हिन्दू' शब्द को जिस रूप में आपने रखा है, आपका मकसद सेक्यूलर स्टेट का है । उसके क्या अधिकार हैं । एक पर्टिक्यूलर सेक्ट के लिए हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल के नीचे धर्म के नाम पर जो चेरिटेबल इन्स्टिट्युशंस हैं उनको गवर्न करना चाहते हैं । आपने जो बिल पेश किया है वह कॉन्स्टिट्युशन की की दृष्टि से भी गलत है । इसका कारण यह है कि आपने चेप्टर ४ में जो पॉवर्स दिये हैं । Establisment and function उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग हो चुकी है उसको बताना चाहता हूँ कि यह कॉन्स्टिट्युशन के खिलाफ है । जिस प्रकार का बिल है इसको अन्दर आप चाहते हैं कि एक बोर्ड को और उसके अन्दर तरह तरह के धर्मावलम्बियों जैन बौद्ध, वैष्णव, को लिया है और आपने इसमें क्या किया है कि : The Hindu religion in general, the Digambar Jain Religion, Swetambar Jain Religion, The Buddhist Religion, and the Sikh religion इन धर्मावलम्बियों के प्रतिनिधि कैसे बोर्ड में इकट्ठे होंगे ? मैंने अर्ज की कि जैन हैं और उनमें अलग अलग सम्प्रदाय हैं, जैसे तेरापन्थी, जैन धर्म की शाखायें हैं और उनमें उन लोगों को प्रतिनिधित्व कराना चाहते हैं । जो एक पर्टियूक्लर सेक्टर के हैं, जिनको अपने तरीके का प्रचार करना और उस संस्था को चलाने का अधिकार है, उसमें यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि उसमें दूसरे धर्मावलम्बी

(श्री मूलचन्द डागा)

शासन कर सकते हैं और हस्तक्षेप कर सकते हैं ! मान लीजिये जैन मॉक हैं और अपने धर्म के आदर्शों पर काम करना चाहते हैं और आप एक ऐसाट्रस्ट बिल बनाते हैं जिसमें सारे धर्मावलम्बी इकट्ठे होकर शासन करें और उसमें प्रेसिडेन्ट कौन होगा, प्रेसिडेन्ट हवी होगा जिसको गवर्नमेंट मनोनीतकरेगी। मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूँ कि यह जो चीज़ है और आपने बोर्ड को स्थापित करने के लिए जो आज्ञाएं दी हैं और उसको अधिकार दिये हैं वह कानून की दृष्टि से अधिकार अवान्छनीय हैं और इस प्रकार के आदेश आप कानून के अनुसार दे नहीं सकते। क्योंकि आप एक धर्म के अधिकार दूसरे धर्मावलम्बी को दे नहीं सकते। मान लें कि एक धर्मावलम्बी देवी के नाम पर बकरे की बली चढ़ाता है और एक जैन धर्मावलम्बी उस बोर्ड का शासन करता है। ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि वह ऐसा आदेश देगा कि वह देवी को बकरे की बली नहीं चढ़ा सकता। क्या आप संविधान की धारा २५ और २६ के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं। आप संविधान की धाराओं के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में बम्बई की सुप्रिम कोर्ट ने ऐसा माना है कि यह उचित नहीं है। मैं उनके वर्डिंग्ज आपके सामने रखना चाहता हूँ The word "denomination" has been defined in the oxford dictionary to mean "a collection of individuals classes together under the same name; a religious sect or body having a common faith and organisation and designated by a distinctive name."

अब आप बताइये की आप एक बिल्कुल नई चीज यहां पर रख रहे हैं। बम्बई ट्रस्ट एक्ट में यही बात थी। मगर सुप्रिम कोर्ट ने उसे नहीं माना। मान लें की जैन धर्म की पांच शाखाएं हैं। कोई किसी पर आक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप उनको इस बिल के द्वारा अधिकार देना चाहते हैं कि वे आक्षेप करें। हमारे यहां केसरियानाथ जी का स्थान है। वहां पर आपने क्या किया है कि कुछ वैष्णव धर्म के अनुयायियों को भी इसमें इकट्ठे किये और कुछ जैन इकट्ठे हुए हैं। आज वहां पर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। दोनों में आपस में खेंचातानी हो रही है। आपने अलग अलग धर्मावलम्बियों को इकट्ठे किये और देवस्थान में देखा है और जो जन लेखा समिति में रिपोर्ट है। उसको आप देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि आप उसमें कामयाब नहीं हुए। आपस में दान और धन को लेकर मुठभेड होती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार जो कानून बनाने जा रही है। उससे साफ है कि वह दूसरे धर्मों में हस्तक्षेप करना चाहती है जो संविधान के खिलाफ़ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि "Person having interest" or any expression signifying a person having insert in a Hindu public trust includes- in the case of a temple,a person who is entitled to attend or is in the habit of attending the performance or worship or service in the temple or who is entitled to partaking or is in the habit of partaking in the distribution of gifts thereof इसको भी सुप्रिम कोर्ट में किसी न

(श्री मूलचन्द डागा)

किसी में लाया । आप गौर से सुनिये । मान लें जैन का टेम्पल है वहां कोई भी हिन्दू आ सकता है । उसको दर्शन करने का अधिकार है उसको सेवा पूजा करने का वहां पर अधिकार है । लेकिन आप उसके लिये यह कहेंगे कि इसको भी इस धर्म में इन्ट्रेस्ट है इसलिये इसको भी कमेटी में ले लिया जाए क्योंकि इसकी भावना है । मान लें कि नाथद्वारा के मन्दिर में मैं जाता हूं । मैं सभी धर्मों के प्रति भावना रखता हूं इसलिए Person having interest की definition. कि उनके धर्म के मामलों में दूसरे लोग भी जाकर हस्तक्षेप करें । इसके लिए संविधान में साफ लिखा है, संविधान इस बात को नहीं मानता । १६५४ में इस संबन्ध में सुप्रिम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उसमें साफ दिया है : "A religious sect or denomination has the undoubted right guaranteed by the constitution to manage its own affairs in matters of religion and this includes the right to spend the trust property or its income for the religion purposes and objected indicated by the founder of the trustor established by usage obtaining in a particular institution. To divert the trust property or funds for purposes which an authority created under a State Act or the Court considers expedient or proper, although the original objects of the founder can still be carried out, is an unwarrantable encroachment on the freedom of religious institutions in regard to the management of their affairs.'' मैं यह चाहता हूं कि किसी के धर्म के मामलों में आपका बिल आने के बाद जो आपने अपने बिल में बोर्ड के एपॉइन्टमेंट की धारा रखी है । उसके कारण किसी भी वक्त धर्म के नाम पर झगड़ा पैदा हो सकता है क्योंकि इस बोर्ड में तरह तरह के धर्मावलम्बी आ सकेंगे । मैं जैनियों की बात कहता हूं । इसमें भी दो है श्वेताम्बर और दिगम्बर । आप पुष्टिवर्गी सेट के लिये किन किन धर्मावलम्बियों को लेंगे । क्या वे अपील होने पर भी सेक्शन १८ में अपनी राय दे सकेंगे । मैं आपसे नम्रता पूर्वक अर्ज करूंगा कि आपको इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिये । हमें किसी मानव प्रतिनिधि के द्वारा ईश्वर प्रार्थना के साधन जुड़ाना चाहिये । इसके लिए हमारा जो तरीका है उसमें मेरी समझ में सरकार को नहीं पड़ना चाहिये अगर कोई इसको ठीक तरह से समझे तो इस बिल का पुरजोर विरोध होना चाहिये । क्योंकि यह बिल संविधान की धाराओं के विरोध में है ।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने रिलीजियस की क्या डेफिनेशन दी है । रिलीजियश की जो आपने परिभाषा दी है, उसमें आपने लिखा है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ "Religion is not necessarily theistic, there are well known religions in India like the Buddhism and Jainism which do not believe in the existence of God or of any intelligent First clause. Areligion has its basis in the system of beliefs and doctrines which are regarded by those who profess that religion to be conductive to their spiritual well being but it is not correct to say that matters of religion are nothing but matters of religious faith and religious belief. A religion is not merely an opinion,

(श्री मूलचन्द डागा)

doctrine or belief. It has its outward expression in acts as well." उसमें यह माना है क्या हिन्दू क्या पारसी और दूसरे किसी भी हिन्दू धर्म के अन्तर्गत किसी धर्मावलम्बी का अलग बोर्ड बना सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि यह धीरे धीरे आवेगा कि कन्सोलीडेटेड फन्डस से पैसा देना चाहिये। लेकिन जैनियों में तो कोई धर्म के नाम पर पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आप क्या करना चाहते हैं। आप बिना सोचे समझे इस प्रकार के बिल को पास करना चाहते हैं। मैं तो इसका विरोध करता हूँ और इस बिल के बारे में साफ मतभेद है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बिल हमारे प्रान्त में सफल नहीं होगा और नतीजा यह होगा कि इसके द्वारा एक धर्म वालों को दूसरे धर्म वालों से लड़ाने में मदद मिलेगी। मैं इस बारे में आगे एक और बात बताना चाहता हूं आपने एक और किया कि रीज़नल एडवाइज़री कमेटी मुकर्रर की। इसमें भी वही अड़ंगा पैदा किया कि Digambar Jains, Swetamber Jain, Boddhist religion, and sikh religion अलग अलग धर्मावलम्बियों की इन्स्टिट्युशन के मैनेज़मेन्ट के लिए आप ऐसा बोर्ड बनाना चाहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप धर्म के मामले में साफ तौर से इन्टरफीयरेन्स करना चाहते हैं।

अब रजिस्ट्रेशन के मामले को सोचिये। हर एक छोटी से छोटी संस्था को इसके लिये जाना होगा। इन्वेन्टरी और फिजिकल वैरीफिकेशन के लिये उसको तैयारी करनी होगी और फिर जायदाद को देना, बेचना मोरगेज रखना रकम का उपयोग करना सारी बातों पर कदम कदम पर एक एक चीज़ पर उसको कमेटी से सलाह लेनी पड़ेगी डाइरेक्शन लेने पड़ेंगे। तो आपने यह सारा इतना पेचीदा बना डाला है कि लोग इससे हैरान होंगे। आपको इस बारे में जनता को पूछना चाहिये। मैं कहूंगा इस तरीका का विरोध राजस्थान की ६६ प्रतिशत जनता करेगी। और कहेगी कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। आपने एक धर्मावलम्बी को दूसरे धर्म वाले से लड़ाने का यह तरीका कर दिया है। संविधान के फन्डामेन्टल राइट तक का आपने ख्याल नहीं रखा। आप देवस्थान कमिश्नर को एक मठाधीश से ऊंचा मानना चाहते हैं। आप मान सकते हैं, मानें आप भले ही, पर जनता धर्मशील जनता उसे ऊंचा मानने को तैयार नहीं। वह सुप्रीम हैड रहेगा मठाधीश या मन्दिर के महन्त। उसकी व्यवस्था में आप बाधा डालकर हर धर्म के काम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इन दृष्टियों से जिस रूप में भी इसको देखा जावे तो यह धर्म में हस्तक्षेप का कारण होगा यह कानून इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल का विरोध करना चाहिये और इसको पारित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के विरोध में जो तीन तरह की विचारधाराएं प्रस्तुत हुई हैं उन तीनों विचारधाराओं का विरोध करता हूँ। पहली विचारधारा यह आई कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है इस कानून को बना कर। मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय कि इस बिल के प्रारम्भ में ही यह लिखा है कि राज सरकार धर्म स्थानों का अच्छा प्रबन्ध करने हेतु इसको पेश कर रही है। इसमें कहां भी नहीं लिखा कि उपासना

(श्री सम्पतराज)

या पूजा के मामले में सरकार हस्तक्षेप करने जा रही है। जब तक पूजा उपासना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती तौर तरीकों का नियमन नहीं करती तब तक हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। यह तो अर्थ का जो दुरुपयोग आज हो रहा है और जिसे हम सब मानते हैं उसका सही प्रबन्ध करने के लिये कानून है। और इस से सरकार की मंशा साफ़ है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप की बात कहना निन्तांत असत्य है और जनता को केवल भ्रम में डालने का लोगों का एक तरीका मात्र है।

दूसरी विचार धारा यह आई कि सरकार इस पैसे को कर्ज पर देगी किसी को उधार देगी अपने राजनैतिक उपयोग में लावेगी और अपना राजनैतिक प्रभाव बढ़ाने में प्रयोग करेगी। मैं कहूंगा इसमें सलाहकार बोर्डों का जिक्र है उनकी राय के अनुसार देवस्थान कमिश्नर निर्णय करेगा। उनकी सलाह पर उचित ध्यान सरकार देगी और उन बोर्डों में उन्हीं धर्मों के मानने वाले व्यक्ति होंगे। अब इसमें सरकार क्या बुराई कर रही है। फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर जरूरत से ज़्यादा पैसा कहीं इकट्ठा हो और सरकार उसके बारे में यह सोचे कि इस पैसे को देशहित में देश में इन्डस्ट्री खोलने में या कोई उद्योग चलाने में लगाया जावे ताकि बेकारी दूर हो, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़े तो इसमें कौनसी बुरी बात है। बेकारी और गरीबी इससे मिटेंगी और यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। इन्डस्ट्री और उद्योगों के बिना बेकारी दूर नहीं होगी, आज जमीन पर काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है उसी पर और अधिक बोझा पड़ता गया तो आबादी भी आज हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम जमीन पर और अधिक निर्भर नहीं रह सकते। इन्स्ट्री के लिये पैसे की आवश्यकता होगी। पैसा कहां से आवेगा। क्या हम हमेशा बाहर से कर्जा मांगते रहेंगे और हाथ पसारते रहेंगे। हमारे पर करोड़ों का कर्जा हो गया है। इसके लिये घर में जमीन में और तिजोरियों में जो धन पड़ा है उसका अगर इस प्रकार से सदुपयोग कर लिया जाता है तो इसमें क्या नुकसान है। सरकार यह समझती है कि फलां ट्रस्ट या धर्म स्थान में जरुरत से ज्यादा पैसा फालतू पड़ा है और इसके लिये सलाहकार परिषद् या देवस्थान कमिश्नर उचित समझता है कि इसका उपयोग और ब्याज मिले और बेकारी दूर हो और इन्डस्ट्री बढ़े तो इस काम में अगर उस पैसे का उपयोग कर लिया तो इसमें क्या गलत सोच रही है सरकार। इससे हमारी विदेश मुद्रा की भी बचत होगी, और बेकार पड़ा हुआ धन उपयोग में आवेगा।

मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय कि ट्रस्ट जो भी हैं सार्वजनिक सम्पत्ति हैं, सार्व-जनिक पैसा इसमें आता है। आज देश में पैसे की कमी है पर वैसे देखा जावे तो काफी पैसा सोना चांदी के रूप में पड़ा है और करोड़ों और अरबों की सम्पत्ति पड़ी है। पर आज वह देश के निर्माण के काम में नहीं लग रही है। ट्रस्टों में खजाने में पड़ी है। तो उसको फिर क्यों पड़ा रहने दे सकते हैं। जिनके पास सार्वजनिक सम्पत्ति पड़ी है, वे अपना पैसा नहीं लगावें देश के नव निर्माण में उनकी मर्ज़ी है पर सार्वजनिक पैसा जो उनके पास पड़ा है उसको रोके रखने का क्या उनको अधिकार है।

(श्री सम्पतराज)

अभी जो बताया गया कि देवस्थान विभाग के ३० लाख रूपये ऐसे मिल मालिक को दे दिया गया उदयपुर में इन्डस्ट्री लगाने के लिये जो उनके ख्याल से नहीं दिया जाना चाहिये। मैं पूछता हूं अगर दे दिया गया तो इसमें क्या बुराई हुई। पड़ा था रुपया और उसको अगर इन्डस्ट्री लगाने के लिए उस पैसे को दे दिया तो इसमें क्या खराबी हुई। इससे हजारों आदमियों की बेकारी दूर होगी। इन्डस्ट्री पनपेगी। एक तरफ कहते हैं यहां इन्डस्ट्री नहीं है। दूसरी तरफ सरकार पैसे का इन्तजाम करके इन्डस्ट्री लगाती है तो विरोध करते है। तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री शिवचरणदास (माण्डल) : On a point of information Sir, माननीय सदस्य के बोलने का तर्ज जो है इस से मैं यह समझता हूँ कि जो पैसा मन्दिरों में ट्रस्टों में पड़ा है वह सारा इन्डस्ट्री में सरकार लगाए। तो क्या इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में है क्या? माननीय सदस्य कह रहे हैं पड़ा हुआ पैसा है वह इस तरह से काम में लिया जावे। यह वे किस आधार पर कहते हैं, इस कानून में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है।

श्री सम्पतराज : कल सवाई माधोपुर से आने वालों ने कहा था कि इस तरह से तीस लाख रुपया सरकार ने उदयपुर में लगा दिया। तो मेरी यह मानना और कहना है कि अगर ऐसा किया गया है तो कोई अनुचित नहीं किया गया और ऐसा पड़ा हुआ पैसा दिया जावे तो उचित ही है यह मेरी विचार धारा है।

श्री शिवचरणदास : आपको इस बिल की धारा पर बोलना है या इससे अलग कुछ कहना है?

श्री सम्पतराज : मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। अगर नहीं बोल रहा हूँ तो अध्यक्ष महोदय मुझे रोक देंगे।

इसके अलावा बताया गया है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध हैं। मैं निवेदन करूं कि यह केवल राजस्थान में ही प्रस्तुत नहीं हुआ है बल्कि मध्यप्रदेश बिहार और बम्बई में मौजूद है और मैं निवेदन करूंगा यहां पर जैनियों की बात कही गई है पर मध्य-प्रदेश, बिहार और बम्बई में भी जैनियों के काफी तीर्थ स्थान मौजूद हैं, और वहां भी यह कानून चल रहा है तो फिर यहां ही कौनसी आफत जैनियों पर आ जाने वाली है।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि धर्मादे के धन का जिस तरह से दुरुपयोग होता है वह हम सब जानते हैं। काश्तकारों से यह सब लिया जाता है। इसके साथ साथ छोटे व्यापारियों से लिया जाता है। अब इसमें हो सकता है किन्हीं के हिसाब ठीक हों पर बहुतों का नहीं है। अब उसका ठीक उपयोग किये जाने का अगर नियमन किया जाता है तो क्या आपत्ति होती है। यह पैसा बड़े व्यापारी के पास जाता है तो इसमें नियमन में क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिये। कहा जाता है कि प्याऊ और अपाहिज़ों को दान दिया जाता है इसमें से तो इसमें हस्तक्षेप होगा। पर इसमें यह कहां लिखा है कि इसमें हस्त-क्षेप किया जावेगा। इसमें तो सिर्फ इर्रेगुले-रिटीज़ को रोकने के लिये उसका नियमन

Page No.42

(श्री सम्पतराज)

किया जावे यह व्यवस्था है । इसमें किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं आनी चाहिये ।

अब इसमें यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौनसे अधिकार सरकार को दिये जाने चाहिये, कौनसे अधिकार देवस्थान कमिश्नर को दिये जाने चाहिये । इस पर आगे धाराओं पर बहस के वक्त विचार किया जा सकता है । जो उचित समझते हैं वे, साधन और अधिकार उनको दिये जा सकते हैं । कहा गया कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे । मैं इस पर निवेदन करूंगा कि इस पर जनमत जाना हुआ है । कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि इस पैसे का दुरुपयोग हो । इसलिये इस बारे में तो जनमत जाना हुआ है पहले यह विधेयक यहां आ चुका है और इस बारे में सारी स्थिति और स्पष्टीकरण हो चुका है ।

इसके बाद एक सवाल और आया है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का इसका भी मैं विरोध करता हूं । जब इस पर काफी विचार किया जा चुका है तो फिर सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्कता नहीं रह जाती है इसलिये अन्त में निवेदन करूंगा कि आज इसकी आवश्यकता है कि इसे विचारार्थ लिया जावे और इस तरह मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर दो दिन से विचार चल रहा है । मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं । कुछ लोगों ने इस को लेकर और कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े ही सुन्दर ढंग से धर्म का निरुपण किया और धर्म के सम्बन्ध में अपनी विचार धाराएं प्रस्तुत करते हुए सदन को उससे अभिभूत किया । मैं निवेदन करु कि इस प्रकार का नियमन आज की परिस्थिति में आवश्यक है । ऐसा कुछ सदस्यों ने भी बताया । कुछ ने यह भी बताया कि इस बिल से धर्म में हस्तक्षेप होगा । और उन लोगों ने इस बात को लेकर कुछ जैन धर्म और कुछ हिन्दू धर्म का सन्तुलन भी किया और कई बातें कहीं । जहां तक मैं इस बिल की धाराओं को देख पाया हूँ मैं तो यह समझता हूं कि न तो यह धर्म निरुपण कर रही हैं, न यह धर्म के व्यवहार का निरुपण कर रही हैं, अथवा उसकी व्यवस्था के लिये कदम उठा रहे हैं । यह तो केवल उन संस्थाओं के लिये है जिनके हाथ में सम्पत्ति है और जिनका दुरुपयोग हो सकता है या हो रहा है । उनकी एक ठीक व्यवस्था एक संगठित रुपरेखा कानून के आशय से प्रतीत होती है और यह आशय बिल का उद्देश्य पढने से साफ हो जाता है । इसलिये मैं तो यह नहीं मानता कि यह धर्म में हस्तक्षेप करने के इरादे से लाया गया है ।

अभी अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई रुलिंग कोट की और यह बताने की कोशिश की कि इस विधेयक से काफी धर्म में हस्तक्षेप होगा । जैन धर्म को भी ठेस पहुँचेगी और यह विधेयक स्वयं ही संविधान के विरुद्ध होगा । मैं इन मान्यताओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । मैंने, जो उन्होंने कोट किया उसको भी पढा । उसमें शुरु में ही एक जगह पर यह लिखा है कि What article 25 (2) contemplates is not regulation by the State of religious

(श्री नारायणसिंह)

practices as such, the freedom of which is guaranteed by the Constitution, unless they run counter to public health or morality... तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया है unless they run counter to public health or morality.

श्री मूलचन्द डागा(पाली): जजमेन्ट में से एक सेन्टेन्स बीच में से पढ़ रहे हैं या उस का सब्स्टेन्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है। पूरा पढकर सुनावें।

श्री नारायणसिंह : मैंने जो लाइनें क्वोट की हैं उस पर से मैं समझता हूँ कि संविधान में भी जो लिखा है उसका भी जरुर यही आशय है। आर्टिकल २५ ए में से थोड़ासा इस प्रकार है कि "अन्त: करण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म को अबोध रुप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।" लेकिन इसमें आगे यह भी है कि ऐसी बातों में राज्य को व्यवस्थात्मक छूट होगी कि जहाँ धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक वित्तीय राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो। उन्होंने यह भी कहा था अपनी उसी रूलिंग में से कई चेजें का अर्थ निकालते हुये कोट किया था।

Under this Article any religious denomination or a section of it has the guarantee of right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes and to manage in its own way all affairs in matters of religion. तो जो संविधान की उत्तरोत्तर आगे बढती हुई धाराएं आती हैं उन्हे पढ़ने से इसका भी आशय साफ हो जाता है कि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आती है अथवा किसी आर्थिक व्यवस्था को कायम करने के लिये सार्वजनिक व्यवस्था की बात आती है तो वहां इन्टरफीयरेन्स विथ रिलीजन का प्रश्न नहीं उठता।

इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी ऐतराज किया कि इस विधेयक में जैन बौद्ध सिख इत्यादि दूसरे धर्मों को भी समावेश हिन्दू धर्म के साथ कर दिया है। वास्तव में यह समावेश किया ऐसा हमें नहीं मानना चाहिये। संविधान में आर्टिकल २५ (२) की व्याख्या में यह साफ लिखा है। "हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है।"

इस दृष्टि से वह संविधान के विरुद्ध कोई बात कर दी है ऐसा नहीं है। मैं आगे यह भी विश्लेषण करुंगा कि जैन धर्म जो आज माना जाता है वह वास्तव में सनातन वैदिक धर्म का अंश है और इस दृष्टि से यह धर्म भी मौलिक जो प्रेरणाएं लेता है वह उसी वैदिक धर्म से लेता है।

श्री मुलचन्द डागा : जैन धर्म कोई हिन्दू धर्म का अंश है यह गलत है।

श्री नारायणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि मैं हिन्दू धर्म का अंश जैन धर्म को मान रहा हूं। यह कतई गलत है। मैं बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को हिन्दू धर्म को प्राचीन सनातन वैदिक धर्म की शाखाएं मानता हूं जिसे

(श्री नारायणसिंह)

आर्य लोग यहां पर लाये और यहां के विभिन्न युग युग के सम्पर्क से जो स्वरूप उसका समय समय पर बना उसको मैं उसी का बदलता प्रवाह मानता हूं और उनमें से जो धर्म निकले उनमें हिन्दू धर्म भी है, जैन धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है। तो इस दृष्टि से....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरी समझ में नहीं आई बात। जैन राजपूत को परण जावे तो कौन अलहदा होगा, वह किस धर्म को मानेगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दीजिये साहब।

श्री नारायणसिंह : मैं सुन नहीं पाया अध्यक्ष महोदय। तो इस दृष्टि से यह धर्म पर कोई हस्तक्षेप करता है ऐसी बात नहीं लगती। संविधान की धारा २६ (घ) में भी लिखा है....

ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

तो इस प्रकार (यानी राज्य, को) यदि कोई कमी किसी आर्थिक अथवा समाजिक परिस्थितियों में नज़र आवे तो राज्य ने यह अपने हाथ में छूट रखी है कि उसकी सुव्यवस्था वह कर सके।

इसके अलावा यहां ओवर राइडिंग ऑफ कौन्सियश का भी प्रश्न उठाया गया। और रुलिंग में भी कौन्सियश के बारे में कुछ पढ़ कर सुनाया गया और बताया गया कि डोनर की कोन्शस आहत होता है। अन्तःकरण पर ठेस पहुँचने के प्रश्न को लेकर हम एक धर्म पर ठेस पहुँचाते है इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पहले हमको समझना होगा कि अन्तःकरण क्या है ? अन्तःकरण को तत्वज्ञानियों ने कई प्रकार से समझने की कोशिश की है। एक मनोतत्वज्ञ सी.जी.यूम ने एक बात कही है कि प्राक्तत दबे भावों पर ऐतिहासिक मानस प्रगति भूमिका की छाप एवं एक अज्ञात समीष्ट प्रेरणा ही है यह चीज़ हमारे अन्तः करण को बनाती है। तो इस दृष्टि से हम यदि देखे तो अतःकरण के भूमिकानुसार कई रूप हो जाते हैं यद्यपि मौलक रूप एक ही होता है। अब इस अतः करण को जानने के लिये अनेकों धर्मों ने अनेकों प्रकार के मार्ग लिये हैं। कुछ ने प्रतीकात्मक मूर्तिपूजा का भाव लिया है, कुछ ने भावनाओं को प्रोत्साहित करके भावनामय मार्ग से इसको प्राप्त करने का तरीका अपनाया है। इस दृष्टि से जैन और बौद्ध धर्म के बारे में कहा जा सकता है कि भावनाओं को प्रधान लेकर वे चले हैं पर जहां मूर्ति का सवाल आता है प्रतीकोपासना का सवाल आ जाता है। वहां भी कहना होगा देवता के प्रतीक में भावना मौजूद है। और जहां निरी भावना को प्रधानता है तो वह भी एक अमूर्त प्रतीक ही हो जाता है एक प्रकार से। तो उस कोन्शस के निर्माण में ही मूर्त प्रतीकात्मक अथवा भावनामय प्रतीक कोन्शस जो आधार है उसको प्रतिबिम्बित करने को आवश्यकता पड़ती है। आधार भूत कौन्शन्स का अस्पष्ट स्वरूप स्पष्ट करने के लिये उसे प्रतीक में प्रतिबिंबित करना होता है जैसा कहा भी है। " पूज्यकस्य तपोयोमात पूजनस्या ऽतियनात। अभिरूप्याच्चविम्बनी – देवों सनन्निध्य गच्छति ॥ " पूजक का जो तपोयोग है वह उसकी निष्ठा में पूरित एवं पोषितसाथ विम्ब प्रतीक इस प्रकार पूरक है जब ऐसे

Page No.45

(श्री नारायणसिंह)

बिम्ब अथवा प्रतीक में प्रतिबिम्बित होते हैं जिसमें " सत्य शिव सुन्दर " का पूर्णत्व हो जिससे सत्य सेवा सद्धर्म तीनों भावों की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे प्रतीक से जिस वस्तु सत्य का हम दिग्दर्शन करना चाहते हैं, जिससे कौन्शस के भाग को हम बाहर निकालना चाहते हैं वहीं देवस्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है।

तो इस दृष्टि से कोन्शस की तरफ जावेंगे तो इसको पहचानने के लिये जो प्रचलित की कई रूढ़ियों और प्रवृत्तियों की संशुद्ध करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब यह बात आती है कि आपके धर्म के बारे में, किस प्रकार का आपका धर्म है क्या उसका स्वरूप है इसको देखें तो राधाकृष्णन् की चेतावनी याद आ जाती है।

जिस समय धर्म निष्प्राण हो जाता है तो उस समय परम्परा और रूढ़ि मुई खाल की तरह हमारे व्यक्तित्व को जकड़ लेते हैं। इसमें हमारा व्यक्तित्व सिकुड़ सा जाता है। तो उन रूढ़ियों को धर्म समझ लें तो हम बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। वास्तव में धर्म का मौलिक स्वरूप अलग है जो जैन बौद्ध हिन्दू अथवा किसी धर्म से ऊपर है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय. इसमें रूढ़ि और धर्म की रूढ़ियों पर प्रवधान है क्या कि रूढ़ि हटाई जावेगी इस बिल में। धर्म की रूढियां, आडम्बर, रीति रिवाज पर बिल है या ट्रस्ट पर बिल है।

श्री नारायणसिंह : मैं केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इस बिल से धर्म में हस्तक्षेप की जो बात कही गई है वह सही नहीं है। यह उससे रिलेवेन्ट है। कोशल पर आघात की बात कही गई, उसी को लेकर उसी दृष्टि से मैं विश्लेशषण कर रहा हूं। तो उस मौलिक वस्तु सत्य को प्राप्त करने के लिये हमें कई प्रकार से विचार करना होगा। और आज तो मैं यह कहूंगा कि जहां धर्म का प्रश्न आता है और जहां थीज्म एन्टी थीज्म के बारे में कन्टेन्शन दिये जाते हैं। वहां धर्म के बारे मैं हमारी सारी भारतीय जो धर्म प्रणालियां हैं उनको हम गहराई में पैटकर अगर उनकी खोज करें तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हमारा धर्म तो ईश्वर से भी आगे बढ़ जाता है। ईश्वर की मान्यता को रखे या न रखें धर्म ईश्वर से भी एक प्रकार से प्रधान हो जाता है अथवा यों कहिये कि धर्म ही ईश्वर बन जाता है वेद वाक्य है "अयं हस्तो भगवान अयं नुभगक्तर " हस्त या हाथकर्म नियम के धर्म का ही प्रतीक है और जहां हाथ को भगवान ने बडा बना दिया निश्चत ही धर्म है धर्म को ईश्वरीय मान्यता से भी बड़ा मान लिया गया ऐसी चीज बन जाती है। जहां और धर्मों का अटेचमेन्ट का सवाल विधेयक की धाराओं में जो आती हैं वहां बिल्कुल ही परस्पर निराले धर्मों की बेजोड़े, जोड़ बैठ रही ऐसी बात नहीं। जिन धर्मों का यहां नामांकन है वे मैं समझता हूं सनातन संस्कृति से ली गई विचार धाराओं से अलग नहीं हैं। वास्तव में वह वैदिक सनातन धर्म उनकी भी संस्कृति की जड़ बुनियादी है। इस हिसाब से एक धर्म प्रतीक भावना से तो दूसरा भावना को प्रधान करके आगे बढता है। जो आर्य चल कर मध्य एशिया से आते हुए अथवा जो माइनर एशिया से आते हुए

(श्री नारायणसिंह)

मेसोपोटिमिया बेबीलोनिया से गुजरते हुए जो संस्कृति लेकर आये इस देश में और वहां मैं उनकी संस्कृति द्रविड़ और स्थानीय संस्कृतियों से मिली तो उस मिलान से जो स्वरूप बना वही आर्य धर्म शृंखला बन कर यहां फैला। हिंदू धर्म तो उसी का फौसिल मात्र है। युगान्तर में हमारे धर्म पर यवन या मुगल संस्कृतियों का कई और बाहरी संस्कृतियों का असर हुआ और उस असर की इतनी गहरी तह पर तह लगती चली गई कि जो मौलिक वैदिक संस्कृति थी। उससे कहीं अलग हिन्दू आदि धर्मों की रफ्तार हो गई है।

श्री रावल नरेन्द्रसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज वगैरह भी हैं वे भी शामिल होंगे या नही?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सब धर्मों का इतिहास बताया जा रहा है।

१० म० पू०

श्री नारायणसिंह : मेरे अर्ज करने का तात्पर्य यह था कि यदि संविधान के अन्दर जैन धर्म, सिक्ख धर्म और बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म से सम्बद्ध धर्म समझा गया तो इसमें कोई गलती नहीं हुई। यह वास्तव में जिस संस्कृति का आधार वेदों से हिन्दू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ उसी से उनका भी प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए उनके साथ उन उन को बताया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन हिन्दू और हिन्दू जैन हैं। यह तो अलग अलग शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म में भी महायान और हीनयान आदि मिलेंगे। इस प्रकार से मैं यदि कहूं तो सिक्ख धर्म भी उसी वैदिक संस्कृति के आधार पर निर्मित हुआ है। तो इस दलील के बाद में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज ऐसे कानूनों को लाने की आवश्यकता है या नहीं। अब एक बात तो यह भी उठाई गई कि कानून की मांग हुई क्या? हम केवल कानून की मांग शब्दों के रूप में हो उसी को मांग नहीं समझते। आज हमारे सामने जो मठों के अत्याचार या जो मिथ्याचार चल रहे हैं और जो उनकी धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है और उनके लिए जो जलीभुनी भावना समाज की है। उन सब भावनाओं को आज नज़र अन्दाज़ नहीं कर सकते, उनकी तरफ से हम आंख नहीं मीच सकते। तो इस दृष्टि से यह मांग है। हमें मानना पड़ेगा और उसी कारण आज हमारे सामने यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इस विधेयक की बिल्कुल शुद्ध भावना है। अब बात यह रह जाती है कि हम हर एक समाज के पहलुओं को कानूनों में जकड़ें या नहीं? जब समाज कुछ लंगड़ी सी हो जाती है जब समाज में विचार विज्ञप्ति हो जाते हैं और समाज संघर्ष हो जाते हैं और एक सही दृष्टिकोण उतावले में जब समाज लेने में सक्षम नहीं होता तो जो समाज के नेता हैं। उनका धर्म हो जाता है कि उस समाज को किस प्रकार से उन गुत्थियों से निकाल कर आगे बढ़ाये। उस दृष्टि से हमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं यद्यपि यह सही है कि कानून की मुई खाल में हमारी स्वच्छन्द प्रवृत्ति जकड़ जाती है और उससे जो हमारे स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास है वह भी सिकुड कर सड़ने की आशंका रहती है लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि रोग जब आगे बढ़ जाता है तो उस पर दवाई लगानी हो पड़ती है। अब इसके साथ ही साथ यहां यह भी प्रश्न उठता है कि इस कानून से कहां

Page No.47

(श्री नारायणसिंह)

कहां पर असर पड़ेगा जिनसे कुछ दूसरे जैन अथवा बौद्ध अथवा हिन्दू धर्म अथवा दूसरे धर्मों पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं यहां यह मानूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टि से इस विधेयक में कुछ कम विचार किया गया है। कई धर्मों की ऐसी संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय ही नहीं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हैं। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च की होली संस्था में सारे संसार का उस धर्म का अधिपत्य मौजूद है। जैन धर्म में भी अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, अन्दरदेशीय नहीं तो देशीय ऐसी व्यवस्थायें मौजूद हैं जो कि उनके धर्म में दिगम्बर और श्वेताम्बर आदि सर्वदेशीय धर्म नियम के व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें यहां यह देखना पड़ेगा कि इन धर्मों की जो मौलिक सर्वदेशीय संस्थाएं हैं उनको भी इस विधेयक में इस प्रकार की मान्यता मिले कि जिससे इस विधेयक के पास होने से उनकी नीति उनकी व्यवस्था की धारा में कोई रुकावट नहीं आये। हमारी जागरूकता केवल इन्हीं बातों पर होनी चाहिये कि उनकी मौलिक रीति नीति पर कहीं असर नहीं पड़ता हो, कहीं आर्थिक या दूसरी दृष्टि से ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं होती हैं जिनसे वह धर्म बदनाम हो रहा हो। जब जन कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमारे शासन को लेना हो तो यह जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है कि जनता का मानस और व्यक्तित्व भी निर्माण करें। उस दृष्टि से ऐसा विधान आवश्यक है। लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि कोई व्यापक संस्था है अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रीय अथवा देशीय जो संस्थायें हैं उनका भी इसमें पूरा विचार रहे। इसके साथ ही साथ यह भी प्रश्न यहां उठा था कि गुप्त दान अगर कोई देगा तो उसका क्या होगा, कोई धर्मादा दिया जायेगा उसके बारे में क्या व्यवस्था होगी। अगर धर्मादे के बारे में भी स्पष्ट हो जाये कि जो धर्मादा दे वही ट्रस्टी माना जाये। ऐसी परिस्थिति बन जाये तो जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम कीड़ियों को अथवा चींटियों को धर्मादा देते हैं तो वह तो उसकी ट्रस्टी नहीं बन सकती। इस प्रकार से कई धर्मादा के ऐसे कार्य होते हैं जिनमें गुप्तदान का भी प्रश्न आ जाता है और दूसरे प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं जो बिल्कुल सार्वजनिक संस्थाओं से परे की बात होती हैं तो उसकी भी गुंजाइश इस विधेयक में करने की आवश्यकता है। गुप्तदान और धर्मादा इनको विशेष दृष्टि से देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इन चैपटर्स में देखता हूं कि वह विशेष दृष्टि कुछ कम रखी गई है। यह भी प्रश्न आयेगा जिस प्रकार से अभी एक माननीय सदस्य पाली से आने वालों ने काफी जैन धर्म के बारे में कहा था और उन्होंने कहा था कि जैन उपाश्रय आदि हैं उनकी व्यवस्था का क्या होगा? यह ऐसी बात है कि दिगम्बर अथवा श्वेताम्बर साधु सतत चलते रहते हैं उनकी कोई सम्पत्ति नहीं होती है, उनके मन्दिर नहीं होते हैं, उनकी कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं होती है, जिस प्रकार से दूसरे धर्मों में होती है। उनके लिए तो केवल एक उपाश्रय पर पहुंचना और वहां के स्थानीय जैनों द्वारा स्वागत किया जाना, उनके रहन सहन की व्यवस्था वहां किया जाना बस इतना ही होता है। इसे उस दृष्टि से भी देखना होगा कि उनके उपाश्रय आदि में ऐसी तकलीफ न हो जाये कि जिससे उनके स्वागत आदि में कोई बाधक

(श्री नारायणसिंह)

परिस्थिति उत्पन्न हो जाये । तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा ।

अब मैं आगे इस विधेयक में जो बोर्ड के गठन का प्रश्न आता है जो रीज़नल कमेटीज़ के गठन का प्रश्न आता है उस पर कुछ कहना चाहूँगा । इसमें जो बोर्ड बनाया गया है वह सारा का सारा सरकार द्वारा नामज़द होगा और उसके अध्यक्ष भी नामज़द होंगे और रीजनल कमेटीज़ का भी वही स्वरूप होगा । यह स्थान स्थान पर एडवाइज़री बोडी की तरह काम करेंगी जिनकी रिकमन्डेशन बहुत अहमियत रखेगी । मैं यहां यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जहां यह कहा जा रहा है कि हम आर्थिक व्यवस्था से भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । शायद जो मौलिक दान दाता का भाव है उसमें अतिक्रमण होने की आशंका हो जाती है तो उस दृष्टि से भी इन बोडीज़ के गठन की ओर विशेषतया ध्यान आवश्यक है । मैं चुनाव पद्धति को फिर भी वहां पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं समझता । लेकिन फिर भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि कुछ ऐसी पद्धति बैठाई जाये जिससे बिल्कुल ही सरकारी नामजदगी का नाम न आये और जो उसका ही अध्यक्ष महोदय उसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा जाये या जो बोर्ड बने उसके द्वारा चुनाव की कोई व्यवस्था रखी जाये । इस प्रकार की परम्परायें रोमन कैथालिक व्यवस्था में भी हैं । आज जो पोप इलेक्ट होता है उसकी व्यवस्था भी हम जानते हैं और जिस प्रकार से रोमन कथोलिक चर्च का बन्दोबस्त होता है वह भी हम जानते हैं कि वह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय होते हुए भी किस प्रकार से रोम तक उसकी शिखरस्थ सार्वजनिक व्यवस्था होती है । वहां भी चुनाव इत्यादि का प्रावधान रखा गया है ।

श्री शिवचरणदास : पोप का भी किसी विधान सभा ने कानून बनाया है ?

श्री नारायणसिंह : पोप स्वयं विधान बनाने वाला है । वह सोवरन राइट्स वाला है । इसलिए उसका विधान राज्य के विधान के बराबर होता है । ऐसी व्यवस्था हमारे धर्मों में नहीं है । तो जो पोप इलेक्ट होता है वह भी कॉलिज ऑफ आर्क बिशप से होता है । तो उससे प्रेरणा लेकर हम बोर्ड और रीज़नल कमेटीज़ के गठन की ओर कदम उठायें ।

अब चैप्टर २ जो है वह इस विधेयक की इन्नोसेन्सी को पूरी तरह साबित करता है । उसमें validity of certain Hindu public trusts के नाम से कुछ धारायें रखी गई हैं । उसमें यह साफ़ लिख दिया गया है कि अगर किसी खास पर्पज़ के लिए ट्रस्ट बना है उसका पर्पज़ अन्‌असरटेनेबल और ऑब्जेक्ट्स अन्‌असरटेनेबल भी है या which are charitable and religious and which are not shall be deemed to be void etc. यानी ऐसी संस्था भी वोयड करार नहीं कर दी जावेगी तो इस प्रकार बातें कह सकते हैं इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि धर्म के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की विधेयक की कतई मंशा नहीं है । यद्यपि मैं मानता हूं ऐसा विधेयक आता है तो उन व्यवस्थाओं में ऐसी कार्यवाही जिसकी वास्तविकता स्थान स्थान पर आ सकती हो करने की आवश्यकता है । फिर भी आज की परिस्थितियों में यह जो चैप्टर २ है वह भी ठीक है, और वह और अधिक इस बात को साबित करता है कि इस विधेयक

(श्री नारायणसिंह)

की मंशा धर्म में हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि केवलमात्र अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से बिठाने की है। यह उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में साफ कहा है। "...for the management, investment and alienation of trust properties, and for the maintenance and audit of trust accounts." तो मैं समझता हूं कि माननीय पूर्व वक्ताओं ने यह दलील उठाई थी कि यह बिल संविधान के प्रतिकूल होगा। तो इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के साथ इन धाराओं के अवलोकन के बाद और संविधान की संबंधित धाराओं के अवलोकन के बाद हमारी यह शंका रहने की आवश्यकता नही है। इस बात पर मैं जरूर जोर दूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में दिया जाना चाहिए ताकि जो मौलिक संशोधन मैंने बताये हैं गुप्तदान के बारे में, धर्मादे के बारे में, जो अन्तर्राज्यीय या देशीय जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनके विचार रखने के बारे में, जैन उपाश्रयों के बारे में, जो शंकाएं उपस्थित हो सकती हैं उनको दूर करने के लिए और उनकी एक साफ व्यवस्था करने के लिए इस सदन में बैठकर विचार नहीं कर सकते हैं वह एक प्रवर समिति द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मैं इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

इसके बाद जो यह सवाल उठाया गया कि हमारे अन्तःकरण को ठेस पहुंचेगी, इस बात से हमारी कान्शस के ऊपर एक बलात्कार होगा, मैं समझता हूं कि यह मान्यता बिल्कुल निराधार है। हमारा अन्तःकरण बहुत ही व्यापक वस्तु है। उस अन्तःकरण को ठेस पहुँचाने के लिए आज मैं कहूंगा कि धर्म की कड़ी रूढ़ियों से उन्हें अधिक ठेस पहुँचती है। इसीलिए हम देखते हैं कि धर्म की तरफ जनता की अन्यमनस्कता होती चली जा रही है। उस ठेस को जब हम नहीं हटा सके हैं वहां दूसरी ठेस की दुहाई देते हैं तो वह एक प्रकार से आत्मवंचना होगी, आत्मा को धोखा देना होगा, एक तरह से आत्मप्रवंचना होगी। इस दृष्टि से मैं अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति में यह बिल जरूर दिया जाय, लेकिन पब्लिक सर्क्यूलेशन के लिए इसको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस विधेयक की यों आवश्यकता बहुत है। इसको जरूर पास किया जाना चाहिए, लेकिन प्रवर समिति के बाद में।

श्री रघुवीरसिंह जावली (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल पर तीन दिनों से वाद विवाद कर रहे हैं और उस वाद विवाद के अन्तर्गत कई धर्मों के प्रवचन भी हुए और शास्त्रार्थ भी हुए। मैं निवेदन करूं कि पहले कुछ मौलिक सिद्धान्तों के विषय हैं कि जिन पर हमको विचार कर लेना चाहिए। हमें देखना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हममें कानून बनाने की पॉवर जो है उसको कहां से ड्रा करते हैं? फाउन्टेन ऑफ पॉवर जिससे हम कानून बनाते हैं वह क्या है? जिससे कि आज हम सब तरह के कानून बना रहे हैं। हम टैक्सेज़ भी लगा सकते हैं, और आज हम हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल पर भी विचार करने बैठे हैं। वह कौन सी शक्ति है जो यह ताकत हमें प्रदान करती है कि हम ऐसे कानून बना सकें? अगर विचार किया जायगा तो यही कहना पड़ेगा कि हमको पब्लिक का, जनता का विश्वास प्राप्त है, और जनता ने हमको

(श्री रघुवीरसिंह)

अपना विश्वास उन वोटों के नाम पर दिया, और उन वोटों के रूप में दिया है जो कि हमको प्राप्त हुए हैं और जिनके कारण से हम यहां आकर बैठे हैं, और क्लेम करते हैं कि जनता के लिए कानून बनाने का हमें अधिकार हो गया, हमें जनता के लिए लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार हो गया।

तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो अधिकार हमको प्राप्त हुआ है उस अधिकार से उतना अधिकार या उससे कम या उससे अधिक उन लोगों को भी प्राप्त है जिनके लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि हमको जनता ने अधिकार दिया है कि हम टैक्स लगा सकते हैं और कानून बना सकते हैं, लेकिन जनता का जो विश्वास इन संस्थाओं के प्रति है। उनका एक प्रतीक यह है कि बिना किसी भी पूछताछ के बिना यह जाने की इस सम्पत्ति का क्या होगा, वह सम्पत्ति उनके अर्पण कर देती है। तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि उन संस्थाओं को, उन धार्मिक ट्रस्टों को इस तरह से अधिक विश्वास प्राप्त है। वह यह नहीं देखना चाहते हैं, वह यह नहीं पूछना चाहते हैं कि इस द्रव्य का, इस सम्पत्ति का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। वह यह मानकर चलते हैं कि इन संस्थाओं के हाथ में संपत्ति देने की जो अर्थव्यवस्था बिठा रहे हैं उसका सदुपयोग ही होगा। उनकी धारणा यही है। ऐसी उनकी धारणा है, और यही जनता समझती है। तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारे मुकाबले में उन संस्थाओं के प्रति लोगों की अधिक आस्था है, उन लोगों का इन संस्थाओं के साथ इस तरह से अधिक विश्वास प्राप्त है, और यदि अधिक विश्वास प्राप्त है तो ऐसी संस्थाओं के लिए कानून बनाया जाय, ऐसी संस्थाओं के उस विश्वास का दुरुपयोग करवाया जाय, यह चीज़, मेरे ख्याल से, कहां तक न्यायसंगत होगी ?

इसके अतिरिक्त अब देखना यह है कि कहा यह जाता है ? इसके लिए कानून बनाने के लिए, इसके लिए लेजिस्लेशन करने की, विधान बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि यह जो द्रव्य, संपत्ति ट्रस्टों के नाम पर दी हुई है, उन ट्रस्टों के नाम जो सम्पत्ति दी जा रही है उसका मिसयूज़ हो रहा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो कहने वाले लोग हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या वह ठीक काम में नहीं लाई जा रही है, उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं कि यह जो ४० करोड़ का प्रन्यास, ४० करोड़ का ट्रस्ट आपको दिया हुआ है आप छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि उसका सदुपयोग कर रहे हैं और इसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आज मैं तो यह कहता हूं कि वह संस्थाएं तो केवल उसी संपत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं या करते हैं या कराई जा सकती है या कर रहे हैं जो कि उनको दी हुई है, लेकिन आपके और मेरे दुरुपयोग की सीमा यहां तक पहुँच चुकी है कि एक अरब का क्रेडिट करके उसका दुरुपयोग कर डाला तो यह कैसे माना जाय कि हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमें क्या अधिकार हैं कि दूसरों को दुरुपयोग करते हुए रोकें ..

श्री किशनसिंह बाट्ड (लछमणगढ़): वह रुपया देश के विकास में लग रहा है उसको दुरुपयोग कैसे कह सकते हैं ?

श्री रघुवीरसिंह : देश का विकास कितना हुआ यह देश की बाद में आयन्दा आने वाली पीढ़ी ही बतलायेगी कि सदुपयोग किया दुरुपयोग किया। जिस विकास के लिए आप कह रहे हैं उसके लिए बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट की है कि जो कुछ डवेलपमेंट ब्लाक्स के नाम पर खर्च किया है उसका कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न ही नहीं हो रहा है बल्कि वे कहते हैं कि जनता ने इसको अपनी चीज़ नहीं समझा है। उसके आधार पर आज सारी स्कीमें बदली जा रही हैं। क्यों बदली जा रही हैं? इसलिए जो लक्ष्य थे जनता में भावना पैदा करना कि अपनी उन्नति खुद करें, सेल्फ हेल्प की भावना पैदा करना था वह नहीं कर सकें। मैं तो यह कहता हूं कि मेहता टीम की जो रिपोर्ट है वह इस बात का प्रमाण है कि आपने पैसे का दुरुपयोग किया, और आप कहते हैं कि जनता को शामिल कर लें और जनता के नाम पर इसको थोप दें कि इसका दुरुपयोग हमने नहीं किया और जनता ने दुरुपयोग किया है।

मैं निवेदन करूंगा कि आपकी अनेक संस्थाएं हैं, अनेकानेक ट्रस्ट हैं जैसे खादी उद्योग बोर्ड है, खादी संघ जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है, भारत सेवक समाज जिसके आगे लिखा हुआ है, सर्वोदय समाज के नाम से दूसरा है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरह के ट्रस्ट और मठ बना रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि उन मठों और ट्रस्टों में क्या आप यह कह सकते हैं कि जितना पैसा जाता है उसका सदुपयोग ही होता है। उसमें ४०६ और ४२० के मुकद्दमें नहीं चलते हैं। कल ही उसका केस पुलिस वालों ने चालान किया है। जल बोर्ड के सम्बन्ध में मेरे ख्याल से हर एक जिले में कुछ न कुछ झगड़ा हुआ कि पैसों का दुरुपयोग हुआ और ४२० और ४०६ के फौजदारी मुकद्दमें चलने की नौबत आई। यहां तक हुआ कि रोज़ की आपकी लड़ाई चलती रही।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे धन का दुरुपयोग होता है, सारी सम्पत्ति भ्रष्ट होती है, यह मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। जितने पर्सेन्टेज का दुरुपयोग उसमें है उससे अधिक पर्सेन्टेज का दुरुपयोग हमारे हाथ में जो द्रव्य दिया हुआ है, हमारी सरकार को जो द्रव्य दिया हुआ है, हमारी सरकार के हाथ में जो पॉवर्स दिये हुए हैं, उनसे कम दुरुपयोग वहां का होगा। ऐसी स्थिति में यह निवेदन करूंगा कि हमको कोई अधिकार नहीं है, जब हम कहते हैं, हमारी कानी आंख है तो दूसरों के लिए कहें कि तुम्हारी कानी आंख है। जब कि खुद ही दूसरों के बराबर काने हैं तो दूसरों को कहने का प्रश्न नहीं है कि हम सदुपयोग करते हैं और दूसरे दुरुपयोग करते हैं, हम और वे दोनों ही दुरुपयोग करते हैं। जनता जनार्दन सबसे बड़ी कसौटी है। अगर जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो आप से आप ट्रस्ट बंद हो जायेंगे। आप यहां से ६ मील दूर गलताजी का हाल देखिये। किसी समय वहां सैकड़ों हजारों मूर्तियां रहती थी लेकिन आज वहां पर एक कौआ भी नहीं उड़ता, क्या कारण है इसका? क्योंकि वे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके इसलिए बंद हो गये। तो जो ट्रस्ट जनता का विश्वास प्राप्त नहीं करेंगे वे अपने आप मिट जायेंगे। आप कानून बनावें तो क्या और न बनावें तो क्या, अगर जनता का विश्वास नहीं है, तो जिन्दा नहीं रह

Page No.52

(श्री रघुवीरसिंह)

सकते। यहां पर जो कहा गया है कि सरकार धर्म और मर्यादा में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन आपका जो यह कानून है उसमें सारे प्रिवलेजेज, कंट्रोल और ताकत आपने अपने हाथ में रखी है। संपत्ति का ट्रस्ट हम बनावेंगे और कंट्रोल हम रखेंगे और क्योंकि हम धर्म के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते इसलिये ऐसा कानून नहीं बनाते जिससे इनका प्रबन्ध हमारे हाथ में हो। लेकिन उसकी जो आय है जिसके ज़रिये से प्रबन्ध चलाया जाता है उस सम्पत्ति पर आप कंट्रोल करते हैं तो वास्तविक कंट्रोल आपही का होगा। किसी मंदिर, मठ या धार्मिक स्थान की संपत्ति को आपने किसी बैंक में जमा करा दिया उसकी आपने सीक्योरिटीज खरीदली और क्योंकि आपने उस धन से सीक्योरिटीज खरीद ली हैं, आपको रुपये वक्त पर नहीं मिल सके और मंदिर के लिए मरम्मत की आवश्यकता है और उसके लिए रुपयों की जरूरत है तो आपका जवाब होगा कि रुपये इस वक्त नहीं मिल सकते। नतीजा यह होगा कि मन्दिर या मठ टूट जायेंगे और मन्दिर की सेवा पूजा खत्म हो जायगी।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपका एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा? प्रबन्ध तो उसके हाथ में है नहीं। उसके लिए तो कोई फाइनेन्शियल एडवाइजर हो सकता था कि फलां बैंक में या फलां सीक्योरिटीज के रूप में या फलां कारोबार में रकम को इन्वेस्ट कर दीजिये। इतना सा ही तो उस कमेटी का काम है, और कोई काम तो इस बिल में नजर नहीं आता। संस्था के प्रबन्ध या चलाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं, संस्था चले या कल बंद हो जाय, इसके लिये सरकार जवाबदेह नहीं है। इसके लिये जवाबदेह होंगे ट्रस्टीज या महन्त जो आज भी काम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है हम सुप्रबन्ध करने जा रहे हैं। तो सुप्रबन्ध कहां से हो जायगा जब कि आप प्रबन्ध की जिम्मेदारी नहीं लेते, प्रबन्ध करने का अपना अधिकार नहीं समझते तो सारी संपत्ति अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं और उसको अपने भाग्य पर क्यों छोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से चला सकते हो उसी तरह से चलाओ तो यह न्याय की बात नहीं है।

अब मैं यह अर्ज करूंगा कि एक बहुत बड़ी अड़चन धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप मन्दिरों पर टैक्स लगाना चाहते हैं। मुसलमानों ने भी ज़जिया कर लगाया था लेकिन मन्दिरों पर नहीं लगाया था, यात्रियों पर लगाया था। लेकिन आज आप ठाकुरजी पर टैक्स लगाना चाहते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ठाकुर जी यदि राजस्थान में रहेंगे तो टैक्स देंगे।

श्री रघुवीरसिंह : आप जैसे विधायक जब यहां मौजूद हैं तो उनको देना पड़ेगा। एक ठाकुरजी कांकरोली वाले थे वे चले ही गये। तो मैं निवेदन करता हूँ कि शायद मुसलमानों के राज्य में या अंग्रेजों के राज्य में भी या देशी राजाओं के राज्य में ऐसा समय कभी नहीं आया जब कि भगवान पर टैक्स लगाया हो।

श्री अध्यक्ष : यह ठाकुरजी पर टैक्स नहीं है। मन्दिरों पर है।

श्री रघुवीरसिंह : मन्दिरों पर जो टैक्स है वह ठाकुरजी पर ही है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री रघुवीरसिंह : पांच रुपयों में रजिस्ट्रेशन होगा तो यह टैक्स ठाकुरजी पर ही है। रजिस्ट्रेशन फीस भी टैक्स ही है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर ऐसी परम्परा डाल रहे हैं, ऐसी चीज हाथ में ले रहे हैं जिससे मैं कहा हूँ कि मेरे दिल में बड़ा रंज पैदा होता है। मन्दिरों पर टैक्स लगेगा यह बहुत बड़ी घातक बात है। जो धर्म में समझने वाला है उसको तो रोष आना ही

१०.१८ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

है। इसलिए यह जो टैक्स लेने और रजिस्ट्रेशन करने की बात है वह घोर अधार्मिक बात है जो आज तक हुई नहीं। एक तरफ तो आप अपने आपको कहते हैं कि यह सेक्युलर स्टेट है, धर्म से हमको कोई मतबल नहीं है और दूसरी तरफ सारी धार्मिक व्यवस्था को और धर्म के नाम पर जो साधन हैं उनको अपने हाथ में ले रहे हैं। यह आपका कौनसा धर्म निरपेक्ष राज्य है, यह कैसा सेक्यूलर स्टेट है, यह समझ में नहीं आता। आपके विधान के अनुसार और समय समय पर की गई आपकी जो घोषणाएं हैं उनके विपरीत ये सारी बातें हैं। आप हमारे धार्मिक स्थानों पर हस्तक्षेप करें और हमारे ठाकुरजी पर टैक्स लगावें यह न तो कानून की बात है और न न्याय की बात है। साथ ही हमें यह देखना है कि इसके बावजूद भी धार्मिक स्वतंत्रता रह कौनसी जाती है। आप कहते हैं कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता यह रह गई है कि घर में बैठ कर कृष्ण का नाम लेना चाहूँ तो ले सकता हूं या राम का नाम लेना चाहूं तो ले सकता हूँ। लेकिन अगर कृष्ण मेरे आराध्यदेव हैं और उनकी मूर्ति स्थापित करता हूँ या उनकी चरणों में कुछ अर्पित करता हूं तो झट से राज्य का टैक्स कायम हो जाता है तो क्या इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती या यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कहलाता मैं यह कहूंगा कि यह बड़ा भारी हस्तक्षेप है क्योंकि धर्म के नाम पर कोई दो पैसे नहीं खर्च करने देना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या अंधेर और अत्याचार होगा। मैं कहता हूँ कि रावण के राज्य की प्रशंसा करने के लिये उसने राक्षसों से कहा था कि कौनसी चीज़ है....

डॉ० बहादुरसिंह : यहां तो रामराज्य स्थापित हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उसे तो गांधीजी ने स्थापित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : रामराज्य अच्छा आदर्श है जो रावण राज्य को बन्द कराता है।

श्री रघुवीरसिंह : रावण ने जो आदेश दिया था या हुक्मनामा जारी किया था, मैं समझता हूँ यह आपका कानून भी उसी तरह के हुक्मनामें का कानून होगा। आप यह कहते हैं....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इसका परिणाम क्या होगा....

श्री उपाध्यक्ष : सद्भावना पैदा होगी....

श्री रघुवीरसिंह : जो सांस्कृतिक संस्थायें हैं, आपका अर्थ यह है, मतलब यह है कि सबको लिक्वीडेट कर दिया जाय, जिससे कि जो कुछ आज विरोध करने की ताकत है, जनता में, धर्म के नाम पर संस्कृति के नाम पर, आचार व्यवहार के नाम पर, आज जनता को साथ ले सकते हैं, जनता में प्रचार कर सकते हैं, उन साधनों को आप हथियाना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि धर्म करने वालों के साथ जैसा रावण ने किया, अगर धर्म, दान, तप होता रहेगा तो राक्षस धर्म का प्रचार नहीं होगा, इसलिए जो धर्म के मंदिर हैं, उन मंदिरों को बन्द कर दिया। इसी तरह से मैं समझता हूँ आप कर रहे हैं। आप चाहते हैं। कि जनता के हाथ में किसी तरह की ताकत न रहे, जिससे खिलाफत कर सके। इसमें प्रोविज़न रखें हैं, उनमें यह है कि जो मट मन्दिर हैं, उनमें से जिनको सरकार चाहे, उनको मुक्त कर सकती है। वे मन्दिर वही होंगे जो वास्तव में कांग्रेस के मन्दिर होंगे, वे भगवान के मन्दिर नहीं होंगे, वे कांग्रस के मन्दिर होंगे, वे ही मुक्त किये जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो यह कानून लाई है, अगर सरकार चाहती है कि सरकार धर्म निरपेक्ष है, धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है तो यह कानून जैसा है, वैसा ही इसे वापिस लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसा कानून राजस्थान की स्टेटूअरी बुक पर एक कलंक होगा। बाद की भावी जनरेशन और हिस्ट्री के लिए, आज के जो विधायक हैं, उन पर बड़ा भारी कलंक है। सस्कृति खत्म करने की बात वैसी है, कि आप जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट कर फेंकने की योजना बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा भगवान हमारे मन्त्री जी को, हमारी सरकार को ऐसी सदमति दे कि वे कानून को वापिस ले लें। मैं कहता हूँ कि व्यास जी का नाम, जो कि धर्म के एक तरह प्राण हैं, के द्वारा इस कलयुग में धर्म का प्रचार होता है, आप व्यास जी के वन्शज हैं, उनके नाम से आज व्यवस्था कर रहे हैं....

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे गौर से सुने रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने नाम पर ध्यान देंगे और ध्यान देकर इस समय किसी तरह इस कानून को पीछे ले लेंगे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसका जनता के ऊपर, जनता की भावनाओं के ऊपर एक ऐसा असर होने वाला है क्योंकि अब डेमोक्रेसी के नाम पर चल रहे हैं, आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमने स्थापित की है, हम जनतन्त्र चला रहे हैं, हमने राजतन्त्र को खत्म कर दिया है। मैं कहता हूं यह कौनसा जनतन्त्र है, जिसमें जनतन्त्र से बनी हुई भावना को खत्म कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो धर्म संस्थायें हैं, वे बिल्कुल शुद्ध डेमोक्रेटिक संस्थायें हैं, जिनमें जनता की भावना रहती है, आस्था रहती है। ये संस्थायें एक दिन नहीं चल सकती थी, एक दिन में बन्द हो जाती, अगर यह भावना न होती आस्था नहीं होती। मैं कहता हूँ ये शुद्ध डेमोक्रेटिक संस्थायें हैं, उन्हें आप डेमोक्रेसी के नाम पर खत्म करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा अत्याचार इससे ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा दुष्टाचार, इससे ज्यादा राक्षसाचार दुनियां में नहीं हो सकता (शेम, शेम) इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस कानून को वापिस ले ले क्योंकि यह डेमोक्रेसी

(श्री रघुवीरसिंह)

के लिए खतरा है। मैं कहता हूँ कि इस कानून को बनाने से डेमोक्रेसी को मिटाने जा रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की जड़ खोद रहे हैं। इस तरह लोगों की भावनाओं को कुचला, लोगों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया तो वह दिन दूर नहीं है जब डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जायगी। इसलिए भारत वर्ष को जो डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा और कलंक ला रहे हैं। यह आपके हाथ में हैं, आप उसको दूर कर सकते हैं। इस लिए मैं निवेदन करूंगा, आपको, आपके थ्रू सरकार से और सरकार के प्रतिनिधि राजस्व मन्त्री जी से कि इस समय आप जनता की भावनाओं को इस प्रकार न ठुकराये, इस तरह जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कीजिये, आप कृपा कर इस कानून को वापिस ले लें, अच्छा इसी में हैं वरना इसका नतीजा बहुत भयंकर होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूद विधेयक को जनता के लिए प्रसारित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका तो मैं विरोध करता हूं। मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी मान्यता है कि जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं, वे जनता के प्रतिनिधि हैं, उस करोड़ों जनता के प्रतिनिधि हैं, एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी से चुन कर आये हैं और उनकी जो आवाज होती है, मैं समझता हूं वह जनता की आवाज होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : करोड़ों जनता से चुन कर एम. एल. ए, नहीं आये।

श्री शंकरलाल : क्या कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कुछ नहीं कहा। जारी रखिये।

(हंसी)

श्री शंकरलाल : मेरी मान्यता है कि जो हम निर्णय करते हैं, वह जनता का निर्णय होता। जहांतक इस सम्बन्धित बिल का प्रश्न है, वह जनमत के लिए गजट में प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद विधान सभा में आया। इसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि किस स्थिति में यह पास नहीं हो सका, लेकिन इस पर डिस्कशन हुआ है। प्रश्न यह है कि धर्म की आवाज लगाई जाती है सदन में, यह धर्म को नष्ट करने वाला है और धर्म पर आक्षेप करने वाला है क्योंकि धार्मिक संस्थायें सरकार के हाथ में लेने जा रही है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसके विपरित इस बिल का उद्देश्य है। जैसा कि हमारे धर्म में कहा गया है कि जिस समय धर्म की ग्लानी होती है, उस समय भगवान अवतार लेते हैं। मैं समझता हूं मौजूदा समय के अन्दर जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो हमारे प्रजातन्त्र के युग में जो कानून पास होते हैं, यह कानून भगवान के रूप में अवतार लेते हैं और जो धर्म की ग्लानी होती है उस को रोकते हैं। आज उस संस्थाओं, आज उन धार्मिक संस्थाओं....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : क्या आप धर्म के पिता बन रहे हैं अभी।

(हंसी)

श्री शंकरलाल : उन संस्थाओं, उन चेरिटेबल एन्डोमेंटस की जो हालत है, आप

(श्री शंकरलाल)

स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके धन का दुरुपयोग होता है, उनके फंड को निजी उपयोग में लाया जाता है। मैं मानता हूं कि जहां तक हो, धर्म संस्था अपने आप चलनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि उनके अन्दर सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये और जहां तक सम्भव हो, नहीं भी होना चाहिए लेकिन स्थिति तो दूसरी है। आज हमारी संस्थायें है और एन्डोमेंट्स हैं, उनकी स्थिति क्या है ? जिस समय ये संस्थायें कायम हुई, मठ मन्दिर कायम हुए, धर्म के नाम पर फंड इकट्ठा हुआ, उस समय क्या स्थिति थी ? उस समय वह जो धर्म के ट्रस्टी होते थे वे धन का सदुपयोग करते थे हमारी अस्था थी, वह ठीक थी। जिस समय जिस वक्त ये संस्थायें कायम हुई, उनकी जो स्थिति थी, वह आज नहीं है, यह सब स्वीकार करते हैं। जब उस समय अच्छी स्थिति थी, उस समय राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था और न आवश्यकता थी लेकिन आज देखते हैं कि मन्दिर और मठ हैं, उनके साथ जो मठाधिकारी हैं, जो धर्म के ट्रस्टीज़ हैं, वे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं स्वयं जानता हूँ कि वे किस प्रकार उसे निजी सम्पत्ति बना रहे हैं, निजी मकान बना रहे हैं और पट्टे अपने नाम पर करा रहे हैं। जब से इस ट्रस्ट बिल का डर हुआ, काफी ऋण हुआ, काफी समय हुआ, तब से काफी सम्पत्ति व्यक्तिगत बना ली है। मैं समझता हूं कि आज डेमोक्रेसी के अन्दर यह सबसे ज्यादा चीज़ खटकती है, वह यह है कि इसमें डिले होती हैं। जब यह आवाज हुई कि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल आने वाला है, उसमें से बहुत सी सम्पत्ति इन संस्थाओं के ट्रस्टियों ने अपने व्यक्तिगत नाम से ले ली। जैसे सीलिंग का कानून है, जो सीलिंग का कानून बनने जा रहा है, एक सीमा निर्धारित होने जा रही है तो आज देखते हैं कि बहुत सी जमीन हस्तान्तरित की जा रही है, रिश्तेदारों को दी जा रही है और एक वातावरण तैयार किया जा रहा है जिससे कानून का मकसद पूरा न हो। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमको इस पब्लिक ट्रस्ट बिल को ज्यादा डिले नहीं करना है जनमत के लिए प्रसारित करके, यदि इस बिल के मकसद को हल करना है तो क्योंकि जब से यह बिल का नाम सुना गया उसके बाद से बहुत से ट्रस्टियों ने, लोगों ने निजी सम्पत्ति बनाली और बहुत सी जगह बनी भी हैं। मैं बताऊं जब भावना उनकी इस प्रकार की है, जो धर्म के ट्रस्टी हैं, वे व्यक्तिगत पूंजी बना रहे हैं, तो कैसे इसे धर्म के नाम पर जाने दें। आज धर्म का भाव रहा नहीं, धर्म में दुर्व्यवस्था हो रही है, उसको रोकना है। तो मैं समझता हूँ कि जनतन्त्र की सरकार का एक ही कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को रोका जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। इसलिए मैंने इस कानून को भगवान का अवतार कहा। प्रश्न यह है कि जिस तरह का यह बिल पेश किया है, उसी प्रकार इसे पास कर दिया जाय, उसके लिए मेरा दूसरा मत है। मैं समझता हूं इस कानून को वास्तव में प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये वह इसलिए करना चाहिये कि जो कानून है और जैसा इसका नाम है हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल। यह कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून वक्फ बना हुआ है, ठीक है लेकिन दूसरे धर्म के लिए यह लागू होगा ? जो दूसरे लोगों के लिए होते हैं और जब हमारी सरकार सारे

(श्री शंकरलाल)

ट्रस्ट को कन्ट्रोल करना चाहती है तो इसका नाम हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट न होकर इसका नाम केवल पब्लिक ट्रस्ट बिल ही होना चाहिये । हमारे हिन्दू धर्म के लोगों के दिल में यह गलत फहमी होती है कि यह बिल क्यों लाया जाता है । मैं समझता हूँ कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जावे । लेकिन इसका नाम हिन्दू ट्रस्ट बिल न रखा जाये और पब्लिक ट्रस्ट बिल रखा जावे । जिससे किसी को किसी प्रकार की शंका ही न रहे अन्यथा लोग कहते हैं कि यह केवल हिन्दुओं के लिए ही क्यों होता है । आपने इसमें आगे चल कर सिक्ख और जैन का नाम भी शामिल किया है । मैं यह कहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत से धर्म हैं जो अपने नाम पर इसका दुरुपयोग करेंगे । इसमें कई प्रकार के धर्मों के नाम नहीं है । जब मुसलमानों के लिए अलग वक्फ का कानून है तो दूसरे सभी धर्मों के लिए आप व्यवस्था करना चाहते हैं और जो अव्यवस्था है उसको रोकना चाहते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना जरूरी है । इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार को इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये और कहना चाहिये कि जब तक उन पर सरकार का सुपरवीज़न रहेगा जब तक संस्था खुद उसका उसी तरह से प्रबन्ध न कर सके जैसा कि प्राचीन समाज में था । जिसमें हमें सेटिस-फेक्शन हो जाए और बाद में सरकार जब ऐसा समझे कि हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं । तो उनको मैंनेजमेंट उनके हाथ में वापिस दे देना चाहिये । हमेशा के लिए ट्रस्ट बिल रहे और सरकार की ही व्यवस्था रहे मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा । मैं समझता हूं कि जो भी दुरव्यवस्था हमारी धार्मिक संस्थाओं की है उसके लिए ऐसा बिल लाया जावे जो मौजूदा दुरावस्था है उसको रोक कर धीरे धीरे ऐसी स्थिति का निर्माण करें कि जब सरकार यह सोचे कि यह संस्थाएं अपना अपना काम खुद चला लेगी तो उनको वापिस मैंनेज़मेंट दे दे । इसलिए मैंने सुपरवीजन का शब्द काम में लिया था । इसके लिए आगे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन होगा । एसिस्टेन्ट कमिश्नर, या कमिश्नर होगा और फिर इसमें यह लिखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनेंगे । मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि कभी कभी रूल्स इस प्रकार के बनते हैं और उनका अर्थ इतना लम्बा चौड़ा होता है कि साधारण हैसियत का व्यक्ति तो क्या अलग अलग अदालतें उसका अलग अलग अर्थ निकलती हैं और उस पर न्याय करती है । तो क्या हम यह चाहते हैं कि आज भी उन मामलों में अदालतों में झगड़े होते रहें । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हैं उन पर जिस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जावेगा उस समय सिलेक्ट कमेटी उस पर विचार कर सकेगी । मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि एसीस्टेट कमिश्नर अपनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करेगा । बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धार्मिक हैं और राजस्थान में सर्वत्र जाकर एक बनती हैं । इसलिए कहा गया है कि एसीस्टेट कमिश्नर होगा वह दूसरे सम्बन्धित कमिश्नर को सूचित कर देगा कि हमारे यहां इसका रजिस्ट्रेशन हो गया । अगर उसकी दूसरी जगह कोई प्रोपर्टी होगी या कोई प्रोपर्टी का पार्ट हो तो उसका क्या होगा जबकि वे एक ही एसिस्टेन्ट कलेक्टर के जुरिसडिक्सन में नहीं है और अलग अलग हैं । इसलिए मैंने

(श्री शंकरलाल)

यह निवेदन किया है कि कमिश्नर को यह अधिकार होना चाहिये और यह भी अधिकारी को अधिकार होना चाहिये कि किस प्रकार के मन्दिर से किस प्रकार की फी ली जायेगी और किन से नहीं ली जावेगी जिस समय रजिस्ट्रेशन होगा। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों पर हम सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर विचार कर सकेंगे। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये जिससे यह सारे एनडोवमेन्ट के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिये एक प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस लगे यह तो उचित नहीं होगा। आप सभी को एक ही लकड़ी से हाँकना चाहते हैं। यह तो मैं कहूंगा कि उचित नहीं होगा। इसलिए इन सारी बातों पर सिलेक्ट कमेटी में विचार करना होगा।

तीसरी बात एडवाजरी कमेटी की बात है। हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं और इसका प्रबन्ध सरकार सम्हालेगी। उसका मैनेजमेंट सरकार करेगी। मेरी अपनी विचारधारा थी वह सरकार के सामने रखी कि हमें संस्थाओं को बना कर ऐसा लाना है कि वे खुद अपने काम को संभाले और सरकार का उसमें किसी प्रकार की दस्तन्दाजी न हो कि सरकार उनको नोमीनेट करे। हर एक मत के लोगों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने अपने प्रतिनिधि भेज दें। अगर ऐसा न हो तो एक पेनल भेज दे उसमें से सरकार मनोनीत कर दे। लेकिन सब अधिकार सरकार अपने ही हाथ में ले कि जिसको चाहे मनोनीत करे यह तो उचित नहीं समझता। यदि ऐसा होगा तो इससे सरकार के प्रति लोगों को रोष पैदा हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो प्रणाली अपनाई जा रही है उसमें भी किसी प्रकार का सुधार करना होगा इस प्रकार की कमेटी हो...

श्री उपाध्यक्ष : I may point out that this line of argumuents will be better at the time when the Bill is being discussed clause by clause.

श्री शंकरलाल : इसलिये मैंने अर्ज किया कि इन सारी बातों को देखते हुए यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहये। सेक्शन ६३ में एक बात मुझे ऐसी लगी जो उचित नहीं है। सेक्शन ६३ में रीपील की बात है। क्या इसमें सेन्ट्रल एक्ट है उसको भी रीपील किया है। क्या हम सेन्टर के एक्ट को भी राजस्थान एक्ट से रीपील कर सकते हैं यह एक प्रश्न है। इस पर मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री प्रकाश डालेंगे।

जिस प्रकार का भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर जो वातावरण फैलाया गया है वह उचित नहीं है और इस आवश्यक बिल को वापिस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनमत यह चाहता है कि इन संस्थाओं का सुधार हो। लेकिन यह बिल जिस स्तर पर है उस पर बहुत सी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ विचारार्थ प्रस्तुत है और इस पर विचार करना है। जहां तक इसके उद्देश्यों और अभिप्राय का

(श्री रामेश्वरदयाल)

सम्बन्ध है इसका बहुत अच्छा उद्देश्य और अभिप्राय है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सी धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सी पुन्यार्थ संस्थाएं ऐसी हैं जहां बहुत से घोटाले और गड़बड़ियां हैं और जहां संपत्ति और पैसे का सरासर दुरूपयोग होता है और वह धर्म के नाम पर और वह चैरिटी के नाम पर और यह जो कुछ पैसे का दुरूपयोग हो रहा है वह बन्द होना चाहिये। इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन जिस प्रकार से इस विधेयक में इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और जिस प्रकार का कानून बना कर एक ढांचा खड़ा किया जाने वाला है और उससे जो अर्थ हम लाना चाहते हैं। उसकी अवहेलना ही होगी और इससे हम हम आगे नहीं बढेंगे। इसलिए हमें इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से विचार करना है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे या जनमत के लिये प्रसारित किया जावे। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। वास्तव में जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, उससे मैं निश्चत रूप से कह सकता हूं कि यह जो धार्मिक संस्थाएं हैं और जो पुन्यार्थ संस्थाओं के हैं उनको समाप्त करना उनका राष्ट्रीय करण करना, सरकार का एक बहुत बड़े हौसले का कदम है। मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रीय करण की बात बहुत अच्छी है और आज के युग में हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये क्योंकि आज का युग राष्ट्रीयकरण का है। आज हर क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की बात सोची जाती है। याता यात, बड़े बड़े उद्योगीकरण को राष्ट्रीयकयरण करने की बात सोची जा रही है और बीमा कम्पनी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात सोची जा रही है। मगर मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण की सीमा होती है। राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र में एक जबर्दस्त और क्रांतिकारी कदम है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण की बात अगर सोची जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कदम कोई प्रगतिशील कदम नहीं कहा जा सकता है और धार्मिक संस्थाओं पर एक बड़ा भारी प्रहार है और बड़ी भारी बात होगी और राष्ट्रीयकरण की बात कभी नहीं सोची जा सकती है। इस कानून के द्वारा क्या होने वाला है। होने वाला यह है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं को समाप्त करके उन पर नियंत्रण रखेगा। दुरुव्यवस्था होगी उसके लिये आपके कर्मचारी होंगे जो नौकरी करते हैं। कहने का मतलब यह कि राज्य इस बात का निर्णायक होगा कि इसमें किस प्रकार से पैसा खर्च किया जावे और किस प्रकार से पैसे को काम में लिया जावे। राज्य सरकार राज्य व्यापी बोर्ड बनाना चाहती है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियां बनाना चाहते हैं और लोगों के नाम की नामजदगी स्वयं करना चाहती है, इस प्रकार का ढांचा खड़ा करके इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के राष्ट्रीय करण की बात सोच रहे हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

राष्ट्रीयकारण जैसी चीज़ इस क्षेत्र में लागू नहीं की जा सकती है और इसका विरोध किया जाना चाहिये। यह बात ठीक है कि जहां धार्मिक संस्थाओं में रुपयों का दुरुपयोग होता है उसको रोका जाय। लेकिन एक समुचित व्यवस्था के नाम पर हम कहते हैं कि हम धार्मिक संस्थाओं की व्यास्था को नियमित करना चाहते हैं, हम नियम बना

(श्री रामेश्वरदयाल)

कर अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। इस व्यवस्था के नाम पर यदि वास्तविक रुप में इसको देखा जाय और यदि सरल शब्दों में कहा जाय तो यह कहा जाना चाहिये कि सरकार इस विधेयक द्वारा इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। यह राष्ट्रीयकरण जैसी चीज़ यहां अनुपयुक्त है। इसके पीछे कोई तरीका नहीं है, इसके पीछे कोई न्याय नहीं है, इसके पीछे कोई बात नहीं है आज धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने का जो कदम है वह राजस्थान सरकार का एक अजीब सा कदम है। यह कहा जाता है कि आज बम्बई में ऐसा कानून है, बिहार में ऐसा कानून है। अगर बम्बई के अन्दर, बिहार के अन्दर और मद्रास के अन्दर या सारी दुनियां के अन्दर इस प्रकार की गलत कार्यवाही की जाती है तो यह कोई दलील नहीं है कि यहां भी वैसा ही किया जाना चाहिये। यदि कोई गलत चीज़ है तो वह गलत ही है। राष्ट्रीयकरण की धार्मिक क्षेत्र में कभी कल्पना नहीं की जा सकती और इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

फिर इस प्रकार का यह टाइटल इस विधेयक में रखा गया है। इस विधेयक का नाम रखा गया है राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८ है। आज हम धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं। हमारे संविधान ने धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा की है और यह लक्ष्य रखा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जावेगा। यह हमारे संविधान का मान्य सिद्धान्त है जो सब बातों पर लागू होता है। लेकिन इस विधेयक के अन्दर हिन्दू शब्द जोड़ कर इस विधेयक के दायरे को सीमित कर दिया गया है। आज व्यापकता की बात कही जाती है। कहा जाता है कि कानून व्यापक होना चाहिये। ऐसा कानून होना चाहिये कि जिसमें सम्प्रदाय और सम्प्रदाय के अन्दर किसी प्रकार भेद भाव नहीं जावे। एक जाति और किसी दूसरी जाति में, एक कम्युनिटि और दूसरी कम्युनिटि में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इस कानून के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस कानून के द्वारा एक हिन्दू सम्प्रदाय विशेष के लिए, उनकी धार्मिक संस्थाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा रही है। यह कानून एक सम्प्रदाय विशेष पर लागू होगा। यह हमारे भारतीय संविधान की आकांक्षाओं के विपरीत है। उसमें माने हुए सिद्धान्तों के यह अनुकूल नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाना है, अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। चाहे हिन्दू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। कहा यह जाता है कि मुसलमानों के लिए अलहदा कानून मौजूद है और इसीलिए हिन्दुओं के लिए यह दूसरा कानून बनाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि धर्म के आधार पर कानून बनाना, कानून का निर्माण करना यह कानून बनाने के सिद्धान्त के भी विपरीत है। क्योंकि कानून कभी एक जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करता है। कानून सभी धर्मावलम्बियों को, समस्त सम्प्रदायों को समान रुप से देखता है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम हिन्दुओं के लिए कानून

(श्री रामेश्वरदयाल)

बनाये और मुसलमानों के लिए दूसरा कानून बनायें इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आधार है यह तो माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे। क्या कारण है कि सभी धर्मों के लिए कोई व्यवस्था करनी है। तो समान रुप का कानून न लायें और एक कन्सोलिडेटेड कानून न लायें? लेकिन इस प्रकार से अलग अलग तरह का कानून लाते हैं और असमानता की बात सोचते हैं तो यह हमारे संविधान के विपरीत है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें किसी भी प्रकार से वैध नहीं है, किसी भी प्रकार से विधान और नियमों के अनुसार नहीं हैं और इसीलिए इसमें परिवर्तन भी करना चाहिये इसलिए मैं कहता हूं कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिये और इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। क्योंकि कई वैधानिक धारायें हैं, इसका टाइटल है, और बहुतसी बाते है जो संविधान के विपरीत हैं और फिर यह क्या अच्छा लगेगा कि यह विधेयक इसी रुप में पास होकर कानून का रूप ले ले। जब मामला जाता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने और जब वहां कानून की वैधानिक अड़चने पैदा की जाती हैं और कानून की धज्जियां की जाती है तो पहले ही यह क्यों नहीं सोच लेना चाहिये कि जब यह कानून हमारे सर्वोपरी संविधान के विपरीत पड़ता है। तो उस पर पहले ही प्रवर समिति में बैठ कर विचार किया जाय। यह कहा जाता है कि जनमत जान लिया जा चुका है, प्रवर समिति में पहले ही यह जा चुका है इसलिए पुनः नहीं जा सकता है। तो यह कोई दलील नहीं है। प्रवर समिति में यह पहले होकर आया है तो यह अच्छी बात है। लेकिन प्रवर समिति से आने के बाद भी आज इसमें खामियां रह गई और इसके लिये आवश्यक है और आज भी वहां स्टेज बाकी है। आज हम जब इस बिल को विचारार्थ ले रहे हैं आज भी वह स्टेज बाकी है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस बिल को न लेकर के प्रवर समिति को सुपुर्द करदें या जनमत के लिये प्रसारित कर दें ताकि फिर से जो भी सुझाव सदन के सामने आये हैं सदस्य गण और जो भी सुझाव रखना चाहते हैं। पूरी तरह से और विस्तृत रुप से इस पर विचार हो सके और सही नतीजे पर और सही दृष्टिकोण से यह तमाम मामला समझा जा सके।

११ म० पू०

इसके अलावा कुछ ऐसी भी बातें हैं जो काफी आपत्ति जनक हैं। जिस प्रकार से क्षेत्रिय बोर्ड का गठन का प्रश्न है राज्यव्यापी बोर्ड के गठन का प्रश्न है इसमें जो अधिकार हैं वह राज्य ने अपने हाथ में रक्खे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार की संस्थायें व्यक्ति विशेष या समूह कायम करता है उसके अन्दर राज्य प्रवेश करे बोर्ड बनाये और अपना नियन्त्रण रखे आर्थिक दृष्टि से कार्य की दृष्टि से यह अच्छी बात नहीं है। यह अनधिकार चेष्टा है इसको बन्द किया जाना चाहिये। जहां बोर्ड के गठन का प्रश्न पैदा होता है क्षेत्रिय सलाहकार परिषद बनाने का प्रश्न पैदा होता है इन ट्रस्टस के अन्दर समितियों का गठन बोर्ड का गठन राज्य अपने हाथ में लेना चाहता है। जिनको राज्य स्वयं पैदा करता है उसके अधिकार भी राज्य सरकार स्वयं ग्रहण करती है इसके पीछे क्या न्याय की बात है? ऐसी संस्थायें जिनको व्यक्ति विशेष बनाता है या समूह बनाता है

(श्री रामेश्वरदयाल)

उनके अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में रखती है राज्य सरकार खुद उसमें प्रवेश करती है तो मैं समझता हूं यह अनधिकार चेष्टा है इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये ।

इसमें बोर्ड के गठन का सवाल है समितियों के गठन का सवाल है इस संबन्ध में विचार करने की आवश्यकता है इस पर प्रवर समिति में ही ठीक प्रकार से विचार हो सकता है ।

इसके अलावा इसमें आय और व्यय की दृष्टि से जिस प्रकार के नियन्त्रण की बात रखी गई है जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी नियन्त्रण करेंगे इस कार्य के अन्दर हस्तक्षेप करेंगे । हस्तक्षेप जो है नियन्त्रण जो है यह जो नियन्त्रण है वह आज के जमाने की आवाज के खिलाफ़ है । आज जब कि हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये क्योंकि राज्य सरकार के पास इतनी सत्ता है कि उस सत्ता के सदुपयोग के बारे में तरह तरह की बातें पैदा होती है तो फिर हर बात के अन्दर राज्य सरकार दखल दे खास तौर से धार्मिक क्षेत्र के अन्दर यह उचित नहीं है । आज हम देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार प्रवेश करती जा रही है । इसी प्रकार उसका प्रवेश चलता गया तो हमारे जीवन का एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो जायगा । यह जो सिलसिला राष्ट्रीय करण का चल रहा है यह एक नारा बहुत अच्छा है । प्रभावशाली एवं आदर्श नारा है कभी कभी तो यह प्रेरणा भी देता है । लेकिन साथ साथ हर प्रेरणा और बल के साथ साथ जब हम इसका विस्तार हर क्षेत्र में करते हैं । तो यह बल और प्रेरणा देने के बजाय आकर्षक होने के बजाय वह राष्ट्रीय करण अपना सम्पूर्ण आकर्षण खो बैठता है और इससे लोगों के अन्दर आम जनता के अन्दर शक शुबा पैदा कर देता है । आज जो इस प्रकार का विधेयक सदन के सामने है जिसका असर सम्पूर्ण जनता पर है इस विधेयक के द्वारा जो बात रखी गई है वह सार्वजनिक महत्व की है कितने ही सार्वजनिक महत्व के मामले में ऐसे मामलों में जिसका असर लाखों व्यक्तियों और धर्म पर पड़ने वाला है संस्थाओं की व्यवस्था पर पड़ने वाला हो इस प्रकार के विधेयक को अगर हम सरसरी तौर पर माननीय सदस्यों के आपत्ति उठाने पर, उनके सुझाव उपस्थित करने पर प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करते या जनमत के लिये प्रसारित नहीं करते हैं । तो मैं समझता हूं इस विधेयक के साथ सदन न्याय नहीं करता । इस प्रकार के कानून को जल्दबाजी में पास करने से हमारी जो स्वतंत्रता संविधान के अन्दर स्वीकार की गई हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर बहुत बड़ा आघात है । इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मसले को साधारण मामला न समझा जाय और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय या जनमत के लिये प्रसारित किया जाय ताकि गंभीर और महत्वपूर्ण कानून बना रहे हैं ..

श्री रामधन (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मन्त्री तो सदन में उपस्थित हैं और वे भी समाधि लगा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह मठ है ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री रामेश्वरदयाल) : आप आरम्भ करिये ।

श्री रामेश्वरदयाल : फिर इसमें एक बात यह है जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था । मैं इस बात का समर्थक हूं कि पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । कानून के अन्दर इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है, इसके लिये एक अतिरिक्त विधेयक लाना और उसको कानून का रूप देना यह कहां तक उचित है इस पर सदन विचार करेगा । जाब्ता दीवानी में दफा ६२ मौजूद है । उस दफा के अन्दर यह मालूम होता है कि किसी भी ट्रस्ट के अन्दर गड़बड़ी है या कोई ट्रस्ट अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है या सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके अन्दर जो बेनफिसरीज हैं उनको अधिकार है कि एडवोकेट जनरल की पर्मिशन से उसके खिलाफ दावा पेश कर सकते हैं उसको हटाने का । इस प्रकार की व्यवस्था कानून में पहले से मौजूद है फिर यह समझ में नहीं आता यह दूसरा कानून यह दूसरा विधेयक यहां क्यों लाया जा रहा है ? इसका मतलब केवल यही है कि हमारी सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण की बात सोची जा रही है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है ।

सरकार यह कहती है कि हम इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाना चाहते हैं रोक तो पहले से ही कानून द्वारा लगी हुई है । अगर आपने यह रोक लगाने की कोशिश की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे । जो व्यवस्था इसमें रखी गई है जो ढांचा खड़ा किया गया है पंजीकरण आदि की जो बात रखी गई है अनिवार्यतः पंजीकरण किया जायगा, फिजिकल वेरीफिकेशन होगा, प्रोपर्टी का इससे होगा क्या कि असलियत जो होगी वह सामने नहीं आयेगी, इस पंजीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी भ्रष्टाचार को बल मिलेगा । आज हम इस प्रकार का विधेयक लाकर के लोगों के लिये कर्मचारियों के लिये भ्रष्टाचार का एक तरह से दरवाजा खोल रहे हैं भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रहे हैं । आज हम कोई व्यवस्था करते हैं हमें यह देखना है कि इसकी प्रतिक्रिया कर्मचारियों पर और इसकी व्यवस्था पर क्या होता है ? इसके जो परिणाम हैं वे परिणाम आशाजनक नहीं होने वाले हैं । अच्छे नहीं होने वाले हैं धार्मिक संस्थाओं के हित में । लेकिन धार्मिक संस्थायें जो है चूंकि धार्मिक संस्थाओं के अन्दर रुपयों का सरासर दुरुपयोग होता है दुरुपयोग तो फिर भी होगा । लेकिन दुरुपयोग के साथ साथ एक दूसरी बुराई उसमें आ जायगी और वह है भ्रष्टाचार । अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये, इसमें आप अगर जटिलता लाना चाहते हैं तो आप जरूर लाइये । लेकिन हमारा कर्त्तव्य है कि हम आपका ध्यान आकर्षित करें । यदि आप कोई विधेयक बनाना चाहते हैं तो आप उन मुद्दों पर बनाइये जिनका दूसरे कानूनों में अभाव है । जिनकी दूसरे कानूनों में व्यवस्था नहीं है आप उन मुद्दों पर कानून बनाइये । लेकिन जिन मुद्दों पर पहले से ही कानून में व्यवस्था कर रखी है, उन मुद्दों को इस प्रकार के विधेयक द्वारा और जटिल बनाना, उनमें उलझने पैदा करना है, पेचीदगी पैदा करना और जिससे लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता तो यह कोई शोभा की बात नहीं है ।

अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कानून का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि कानून जिन पर लादा जाने वाला

(श्री रामेश्वरदयाल)

हैं, जिनके लिए बनाया जाने वाला है उनको मौका मिलना चाहिये कि उनकी जानकारी देने का और अपनी बात कहने का । यदि उन आदमियों से बिना पूछे, उनकी बिना बात सुने कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिन पर इस कानून का प्रभाव होने वाला है उन से सहमति नहीं ली जाती है । यह दूसरी बात है कि विधान सभा कानून बना लेती है, वह सार्वजनिक बातों को पास कर सकती है, क्योंकि जनता ने उसको अधिकार दिये हैं, आप पांच साल तक कोई कानून बना लीजिये लेकिन उनसे यदि पूछ कर कानून नहीं बनाया तो आप उन मतदाताओं के साथ अन्याय करते है जिनके लिए आप कानून बनाने जा रहे हैं । आप इस कानून को इसी रूप में पास कर दीजिये जिस रूप में यह विधेयक आया है लेकिन उन लोगों को मौका दीजिये कि वे अपनी बात आपके सामने रख सकें । जो वैधानिक आपत्तियां और कानूनी प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनके लिए यह कह देना कि यह पहले ही जनमत को प्रसारित हो चुका है, प्रवर समिति को सुपुर्द हो चुका है, यह कोई माने नहीं रखती । हो सकता है कि इस प्रकार के मुद्दे, इस प्रकार का विवाद उस समय न खड़े किये गये हों, और आज जब खड़े किये जाते हैं, जब इसको विधान को चुनौती तक देने वाला कहा जा रहा है । उसके लिए यह कह देना कि यह पहलेही प्रसारित किया जा चुका है और उसको प्रवर समिति में भेजा जा चुका है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है । जल्द-बाजी की क्या बात है ? अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है और जन-मत को सुपुर्द कर दिया जाता है, हो सकता है, कि इसमें साल छः महिनों लगा जाय, लेकिन क्या ज़लज़ला आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है कि इस प्रकार का भेदभाव पूर्ण कानून बना कर आप लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रता के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे फिर इस बात को सोचें और इस विवाद को अधिक न चलने दें और यही पर इसको समाप्त कर दें । और घोषणा कर दें कि आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इसको जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाय या प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री लक्ष्मीचन्द, (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव राव राजा सरदार सिंहजी ने हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल को जन-मत जानने के लिए रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है, मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है और राजपूतों का भी इतिहास पढ़ा है और उन इतिहासों से यह प्रतित होता है कि औरंगजेब जैसा एक राजा हुआ है जिसने तलवार के बल पर मस्जिदें बनवाई । आज सरकार नहीं बना सकती कि कानून के बल पर, बहुमत के बल पर मन्दिर को मस्जिदें बनाई जाय । लेकिन सरकार मन्दिरों की व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर यह चाह रही है कि किसी प्रकार मन्दिरों की जो प्रोपर्टी है, उसकी सम्पत्ति है वह हड़पी जाय । मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि मन्दिरों में सरकार द्वारा व्यवस्था हो, तो सरकार के अन्तर्गत जो चलने वाली व्यवस्था है । वह न तो आज तक सुधरी है और न ही सुधरने

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वाली हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि केसरियानाथजी का मन्दिर जैनियों का है। उसको सरकार ने अपनी व्यवस्था में लिया। जैनियों में सात किस्म का दान दिया जाता है, मूर्तिदान, मन्दिर दान, ज्ञान दान, साधु दान, साध्वी दान, श्रावक दान, श्राविका दान। इस प्रकार ये सात दान होते हैं और उनके ज़रिये पैसा इकट्ठा होता है। एक मद का किसी दूसरी मद में खर्च करना उसको जैन समाज पाप समझता है और न हीं खर्च कर सकता है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की बातों को अलग रख कर, उन पर विचार न करके उस समाजिक मन्दिर के पैसे को सरकार ने कर्ज दिया गया है दूसरों को। मैं आपको बताऊं कि दो लाख पैंसठ हज़ार रुपया आर्य समाज को कर्ज कर दिया गया। क्या उस पैसे को मन्दिर चलाने वालों ने इकट्ठा किया था या आर्यसमाज ने जो कि मन्दिरों का खंडन करने वाले हैं। उस आर्य समाज को पैसा दिया गया फिर जनता किस प्रकार सरकार के प्रति विश्वास कर सकती है कि समाज के पैसे का सदुपयोग होगा। धर्म के नाम पर जिस मद में दान दिया हुआ पैसा उसी मद में खर्च किया जावेगा यह कैसे सम्भव हो सकेगा; सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सरकार कोई नजीर नहीं दे सकती कि जिससे संतोष करें कि सरकार हमारे मन्दिरों को अपनी संरक्षता में लेकर उनका ठीक प्रकार से संचालन कर सकेगी।

श्रीअर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a point of information Sir, is the Hon'ble Member speaking only for Jain religion or for all of us ?

श्री उपाध्यक्ष : That the future will decide.

श्री अर्जुनदास : At least I could not understand...

श्री उपाध्यक्ष : I wanted to know whether these two lakhs, if at all advanced, they concern the present Ministry or the Ministry before this Legislature ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर बोल रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, उस समय का पैसा....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मगर आपने जो बात पूछी उसका तो जवाब ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : जो दो लाख रुपया कर्ज के रूप में दिया गया तो वह इस धारा सभा बनने बाद जो सरकार निर्मित हुई थी उसने दिया था ? या उसके पहले की सरकार ने दिया था ? यह कौनसी सरकार से सम्बन्धित है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : उससे पहले की सरकार से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : You will not please refere to this issue.

श्री लक्ष्मीचन्द : इस सरकार से भी दिए हुए पैसे की अर्ज कर दूंगा। तो इस प्रकार से पैसा दिया गया। कुछ पैसा अजमेर के सेठ साहब को कर्ज के रूप में दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से सेठ साहब को दिया गया ?

Page No.66

श्री अर्जुनदास : एक जैन को दिया गया ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सेठ श्री गोपाल मोहता को दिया पचास हजार रुपया।

श्री दामोदरलाल व्यास : कब ?

श्री लक्ष्मीचन्द : तारीख तो आप बता देना ? दिया है या नहीं यह भी बता देना ?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : नाम क्या है ? अजमेर के नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : सेठ श्री गोपाल मोहता को दिया। चाहे कहीं के हो।

इस प्रकार से हमारी धार्मिक संस्थाओं का पैसा दिया जाता है फिर कैसे विश्वास हो सकता है कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। जिन बातों के लिए धर्मादा दिया गया है, जैसे मूर्ति के लिए, ज्ञान के लिए, और सात दान जो मैंने पहले बताये थे उनके लिए जो दान दिया गया है यदि उन कामों पर ही वह रुपया खर्च नहीं होता है तो जैन समाज उसको पाप समझता है और चाहता है कि उन्हीं कामों के लिए वह खर्च हो फिर सरकार इस प्रकार से कर्ज दे देती है तो कैसे माना जा सकता है और उनको विश्वास हो सकता है कि सरकार उनके पैसे का सदुपयोग करेगी। हम लोगों ने इस विश्वास पर नहीं दिया था कि इस प्रकार से इस पैसे को सरकार कर्ज के रूप में दे देगी।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगी तो आप विश्वास मानिये कि लोग पैसा देना ही बन्द कर देंगे। आज कई दफा यह प्रश्न असेम्बली में आता है। श्री जी के मन्दिर में से चांदी क्यों बेची गई ? उसका एक कारण है कि पहले तो लोग श्रद्धा के कारण मन्दिरों में पैसे दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि सरकार ने मन्दिरों की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली तो लोगों की भावना खत्म हो गई। आज क्या कारण है कि लोग पैसे नहीं देते और क्या कारण है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने श्री जी के मन्दिर में से चांदी बेची। भाव चांदी का ८० का था और १२३ के भाव से बेची गई. . .

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सस्ते भाव की खरीदी और ज्यादा में बेची तो मन्दिर को तो फायदा ही हुआ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिस समय बेची गई उस समय ८० का मार्केट था और आपने १२३ के भाव से बेची। इस प्रकार से सरकार की मशीनरी ने उसका मिसयूज़ किया। जनता सोचती है कि जो पैसा हम मन्दिरों के लिए देते हैं यह ठीक ढंग से खर्च होगा पर ऐसा नहीं होकर उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। इस बिल के अन्दर ऐसी व्यवस्था की गई है कि मन्दिरों का संचालन सरकारी दफ्तरों की तरह रखा जायेगा। आज सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जब तो आप सुनवाई नहीं करते। आज लाखों रुपयों का गबन है उसका तो सरकार जवाब नहीं देती और न उसका उनके पास कोई जवाब है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी का मैं आपको ताजा दृष्टान्त देता हूं। गत वर्ष सांचोर के पशु मेले में जो कि सरकार की तरफ से भरवाया गया था उसमें करीब ३० हजार का तो खर्चा हुआ और १४ हज़ार की कुल आमदनी हुई और इस साल सरकार ने उस मेले भरवाने के लिए हाथ झटक दिए और

(श्री लक्ष्मीचन्द)

उस मेले को वहां की जनता ने भरवाया जिसमें १८ हज़ार की तो आमदनी हुई है और ८ हज़ार का खर्चा हुआ। तो यह फर्क है आज कोई चीज़ सरकार के द्वारा चलाने में और जनता के द्वारा चलवाने में,आज यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो सकता और न होने वाला है। तो सरकार के द्वारा चलाने से इस प्रकार की उसकी व्यवस्था हो सकती है। बीकानेर के अन्दर एक गोगादेवजी का मन्दिर है जिसके अन्दर मुसलमान पुजारी से पूजा करवाई जाती है . . .

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मुसलमान पुजारी कब से पूजा करता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : At present भी कर रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कब से कर रहा है ? वह तो पीढ़ियों से कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : करे तो क्या हर्ज है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : वह हमारी संस्कृति को नहीं जानता। हमारे किस प्रकार के पुराण हैं, यह भी नहीं जानता। तो इस प्रकार हम कैसे विश्वास लेकर चलें कि सरकार हमारे मन्दिरों की ठीक ढंग से व्यवस्था करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो कई पीढ़ियों से पूजा कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कई बार सदन में आ चुका है और प्रेस में भी आया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह उपाध्यक्ष महोदय, मैं नजीर दे रहा हूं कि इस प्रकार से. . .

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह सूफी मत भी हिन्दू धर्म का ही अंग है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमारे मन्दिरों की व्यवस्था करवाना ठीक नहीं है। लोगों की जो भावना है लोगों में जो विश्वास है और लोग चाहते हैं कि हम मन्दिरों की व्यवस्था ठीक करें। अगर आज वह ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो धर्म में हस्तक्षेप करने का आपका क्या अधिकार है। आज मन्दिरों के मेम्बर्स हैं वह एक भी पैसा खर्च नहीं करते और पैसा भी नहीं लेते फिर भी वह सुचारु रूप से चल रहे हैं और सरकार कहती है कि उसके अन्दर हम अपने अखाड़ेबाजी का मैदान बनायेंगे। और सरकार कहती है कि हम चाहेंगे उसको मेम्बर मनोनीत करेंगे। इसमें एक धारा रखी गई है कि इस बोर्ड के मेम्बर कौन होंगे. . .

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Laxmi Chand, this phase has been repeated 20-30 times, so I would not like that things be hammered and I would request the Hon'ble Member not to indulge in repetitions. There must be some originality in the debate.

श्री लक्ष्मीचन्द : रिपीटीशन तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बात उपाध्यक्ष महोदय कहनी पड़ती है। तो इस प्रकार से सरकार जिन आदमियों को बोर्ड का सदस्य नियुक्त करेगी वह बोर्ड के मेम्बर होंगे, मैं तो कहता हूं

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कि कोई व्यक्ति है जो मन्दिर के प्रति विश्वास नहीं रखता और उसको भी बोर्ड का मेम्बर बना दिया गया तो क्या वह मन्दिरों को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था कर सकेगा । वह क्या सुझाव देगा । ऐसे बोर्ड के मेम्बर हुए तो हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वह मन्दिरों के बारे में सुझाव देगा। अगर ट्रस्ट के मेम्बरों को मनोनीत कर दिया गया तो वह ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। और जब मन्दिरों की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होगी तो यह स्वाभाविक होगा कि जो लोग मन्दिरों को पैसा देते हैं वह पैसा देना बन्द कर देंगे। आज कई मन्दिरों में पैसा देना बन्द ही इसलिए हुआ कि उनकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही है । आज मंदिरो के अन्दर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है उसकी व्यवस्था वह मनोनीत किए हुए सदस्य ठीक नहीं कर पायेंगे। हां यह ठीक है कि आप बहुमत के कारण इस प्रकार की प्रोपर्टी को अपने कब्जे में कर लेंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग पैसा देना चाहते हैं वह नहीं देंगे। मान लीजिए कि आपने इसके लिए बजट बनाया तो मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो पैसा देना चाहते हैं और कोई आदमी कहेगा कि मैं तो पैसा ज्ञान में देना चाहता हूं और सरकार कहेगी कि हमें तो ज्ञान में पैसे की जरूरत नहीं है और हमें तो पैसा रोड्स में दे दो। तो....

डॉ० बहादुरसिंह : यह कहीं भी किसी धारा में नहीं है कि सरकार रोड्स के लिए पैसा ले लेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह भी नहीं है कि फलांना मद में लिया जायेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : वह तो जिस मद में आपका पैसा होगा उसी मद में खर्च किया जायेगा सिर्फ सेंक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी।

श्री लक्ष्मीचंद : तो मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति दान देने वाला है वह दान में पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन आपका कमिश्नर यह कह देगा कि नहीं दान में जरूरत नहीं है, हमें तो मूर्ति और साधुओं के फण्ड में जरूरत है। तो आज दान देने वाला है और उसकी जो भावना होगी वह पैसा भी नहीं देगा। उसने तो ज्ञान के आधार पर पैसा देना तय किया और आपने मूर्ति या साधुओं के फण्ड में खर्च किया तो फिर क्या होगा ? तो इतने दिनों तक उस आदमी के विचारों को कायम रहना भी सम्भव नहीं है और जब विचार कायम नहीं रहेंगे तो वह पैसा नहीं देगा फिर आपका बजट क्या काम आयेगा। कई बार हम देखते हैं कि सरकार को पैसे की आज जरूरत है और आता है वह दो महीने के बाद। इसके अलावा हम तो यह भी देखते हैं कि बीज आसोज महीने में चाहिए और फागुन में आता है। मेरा यह विश्वास है कि आप जिन मन्दिरों की व्यवस्था इस प्रकार की करना चाहते हैं तो आपके मन्दिर कायम नहीं रहेंगे। एक दिन आयेगा जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के जोर पर मस्जिदें बनाई और आप कानून के जोर से मन्दिर बनायेंगे मेरा तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव है कि हर एक समाज का ट्रस्ट अलग अलग होना चाहिये। हिन्दुओं का ट्रस्ट अलग होना

Page No.69

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहिए ताकि हिन्दू धर्म के जो मानने वाले हैं वह अपने पुजारी रख सकें और मन्दिरों की व्यवस्था ठीक तरह से कर सकें। इसी तरह से जैनियों का और वैष्णवों का ट्रस्ट अलग अलग होना चाहिये और उसके अन्दर उसी धर्म के अनुयायी होने चाहिए....

डॉ० बहादुरसिंह : यह ट्रस्ट तो उसी प्रकार की बनेंगी। यहां तो सारे ट्रस्टों की व्यवस्था का सम्बन्ध है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : औरतों के लिए अलग ट्रस्ट बनायें।

श्री लक्ष्मीचंद : इसी तरह से मद्रास और उड़ीसा में इस बिल से जैनियों को एग्ज़म्प्ट किया गया है और बिहार के अन्दर ट्रस्ट अलग कायम किया गया है। इस प्रकार से मेरी सदन से यह प्रार्थना है कि इस प्रकार की जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति सरकार की है उसका घोर विरोध किया जाना चाहिए और इसको इस प्रकार से जल्दबाजी में पास करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह तो हमें मालूम है कि आप इसको बहुमत के जोर पर पास तो कर देंगे लेकिन कुछ न कुछ जनता की भावनाओं की भी तो कद्र करनी चाहिए। आपको इस प्रकार के राइट्स नहीं हैं कि धर्म के अन्दर दखलन्दाजी करें। आप इस प्रकार का सुझाव दे सकते हैं कि फलां मन्दिर की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं है और उसके लिए यह किया जाना चाहिए लेकिन यह नहीं कि आप पूंजी के ही मालिक बन जायें। सब अधिकार तो सरकार के पास हैं। इसलिए इस बिल के प्रति न तो हमारा विश्वास है और न यह मान्यता लेकर चलते हैं कि अगर यह पास होगा तो मन्दिरों की व्यवस्था ठीक तरह से चलेगी। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन से उम्मीद करूंगा कि इस बिल को जनमत के लिए भेजा जाये क्योंकि तमाम हिन्दुओं पर इसका असर पड़ेगा। मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या हिन्दुओं के मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है और मस्जिदों की व्यवस्था ठीक है। इनके लिए भी सरकार कानून बनाये। इस बिल का नाम राजस्थान सार्वजनीक ट्रस्ट बिल होता तो हम विश्वास करके चलते कि सरकार सब की व्यवस्था ठीक करने जा रही है और इस प्रकार से सरकार इस किस्म का कदम उठाती है कि कानून के अन्दर इस किस्म के पॉवर्स रखे। अगर सरकार अपने हाथ में कम पॉवर रखती और बोर्ड को पॉवर्स देती तो विश्वास किया जाता कि बोर्ड के अन्दर जो मेम्बर्स होंगे जो जनता के आदमी होंगे और उसी पंथ के होंगे। बजट बनाना बोर्ड के हाथ में रहना चाहिए। खर्चा करना बोर्ड के हाथ में होना चाहिए। बजट बनाने का काम बोर्ड के हाथ में होना चाहिए। कमिश्नर केवल एक साइनिंग मशीन होनी चाहिए कि चैक करता रहे कि उसका मिसयूज़ तो नहीं होता है। बोर्ड के अन्दर ऐसे मेम्बर होंगे जो लाखों रुपया खर्च करते हैं और लाखों रुपयों का बजट बनाते हैं...

श्री मदनसिंह : आप तो उसका समर्थन करते हैं कि बोर्ड में ऐसे सदस्य होने चाहिये। तो आप मानते हैं कि बोर्ड होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं तो इसका विरोध

Page No.70

(श्री लक्ष्मीचन्द)

करता हूँ सरकार जिसको पास करने के लिए कहती है। मैं तो इस बिल का विरोध करता हूं लेकिन इस के साथ इस किस्म से बहुमत के नाम पर पास करना चाहती है। तो उसके अन्दर इस किस्म के सुझावों को कन्सीडर करना चाहिए। इस प्रकार से इस बिल को पब्लिक ओपीनियन को भेजना अत्यन्त आवश्यक है, और उसमें तमाम की पब्लिक ओपीनियन लेना चाहिए क्योंकि यह धर्म का मामला है।

श्री मदनसिंह दांता : पब्लिक को भी अधिकार नहीं है धर्म में हस्तक्षेप करने का एक तरह से यह मैं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो भाषण को समाप्त करते हुए अन्तिम शब्द भी कहे थे लेकिन आप वापिस चालू होगये।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो इस प्रकार के बिल के खिलाफ जयपुर के नागरिकों की तरफ से एक पिटीशन मैंने असेम्बली के अन्दर पेश की है....

श्री उपाध्यक्ष : Thet has been disposed of and you will kindly not refer to it.

श्री लक्ष्मीचंद : डिसपोज़्ड ऑफ....

श्री उपाध्यक्ष : पिटीशन कमेटी ने डिसीजन दे दिया है और मैंने रूलिंग उसके सम्बन्ध में दिया है।

श्री लक्ष्मीचंद : तो विधान के मुताबिक धर्म और मन्दिरों के मामलों में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। सरकार को उसमें कम से कम दस्तन्दाजी करना चाहिए। उसके अन्दर दस्तन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे मन्दिरों की व्यवस्था हम खुदचलाने वाले हैं। खुद व्यवस्था ठीक करने वाले हैं। हमारे भाई तो और हमारे पूर्वजों की हमें शर्म नहीं आती तो उसकी शर्म क्या सरकार को आयेगी। जिसको हम पूज्य मानते हैं उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है न कि सरकार के ऊपर सरकार को अपने गांधीवादी मन्दिरों को काबू में लाना चाहिये। उनको तो काबू में ला नहीं सकती है और सरकार इन पर कब्जा लेना चाहती है। यह हमारे संप्रदायों के मन्दिर हैं, हम लोगों के बनाये हुए हैं। हम उन पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इनका संचालन हम खुद करें कि न कि सरकार इनका संचालन करे। इन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। सरकार के संचालन के कई उदाहरण मैंने रखे हैं और कई उदाहरण रख सकता हूं कि जहां सरकार का हस्तक्षेप हुआ कि वहां की व्यवस्था गड़बड़ हुई। मैं तो कहता हूं कि जन लेखा समिति की रिपोर्ट को अगर ढंग से देखा जाय तो सरकार द्वारा नियन्त्रित मन्दिरों के अन्दर कितने गबन के मामले साबित हो सकते हैं लेकिन सरकार उन्हें करने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं संचालन ठीक ढंग से करेंगे। आज तक कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की है। आज तक जो सरकार के कब्जे में है: १०, ५ साल से उन मन्दिरों में आज तक इन्वेन्टरी तक नहीं है। वहां का रिकार्ड तैयार नहीं है। और सरकार कहती है कि इन सैकड़ों मन्दिरों को अपने कब्जे में लें। मेरा तो कतई विश्वास नहीं है कि सरकार उनको ठीक कर सकेगी, इस सरकारी अव्यवस्था के कारण

(श्री लक्ष्मीचन्द)

लोगों की वहां से श्रद्धा हट गई है। सरकार के बारे में कितनी श्रद्धा हट गई है कि लोग वहां के लिए दान नहीं देना चाहते है। केसरियानाथ जी के मन्दिर में ७०० तोला सोना गायब हो गया उसका क्या हुआ? सरकार यह कह सकती है कि हमने एक जैनी को सजा करवाई है और उससे ५ हज़ार रुपए वसूल किये हैं लेकिन ७०० तोले का सवाल है कि जो करीबन ७०,०००) रु० होता है। उससे ५ हजार रुपए वसूल कर लिये और सज़ा दिलवा दी तो क्या बड़ी बात है? इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की चल रही है। सरकार के मन्दिरो में हरकतें हो रही हैं तो पूर्ण विश्वास सरकार के प्रति नहीं हैं। आप लोगों को चाहिये था कि इस प्रकार के कानून बनाने से पहले जनता में इस बात का चेलेन्ज़ कर देते कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज आप को इन ठंडे पंखों के अन्दर बैठने का मौका नहीं मिलता। तो सरकार इस प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सके इसलिए सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल का कड़े से कड़ा विरोध करें और इसको जनमत के लिए भेजा जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक १६५८ का मैं समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसके विरोध में काफी जोशीले भाषण दिये। अभी मेरे मित्र लक्ष्मीचन्दजी से यह बोल रहे थे कि औरंगजेब और आर्य समाज। इस विधेयक में जहां तक मन्दिरों का मसला आता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं मन्दिरों के विषय में अर्ज कर दूं। हमारे राजस्थान में कई मन्दिर हैं व मठों के नाम से मशहूर हैं। हमारे राजस्थान के कई जिलों में कई मन्दिर हैं और वहां पर पंडे पुजारी उन मठों में रहते हैं और व्यभिचार के अड्डे बना दिए हैं और चरित्रहीनता के जो कार्य वहां होते हैं तो हमारी सरकार ने इस बिल को पास करना आवश्यक समझा और यह बिल पास होना ही चाहिये।

वैसे हिन्दू धर्म के पोषक बनते हैं। जो माननीय सदस्य उधर बैठनें वाले हैं वे कहते हैं कि सदियों से हम हिन्दू धर्म की रक्षा करते आये हैं और रक्षा करना चाहते हैं। वे हिन्दू धर्म के शिरोमणि बनते हैं और इस सदन में जोशीले भाषण देते हैं और जब बिल आता हैं तब उसका विरोध करते हैं तो क्या उसमें से उन माननीय सदस्यों का उन राजा महाराजाओं का जो यहां पर एम० एल० ए० बन कर आये हैं जो जागीरदार हैं उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है?

(करतलध्वनि)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि मैं जागीर इलाके का रहने वाला हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई जागीरदार हैं उनके मन्दिरों में स्वार्थ थे। उधर बैठने वाले राजा महाराजा हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order... Order, Order.

आप इस प्रकार से संकेत नहीं करें कि राजा महाराजा माननीय सदस्य है, इस तरह का संकेत नहीं करें। अपने दायरे में रहें।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : We should have some trianing

(श्री अर्जुनदास)

classes for behaviour in the House.

श्री उपाध्यक्ष : There is no need of it.

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इन मन्दिरों के विषय में बता रहा था उससे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को दुःख हुआ। राजस्थान में कई मन्दिर हैं उनको मैंने देखा है। मन्दिर हम लोगों के बनाये हैं। हम शिल्पकारी का कार्य करते हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से यह काम होता है। मेरे पिता और दादा गर्ज है कि सारे परिवार ने मन्दिर बनाये हैं। राजा महाराजाओं के अंग्रेजी शासनकाल में राजाओं के शासनकाल में हमने यह देखा है कि जिस मूर्ति को हम पैरों के नीचे दबा कर टांकी और हतोड़ी से घड़ते थे, संगमर्मर के पत्थर से बनाते थे उसको धर्म के मठों के हाथ में दे देते थे। उनके लिए वे लोग कहते थे कि यह हरिजन है, चमार है, शेड्यूल्ड कास्ट का उसके दर्शन करने से वह पत्थर मूर्ति अपवित्र हो जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह बिल अवश्य पास होना चाहिये। इसका मैं समर्थन करता हूं . . .

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): किसी के लिए रोक टोक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू रखिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय मित्र लक्ष्मीचन्दजी कह रहे थे कि औरंगजेब के जमाने . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please.

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद जी, Order, Order please. मैं बारबार आपको सूचित कर चुका हूं कि सदन की कुछ परंपराएं हैं। जब यह आसन संकेत दे तो उसका अनुशासन के साथ पालन करना कर्त्तव्य है। भविष्य में आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता) : इसीलिए तो मन्दिरों में जाने की इनको इज़ाजत नहीं दी जाती है।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir. माननीय सदस्य ने अभी फर्माया कि आप के पिताजी, दादाजी वगैरा ने मन्दिर बनाया तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसे लेकर मन्दिर बनाये या धर्म के खातिर मुफ्त में बनाया था ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो मजदूरी पर बनाया था।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब माननीय मित्र ने औरंगजेब का नाम लिया तो एक बात मुझे याद आ गई। गुरु गोविन्दसिंहजी ने अपने लड़कों से कहा :

मरना हो तो धर्म के लिए मरना।

इस हिन्दू धर्म के लिये, हमारे हिन्दू समाज के बालक जिन्दे दीवार में चुने दिये गये थे।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मेरे माननीय मित्र ने आर्य समाज का नाम लिया, आर्य समाज मूर्ति का खंडन करते हैं लेकिन मंदिर....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आर्य समाज मूर्ति का खंडन नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विश्लेषण की शक्ति माननीय सदस्य में नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : आर्य समाजी मूर्ति का खंडन करते हैं । वे पत्थर की मूर्ति में विश्वास नहीं करते । मैं भी कुछ दिन तक आर्य समाज का संचालन करता रहा हूँ

(करतल ध्वनि)

जितने हमारे राजस्थान में आपको सार्वजनिक कार्य कर्त्ता मिलेंगे वे आर्य समाज की जमात में मिलेंगे (हीयर हीयर) । लक्ष्मीचंदजी कह रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : मूल विधेयक पर बहस कर रहे हैं आर्य समाज पर नहीं

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो प्रश्न रखा है उसका उत्तर देना आवश्यक है इसलिए मंदिर के विषय पर अर्ज़ कर रहा हूं । ये मन्दिर ही मत मतान्तरों का रूप और व्यभिचार का अड्डा बन रहे हैं । तिलक लगाकर दो आने का चन्दन लगाकर तिलक लगा लिया हरिओम् हरिओम् करते हुए व्यभिचार का अड्डा बनाते हैं, उनको रोकने के लिए हमारी सरकार कानून पास करना चाहती है और उधर बैठने वाले इसका विरोध करते हैं परन्तु मैं कहूंगा कि मंदिरों के लिए कानून बनाना जरूरी है, अवश्य बनाना चाहिये । एक मित्र ने संकेत किया कि केसरियानाथजी के मंदिर में यह हुआ वह हुआ । उपाध्यक्ष महोदय केसरियानाथजी का मंदिर राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में स्थान रखता है और वहां की व्यवस्था राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के हाथ में है । माननीय मंत्री ने केसरियानाथजी के मंदिर का वर्णन किया । वैसे तो हमारे मकानों में में भी चोरी हो जाती है तो इतने बड़े मंदिर में चोरी हो गई उसकी ओर संकेत किया, उसकी कार्यवाही हो रही है । केसरियानाथजी के मंदिर की व्यवस्था सरकार के हाथ में है और ठीक चल रही है वहां पर जैनियों के दो गुट हैं और दोनों ही अलग अलग तरह से पूजा करते हैं । वहां ऐसा कोई सवाल नहीं है । तो जो प्रस्ताव मेरे मित्र ने रखा है, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का, मैं उसका विरोध करता हूँ । और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह बिल पास होना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिंदू पब्लिक ट्रस्ट बिल इस सदन में विचारार्थ है और इस पर यहां माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले । कुछ माननीय सदस्यों ने इसका इतना विरोध किया और यहां तक कह डाला कि जीवन भर हम इसका विरोध करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सवाल है मैं पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूं और सरकार को इस बिल को पेश करने के लिये बधाई देता हूं कि सरकार ने एक प्रगतिशील विधेयक सदन में लाकर जो राजस्थान के मंदिरों और धार्मिक स्थानों में अनाप शनाप संपत्ति है

(श्री गिरधारीलाल)

उसके मैनेज़मेन्ट का कुछ जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सबसे बड़ी दलील इस विधेयक के खिलाफ वह दी गई कि सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत जितने मन्दिर हैं उनका मैनेज़मेन्ट भी सरकार अच्छी तरह से नहीं कर सकती है तो बाकी मंदिरों में सरकार क्यों हाथ डालती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दलील अपने आप में अपर्याप्त है। यदि देवस्थान विभाग अपने मंदिरों का मेनेजमेन्ट ठीक नहीं कर सकता तो मतलब यह नहीं होता कि हम यहां पर एक ऐसा विधेयक पारित नहीं करें या सरकार के कोई डिपार्टमेंट उचित तरीके से काम नहीं करते तो यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे डिपार्टमेंट भी उचित तरीके से काम नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा मानलें कि सरकार के जितने विभाग हैं उनमें ईमानदारी से काम नहीं होता है तो मैं समझता हूँ हमें इस हाउस में बैठने की क्या आवश्यकता है। विधेयक पास करने की क्या आवश्यकता है जबकि सरकार उनको कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकती। ऐसी हालत में कोई आवश्यकता नहीं है डिपार्टमेन्ट खोलने की और अन्य काम करने की क्योंकि यह साबित करना चाहते हैं कि सरकार के जितने काम हैं वे अपूर्ण हैं, उचित तरीके से नहीं चलाये जा सकते इसलिये दूसरे काम शुरू नहीं किये जांय। यह अप आपने में अपर्याप्त है।

दूसरी बात जनसंघ के नेता की ओर से कही गई। उन्होंने गांधीजी की ओर इशारा किया और कहा कि गांधीजी ने जनता में जितनी नैतिक शक्ति होनी चाहिये उतनी नैतिकता शक्ति नहीं प्रदान की। पुराने देवताओं में जो जनता का विश्वास था उसको सरकार छिन्न भिन्न करने जा रही है। दूसरी बात यह कही कि जनता का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। वे अभी हाजिर नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने बिना सोचे विचारे बात कही है। एक तरफ तो आप मानते हैं कि जनता का स्तर गिरा है और सरकार ने आज की तारीख में बिल पेश किया है तो आज तक समाज मन्दिरों में देवताओं की पूजा करती आई है तो उसका नैतिक स्तर गिरने का क्या कारण है। नैतिक स्तर गिराने में देवता सहायक सिद्ध नहीं होते। जनता के नैतिक स्तर के उत्थान के लिये वर्तमान पूंजीवादी समाज व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, जनता में शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा। इससे नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा, जनता खुद इसके लिये जिम्मेदार है और वही खुद अपना नैतिक स्तर उठावेगी।

तीसरी बात यह कही गई कि मंदिरों में चढावा चढाया जाता है वह नहीं चढेगा और जनता में जो धार्मिक भावना है, देवताओं में विश्वास करते हैं उनमें इसलिये विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि प्रोपर्टी का मैनेजमेंट सरकार खुद करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हम उस दिन की आशा करते हैं, जिस दिन लोग, हमारे भाई लोग, जो समाज के लोग हैं, वे अन्धविश्वास से प्रेरित न होकर इन मन्दिरों में भेंट या पूजा चढ़ावें। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वह दिन आये, जिस दिन लोग अपने स्वार्थ के लिए, या किसी अन्य स्वार्थ के लिए अन्धविश्वास से प्रेरित होकर जो मंदिरों के अन्दर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो गाढ़ी कमाई का पैसा

Page No.75

(श्री गिरधारीलाल)

मन्दिर में जाता है, उससे समाज को कोई फायदा नही, वह दिन आये, जिस दिन कोई व्यक्ति मन्दिरों में चढ़ावा न चढ़ाये। जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि चढ़ावा नहीं चढ़ायेंगे, वे भूल गये हैं कि देवस्थान के अन्तर्गत जो मंदिर चल रहे हैं, उनमें क्या चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है ? हमारे लक्ष्मीनाथजी का मन्दिर है, उसमें, जो तस्कर व्यापारी हैं, जो सेठ साहूकार हैं, जो ब्लेक मार्केट करने वाले हैं, वे सोने के चंवर चढ़ाते हैं, रोज वहां पुराय भेंट किये जाते हैं। मैं समझता हूं यह भेंट कोई उचित भेंट नहीं होगी....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इस प्रगतिशील जमाने में पूंजीपति अपने आप खत्म हो जायेंगे, वे सोना नहीं चढ़ायेंगे।

श्री गिरधारी लाल : लोग कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं वे इस प्रकार पूजादि की व्यवस्था खुद करें।

तो मैं कह रहा था कि जो मन्दिर देव-स्थान विभाग के नीचे हैं, उनमें बाहर के लोग, जो मन्दिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वे आज भी चढ़ाते हैं। इससे उनकी धर्म की भावना पर ठेस पहुंचती हो, धर्म की भावना के पक्ष में या विपक्ष में हो, यह बात उचित नहीं है। लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो देवता में विश्वास रखते हैं, वैसे जैसा चढ़ावा चढ़ाते थे, वैसे ही अब चढ़ायेंगे। फर्क इसमें यह है कि पहले कुछ चंद व्यक्ति, जिनको पंडा या पुजारी कह सकते हैं, जिनको मुफ्त खाने वाला कह सकते हैं, वे मौज करते थे, अब देश के काम में आयेगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति के वे उपासक हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बनाने का जिम्मा ले रखा है, मैं समझता हूँ यह कहना कहां तक उचित है। वे कहते हैं जो मुफ्त में खाते हैं जिनको काम में विश्वास नहीं, वे कैसे मठ में रहते हैं, मन्दिरों में रहते हैं...

श्री मदनसिंह : कुछ कुछ एम. एल. ए. भी बन जाते हैं।

श्री गिरधारी लाल : कुछ चन्द व्यक्ति, जैसे पूंजीपति, ने धर्म की अफीम का घूंट पीकर लोगों को चूसा, लोगों का शोषण किया, वह इस धर्म के विश्वास से फायदा उठाते हैं। जो ऊंची जाति वाले हैं, जो पंडे और पुजारी हैं, ये फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि वे हमारे समाज के लिए घातक हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ यह है, आज नैतिक और अनैतिक का प्रश्न नही है, प्रश्न यह है कि कोई भी कौम आज धर्म के, ईश्वर के या भगवान के चिन्तन से बड़ी होती है या काम करने से। मैं समझता हूं आपके भगवान ने क्या सिखाया जनता को ? भगवान ने यह सिखाया कि आसमान की तरफ देखते रहो, काम न करो, अकर्मण्यता की भावना बना लो....

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि जिस भगवान की यहां शपथ ली जाती है, उनके लिए यह कहा कि जनता को क्या सिखाया, यह सिखाया कि आसमान की तरफ देखते रहो . .

श्री उपाध्यक्ष : I think he has a right to express his views. Please continue.

श्री मदनसिंह : यह कहा जाय कि यह सिखाया कि अकर्मण्यता की भावना लो। भगवान के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : It is his conception.

श्री मदनसिंह : भगवान के विरुद्ध इस प्रकार की भावना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल : आप कान बन्द कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member will please not disturb him.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : गलत फहमी फैलाने वाले शब्द नहीं होने चाहिए कि भगवान अकर्मण्यता सिखाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न उनके कन्सेप्सन का है। गलत फहमी पैदा होने का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : उनके कन्सेप्शन हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : You may contact him afterwards to know.

श्री गिरधारी लाल : मेरे कहने का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मकसद था कि आम जनता में यह भावना भर गई है, उसको मैं हमारे पिछड़ जाने का कारण समझता हूँ। अगर कोई भी कौम आगे बढ़ेगी तो दो कामों से, एक तो वह प्रेम करे कर्त्तव्य से, दूसरे ईमानदारी से काम करे और इंसान इंसान से प्रेम करे। मैं समझता हूँ कि दो तीन बातें हैं, जो सब धर्मों में रहती हैं, सब धर्मों में दो तीन बातों को ही मानते हैं, उससे उल्टा पाठ ये पढ़ाने लग जाते हैं, जिससे शक उत्पन्न होता है, जनता के दिमाग में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जो धर्म शब्द इस विधेयक में जोड़ दिया गया है। यदि माननीय सदस्य इसको धर्म शब्द के साथ में नहीं जोड़ते तो थोड़ा उचित रहता क्योंकि इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि अमुक व्यक्ति जो कि राज पूजा करने लिए जाता है, वह दूसरे दिन न जाय, या चढ़ावा ज्यादा चढ़ाये या इस तरह न जाकर इस तरह से जाये। इस प्रकार की इसमें कोई बात नहीं कही गई है। इसमें केवल यह बात कही गई है कि जो प्रोपर्टी है, जो दान है मन्दिर के अन्दर, जो धर्म स्थान की प्रोपर्टी है, जो काफी बड़ी सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति के बल पर कुछ लोगों में अकर्मण्यता की भावना आज भी मौजूद है और उस प्रोपर्टी का नाजायज तरीके से काम लिया जाता है, उस पर कब्जा किया जाता है, उस प्रोपर्टी को सरकार अपने कब्जे में लेकर उसका मैनेजमेंट उचित तरीके से करना चाहती है। केवल इतनी सी बात है, इसमें। मैं समझता हूँ कोई धर्म की बात नहीं, यदि माननीय सदस्य नाराज होते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने या तो यह बिल पढ़ा नहीं, या धर्म की ओट लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म के नाम से कुछ कहा जाय, वह न कह कर मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि आज कल के आपके मन्दिर हैं उनसे हमें क्या मिलता है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया लेकिन जो नैतिकता का प्रश्न है, जो नैतिकता का शब्द

Page No.77

(श्री गिरधारीलाल)

इसके साथ में जुड़ा है, उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो आदमी भगवान को मानता है, यह उसका कोई अच्छा आदमी होने का सबूत नहीं है। आज आप देखिये जितने जंगल में डाकू रहते हैं, सारे के सारे भगवान को मानते हैं, इसे आप कैसे नहीं मानते, आज रूपा डाकू रोज दिन में दो चार बार प्रार्थना करता है . .

श्री मदनसिंह : रूपा डाकू अन्याय करता है और अन्यायी कभी भगवान में विश्वास नहीं करता है।

श्री गिरधारी लाल : अन्याय का प्रश्न नहीं है . .

श्री उपाध्यक्ष : माताजी को मानते हैं।

श्री मदनसिंह : शायद आप वहां जाकर देख कर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष ; Yes.

श्री गिरधारी लाल : जो तस्कर व्यापार करते हैं, वे धर्म को पूर्णतः मानते हैं, ब्लेक मार्केट करते है, वे दिन में चार बार नमाज पढ़ते और पूजा करते हैं, जो कि समाज के दुश्मन हैं, तो यह बात कि भगवान को मानने वाला मनुष्य अच्छा होता है, यह उचित नहीं है। नास्तिक लोग भी अच्छे मिल जायेंगे . . .

श्री मदनसिंह : आप किन में से हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अन्त में बतायेंगे भाषण के।

श्री मदनसिंह : अंत में जबान न आ पड़ेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अंत में बतायें, क्या आर्य समाजी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये कि मुश्किलात बहुत हैं।

श्री गिरधारी लाल : मैं इस बिल के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ सच्ची बात मुंह से निकल जाती है! तो मेरी ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिल को ठेस लग सकती है लेकिन सच्ची बात छिप नहीं सकती। यह मनुष्य का स्वभाव है . .

श्री मदनसिंह : आप कहते जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू रखिये Don't yield the floor.

श्री गिरधारी लाल : मैं माननीय सदस्य के मुताबिक अपने स्थान पर बैठता हूं लेकिन आखिर में कह देना चाहता हूँ कि अभी अजमेर के माननीय सदस्य बैठे थे, उन्होंने मेरे से सलाह की कि अगर माननीय मन्त्री जी विधेयक को वापिस ले लें और प्रवर समिति के सुपुर्द हो जाय तो कुछ सदस्य ऐसे निकल जायेंगे वो मठ में जाकर महन्त बन जायेंगे . ..

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, मैं आपको एक संकेत देता हूं। इस तरह से माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में जायेंगे तो व्याघात हो जायगा, यह अनुपयुक्त है, इसलिए कोई एसपर्शन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में न डालें। इतना पर्याप्त होगा।

श्री गिरधारी लाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह उन्होंने कहा है . .

१२. मध्यान्त

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष उन्होंने मुझे कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दरमियान में जो भी बात चीत हुई हो उसको आप सदन में प्रगट करें ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल : उन्होंने खुद ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वे अपने आप को गरीब समझते हैं क्या चीज़ है ।

श्री गिरधारीलाल : अन्त में मैं सदन से यही निवेदन करूंगा और माननीय मन्त्री महोदय से भी यही निवेदन करूंगा कि जिन भावनाओं में माननीय सदस्य बह गये हैं उसकी तरफ ध्यान न देते हुए इस प्रगतिशील बिल को जल्दी से जल्दी पास करेंगे।

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव के जीवन में क्रांति का आना अवश्यमभावी है। ज्यों ज्यों मानव ने विकास किया त्यों त्यों उसके जीवन में क्रान्ति आती गई। एक समय था जब अपने देश की पब्लिक गुलामी में पड़ी थी लेकिन समय आया जनता ने एक तन्त्र को समाप्त करने के लिये कदम उठाया, मानव ने अपनी करवट बदली। एक तन्त्र को समाप्त करने के लिये हर व्यक्ति ने कड़े से कड़ा विरोध किया और मानव ने जगत को दिखा दिया कि मानव की क्रान्ति को कोई भी रोक नहीं सकता है। इस प्रकार इस प्रजातन्त्र के युग में यह एक इसी प्रकार का कदम उठाना आवश्यक हो गया है कि जब हम यहां पर अपना राज्य कहते हैं तो हमें निश्चय ही उस ओर देखना होगा कि आज जो मानव समाज धीरे धीरे अवनति के रास्ते पर जा रहा है उसका किसी प्रकार से उद्धार हो सके। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने नैतिकता को ऊंचा उठाने के लिए मन्दिरों की जगह जगह स्थापना की थी। कुछ माननीय मित्रों ने आर्य समाज की चर्चा करते हुए मूर्ति खंडन की चर्चा की। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनको मानो तो देव नहीं तो पत्थर की मूर्ति हैं। वास्तव में देखा जावे मूर्ति के पीछे भावना ही प्रदान है। इसलिये हम मूर्ति को रखते हैं और इसके लिये यह आवश्यक है कि मन्दिरों की व्यवस्था ठीक रखी जावे। इसी सिद्धान्त को लेकर मन्दिरों की स्थापना हुई और जो मठों और मन्दिरों के पूजारी थे और महन्त थे उन्होंने समाज को समाजिक ज्ञान देना शुरू किया। उनसे पब्लिक ने सामाजिक ज्ञान लिया। कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं । आज आप देखेंगे कि युग बदला हुआ है पहले स्त्री पुरुष नहीं होते थे। आज स्त्री और पुरुष भी होने लगे हैं। भाई और बहन भी होते हैं। हवा हमेशा बदलती जाती है युग करवटें बदलता रहता हैं और समय समय पर समाज धर्म का रूप लेता है। स्त्री पुरुष, बहिन भाई, पिता और पुत्र होते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस समय यह बिल पास होगा उस समय जो पुराने रूढ़ीवाद में फंसे हुए हैं

(श्री सूबेदारसिंह)

उनका क्या होगा ? मैं समझता हूं कि बहुत सी बुराइयें घुस गई हैं उनको ठीक करने के लिये यह इस प्रकार का बिल लाया गया है। आज हमारे यहां पर मन्दिरों की क्या स्थिति है और किस प्रकार की है यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। जिन मन्दिरों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, चढ़ावे के ज़रिये से, दान के ज़रिये से या उनके पीछे लगी हुईजागीर के ज़रिये से या अन्य दुकानें आदि के ज़रिये से उसके लिये यह निश्चय है कि वह धन किसका है। वह धन किसी का नहीं है वह धन भगवान को अर्पण किया हुआ है और भवान के लिये एकत्रित किया हुआ है उसका किसी प्रकार से एक व्यक्ति भोग करे या उनको अपनी मर्जी से खर्च करे यह इस प्रजातन्त्र के युग में ठीक नहीं। इस प्रकार एक तन्त्र के समय में चलता तो ठीक था। उस समय में एक व्यक्ति राज्य करता था, एक व्यक्ति जागीरदार था, एक व्यक्ति मट का पुजारी था। और वे लोग धन का भोग करते रहते थे। आज धन को वे महन्त और पुजारी इस तरह से खर्च करते हैं और ऐश व आराम करते हुए उनको देखते हैं, हम देखते हैं कि न तो आज मन्दिरों में धर्म ध्यान होता है न किसी प्रकार की धार्मिक चर्चा होती है अतः उसके लिये ट्रस्ट बना दिये जावे जिसके ज़रिये से उनकी व्यवस्था की जावे। माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक प्रश्न है धर्म का और मन्दिर का, हम सब सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि मन्दिरों की क्या हालत है किसी भी मन्दिर में चाहे वो रामचन्द्रजी का मन्दिर हो चाहे कृष्ण का मन्दिर हो चाहे हनुमानजी का मन्दिर हो कहीं भी आपको उनका लिट्रेचर नहीं मिलता न कोई पुस्तकें हैं न कोई लाइब्रेरी है न कोई वहां पर पाटशाला है और न वहां पर किसी धर्म की चर्चा की जाती है। इस प्रकार मंदिरों की व्यवस्था दिनों दिन बिगडती जाती हैं। जहां तक भवना का प्रश्न है मन्दिर के पुजारी और मटों के पुआरी ऐश करते हैं और इस कारण दिनों दिन मन्दिरों की व्यवस्था बिगडती जाती है। यदि आप बनारस के सारनाथ मन्दिर को देखे और अगर आपको उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो आपको मालूम होगा कि वहां वे किस प्रकार से मन्दिर की सफाई में तल्लीन रहते हैं। वे लोग कपड़े लेकर किवाड़ों को साफ करते रहते हैं। फर्शों को साफ करते रहते हैं। और सारे दिन मन्दिर की सफाई में लगे रहते हैं। जो यात्री वहां पर जाते हैं उन सबको वे रास्ता दिखाते हैं। उस मन्दिर में बुद्ध का सारा लिट्रेचर वहां पर मौजूद है। जब तक आप इस प्रकार की व्यवस्था न कर सके तब तक आप मन्दिरों कि आमदनी को लेकर मन्दिर के पुजारियों के हाथ में न दें। इतने बडे आमदनी के मन्दिर में भगवान के नाम पर भोग लगता है वही एक स्प्रिट है ना ही कोई दर्शन को बन्द करने जा रहा है मगर यह जो व्यवस्था ठीक नहीं है। उसको ठीक करने जा रहे हैं कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की आलोचना की कि जब ट्रस्ट बन जावेगा तब न ही कोई दान करेगा न ही कोई चढावा चढावेगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य सभी बातें जानते हैं और जानते हुए भी कहना नहीं चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा समाज किस प्रकार अंध विश्वास धर्म में रखता है। मन्दिर में इसी नियत से जाते हैं कि हमें मन्दिर में ठाकुर के दर्शन करने हैं। बड़ी भीड़ मन्दिर में दर्शन के समय लग जाती है।

(श्री सूबेदारसिंह)

वे नहीं सोचते कि आज मंदिर के, मठ के पुजारी और महन्त क्या करते हैं ? आपके आचरण में नहीं जाना चाहते और नहीं व्यवस्था में कि किस प्रकार पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अन्ध विश्वास है और लोग दर्शन करने आते हैं और जो कुछ होता है वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने ट्रस्ट की आलोचना की कि इसके बन जाने से मन्दिरों की हालत खराब होगी। मुझे सब मन्दिरों के लिए कुछ नहीं कहना है लेकिन एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में बड़ा तीर्थ स्थान है रामेश्वरम्। मैं कुछ मित्रों के साथ वहां पर गया। मुझे पंडों ने घेर लिया और कहने लगे सात रुपया लेकर गंगा जल देंगे। मैंने पूछा कि यहां कोई ट्रस्ट है या नहीं पण्डों ने मुझे नहीं बताया लेकिन नौकरों ने बताया कि ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट को पैसा दिया तो मालूम हुआ कि पण्डों के पास गंगाजल नहीं है। समुद्र का जल शीशी में भर कर दे देते हैं। छटांक डेढ छटांक समुद्र के जल के सात रुपया। आप अन्दाज लगाइये कि यह हालत है। जो यात्री पैसा देना चाहते हैं वे ट्रस्ट को दें और जिस भावना से देना चाहेंगे, जैसे एजुकेशन के लिए, लिट्रेचर के लिए, भवन बनाने के लिए, उस पैसे का उसी काम में सदुपयोग होगा यह इस बिल की भावना है। जहां तक धार्मिक भावना की बात है कुछ मित्रों ने ईसाई और मुसलमानों की चर्चा की। मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि ईसाई और मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं लिया। मेरा खुद का तो ऐसा ख्याल है कि मस्जिदें हैं हर जुम्मे के रोज़ जितने भी मुसलमान परिवार है वहां इक्ट्ठे होते हैं। वे सोचते हैं कि अपने समाज की और अपने ट्रस्ट की उन्नति कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार है। इस प्रकार वे लोग वहां निश्चय करते हैं। चर्च में क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं ? यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हिन्दू लोग मन्दिरों में नहीं जाकर बैठते। जन्माष्टमी के रोज़, जिस भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, कितने लोग ऐसे हैं जो मन्दिरों में जाते हैं ? बहुत से लोग घरों में ही बैठे रहते हैं। कितने लोग रामनवमी के दिन जाते हैं ? आज हिन्दू समाज में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हिन्दू परिवार कम से एक सप्ताह में अथवा ऐसे अवसर पर सब मन्दिरों में इक्ट्ठे होकर वहां की व्यवस्था की चर्चा करें।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : कई हिन्दू ऐसे हैं जो जाते हैं और व्यवस्था करते हैं।

श्री सूबेदारसिंह : यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। है। इसलिए उसको लागू करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। आज पैसे के सदुपयोग करने की व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्यों का ख्याल है कि राजकीय विभागों में बहुत गड़बड़ी होती है और इस प्रकार इन ट्रस्ट्स में भी गड़बड़ी होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि धीरे २ जनता इसको समझेगी तो एक दिन आयगा कि इस प्रकार के ट्रस्ट ठीक प्रकार से चलेंगे। पैसा बचेगा तो स्कूल और पाठशालाओं में, भवन बनाने में और अन्य उपयोगी कामों में खर्च करेंगे। यह सोचा जायगा कि समाज का नैतिक स्तर किस पर ऊंचा किया जाय, किसी प्रकार ज्ञान दिया जाय।

Page No.81

(श्री सूबेदारसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में धर्मादे का भी खर्चा है। कुछ मित्रों ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ व्यापारी अपनी रोज़ी में से जो कमाते हैं उसमें से देते हैं। मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता। व्यापारी कमाते हैं लेकिन अपनी रोज़ी से कमाई नहीं देते हैं। किसान और मज़दूर जो अनाज़ शहरों में लेकर आते हैं, वे व्यापारी उनसे धर्मादे के नाम पर लेते हैं। एक ज़माना था जब कि धर्मादे के नाम पर शहरों और मंडियों में प्याऊ बनाना शुरू किया था। नाम उन लोगों ने अपना रखा। इसको भी जनता ने बर्दाश्त किया किसी सेठ के नाम से प्याऊ रहे लेकिन वहां पीने को पानी तो मिलता है। लेकिन ज्यों ज्यों पैदावार बढ़ी, शहरों और मंडियों में अधिक अनाज़ आने लगा और धर्मादे की आमदनी, दूनी, चौगुनी और सौगुनी होने लगी। उन लोगों ने शहरों में मन्दिरों के नाम पर धर्मशाला खोलना बन्द कर दिया और उन रुपयों को वे लोग बहाने बाज़ी के साथ खर्च करने लगे। वे महोदय उन रुपयों को अपने लड़के लड़कियों की शादी में खर्च करने लगे। उपाध्यक्ष महोदय यहां तक देखने को मिलता था कि पत्नी के नाम से, विडोबाइफ के नाम से ...

श्री उपाध्यक्ष : विडोवाइफ कैसे होगी ?

श्री सूबेदारसिंह : विडो कोई औरत है उसके नाम से मकान खड़ा करने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज समय की यह मांग है कि इस प्रकार जो रुपया धर्मादे में आता है, वह सार्वजनिक हित में खर्च किया जाना चाहिये। इसलिये जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये और यदि इसको प्रवर समिति को या पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाता है तो निश्चय ही जो सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाया है उसमें कुछ रुकावट होती है और जनता यह महसूस करेगी कि विधान सभा के सदस्य यहां से जो राय प्रकट की जा चुकी है और इस काम में वे अड़चन डालते हैं। यह कहते हुए और इसके पक्ष में बोलते हुए मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री किशनसिंह बाट्ड़ (लक्ष्मणगढ़) : ये पहले बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पहले बोल चुके हैं ?

श्री शिवचरणदास : बोला नहीं हूं लेकिन बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना चाहते हैं यह अलग विषय है।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यास विधेयक, १९५८ प्रस्तुत हुआ है। इसके ऊपर सदन में पक्ष और विपक्ष में कई विचार धारायें आई हैं। मैं भी इसके विरोध से अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा माननीय सदस्यों ने धर्म के ऊपर अघात होने का आरोप लगाया है। इसका विरोध

(श्री शिवचरणदास)

किया है । मैं समझता हूं कि हमारे धर्म के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं हैं । हमें यह देखना है कि क्या इस बिल को लाने का सरकार को अधिकार है या नहीं ? मैं समझता हूँ कि जो भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है उसको देखते हुए हमें यह अधिकार नहीं है कि हम इस प्रकार का बिल यहां लायें । हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश किया है और सम्भवत: उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । यदि ध्यान देते हुए भी यह हिम्मत की है तो यह एक महान आश्चर्य है ! भारतीय संविधान की २६ वीं धारा (ग,घ) में यह स्पष्ट लिखा है कि जंगम और स्थावर सम्पति के अर्जन और स्वामित्व का, तथा (घ) ऐसी सम्पति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा । तो आज हमारे मंदिरों की जो सम्पत्ति है या खज़ाना है उसका उपयोग कैसे हो इसके लिए सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि उसके लिए कोई हस्तक्षेप करें । यह हमारे संविधान का आदेश है । उसका उल्लंघन करके हमारी सरकार ने हिम्मत की है उसको मानने के लिए कोई नागरिक तैयार नहीं होगा और मैं तो यहां तक सोचता हूं कि यदि हमने किसी प्रकार बहुमत के आधार पर, उसके बल पर इसको पास भी कर लिया तो यह निश्चित है कि इसका घोर विरोध होने वाला है और आगे जो इसका भयंकर नतीज़ा होगा उस पर पहले विचार करना होगा ।

आज हम सन् ४७ के उस समय को याद करें जब हमने आज़ादी की आवाज़ उठाई थी । वह केवल इस बात के लिए नहीं थी कि केवल हम सड़कें स्कूल या और कोई इस प्रकार के कार्य करेंगे । यदि हमारा यही लक्ष्य होता तो विदेशी हकूमत को भी यदि हम कहते और यह मांग रखते तो उसके लिए वह भी तैयार हो सकती थी और हमसे ज्यादा, जो सरकारी योजनायें बन रही हैं । उनसे अधिक और सुचारु रूप से विदेशी हकूमत योजना बना सकती थी, स्कूल, सड़कें बना सकती थीं । लेकिन आज़ादी लक्ष्य जो प्राप्त करने का था वह केवल स्कूल और सड़कों तक ही नीहित नहीं था । लेकिन यह था कि हमारे यहां के नागरिकों को मानसिक और अध्यात्मिक स्वतंत्रता मिले और उनको लेकर इतनी बड़ी कुर्बानियां कीं । मैं यह भी कहने जा रहा हूँ कि चाहे यह धर्म के ऊपर आक्षेप करें या नहीं लेकिन यह एक अनाधिकार चेष्टा है यदि हम यह हिम्मत करें कि इसको पास करेंगे ही । इसके लिए संविधान ने कोई अधिकार नहीं दिया है और वह सरकार ऐसा करती है जो अधर्मी सरकार है जो यह कहती है कि धर्म निरपेक्ष शासन चलाते हैं । उस सरकार को यदि अधर्मी नहीं कहें तो क्या कहें ? दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है । यह प्रयास किया जा रहा है कि रात्रि का जो गुण है अंधकार का उसमें दिन का जो सूर्य का गुण है वह रात्रि में लाना चाहते हैं । हमने बिजली चलाई है लेकिन वह कृत्रिम है । सूर्य के समान रात्रि में उसका उजेला नहीं हो सकता यह तो प्रकृति का नियम है । यदि सरकार नागरिकों के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन पर कुठाराघात इस प्रकार करना चाहती है और डंडे के बल पर नागरिकों की इस स्वतन्त्रता का हरण करना चाहती है, शासन के बल पर उनकी आत्मा पर आघात करना चाहती है, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अनुचित है ।

(श्री शिवचरणदास)

अब प्रश्न यह आता है कि जब हमें ऐसे अधिकार नहीं और बहुमत के बल पर ऐसा करें तो इसके क्या परिणाम होंगे यह भी विचार के योग्य है। इसके परिणाम यह है कि मैं समझता हूं हम एक सीधे ढंग से सोच लें कि आज हमारा बहुमत है तो आप और हम इस तरह से कर रहे हैं एक समय वह भी था जिसमें विदेशी लोगों का बहुमत था उनकी हकूमत थी। फिर भी उन्होंने यहां के नागरिकों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ठीक नहीं समझा। उनकी हकूमत थी वे आपसे कई गुना अधिक स्कूलें सड़कें योजनायें आदि बना सकते थे। लेकिन जब उनके द्वारा भी जनता की भावना को कुचलने का प्रश्न आया विदेशी हकूमत को जाना पड़ा। उनके सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। अच्छे कपड़े पहनना और स्कूली शिक्षा आदि का प्रबन्ध कर देना यह तो विदेशी हकूमत भी कर सकती थी और आप से बहुत अच्छे मायने में। अगर माननीय सदस्य के कहने के मुताबिक प्रगति इसे ही वे मानते हैं। तो विदेशी हकूमत ऐसे मामलों में आपसे कही ज्यादा अच्छी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यां से कह देना चाहता हूं कि सुधारवाद और प्रगतिवाद की आड़ लेकर जो आप धार्मिक मामलात में संविधान में दी हुई सुरक्षा के बाद में भी आप आघात करना चाहते हैं यह अनुचित है।

कई माननीय सदस्यों ने भगवान पर भी आरोप लगाये यह उनकी अनधिकार चेष्टायें थी ये उनकी अपनी विचारधारायें थी भगवान क्या है और क्या नहीं यह उनके कहने और न कहने से कुछ होने वाला नहीं है। संविधान के अन्दर जो स्वतंत्रता है जो धार्मिक स्वतन्त्रता हमें मिली है उसके लिये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं सरकार को इस प्रकार किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करने का किसी प्रकार भी अधिकार नहीं है।

इसमें दो राय नहीं वास्तव में मन्दिरों में जो आज पैसा है उसका दुरूपयोग होता है। लेकिन इस पर नियन्त्रण करके का सरकार को अधिकार नहीं है। बल्कि उस सम्प्रदाय के लोगों को और उस समाज को अधिकार है कि वे उस पर अपना नियन्त्रण रक्खें सरकार को इस पर क्या अधिकार हो सकता है। अगर सरकार सोचती है कि उसको सब कुछ अधिकार है। तो पहले गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा स्मारक निधि के लिये ऐसा कोई बिल लाती। आज इन निधियों में जनता का करोड़ों रुपया है। कांग्रेस के पास जनता का फंड है क्या कभी कांग्रेस ने इस प्रकार के फंड का हिसाब प्रकाशित किया है? इसमें जनता का नियन्त्रण नहीं सरकार का नियन्त्रण नहीं तो आप केवल हिन्दुओं के मंदिरों पर ही इस प्रकार का नियंत्रण क्यों रखन चाहते हैं। आज भी कांग्रेस के पास जनता का पैसा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा चन्दे के रूप में आपको देते हैं वह आपके पास है आप उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं आप उसका हिसाब नहीं बताना चाहते।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी(डीग): वहां हिसाब का ऑडिट होता है बाकायदा ऑडिट होता है और वह मेम्बरों के सामने रखा जाता है।

श्री शिवचरणदास : यहां मेम्बरों का प्रश्न नहीं। जनता से पैसे लेते हैं क्या आपने उसका हिसाब जनता के सामने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : राजनैतिक पार्टियों में किस प्रकार की व्यवस्था है उस सम्बन्ध में आप ख्वामख्वाह प्रकाश डाल रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, वह भी तो एक प्रकार से सम्प्रदाय है वह धार्मिक सम्प्रदाय है। तो वह एक राजनैतिक सम्प्रदाय है दोनों में मैं किसी प्रकार का अन्तर नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष : It is not, I will not be worthwile to discuss the affairs of a Political party.

श्री शिवचरणदास : पोलिटिकल पार्टीज़ और धार्मिक संस्था दोनों एक प्रकार से एक ही है वहां पर भी जनता द्वारा पैसा आता है और इसमें भी जनता का ही पैसा है। धार्मिक मामलों के अन्दर जब सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उनको इसमें भी हस्क्षेप करना चाहिये।

श्री किशनसिंह बाट्टड़ (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय,

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई खेती का सवाल नहीं है। अगर हम इस चीज़ को पोलिटिकल पार्टीज़ पर भी घटाते हैं। तो दोनों मुकाबले की चीज़ है अगर कांग्रेस के पैसे के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि उसका हस्तक्षेप धार्मिक पैसे पर हो। आपको जब कांग्रेस के पैसे में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं तो धार्मिक ट्रस्टस के सम्बन्ध में इस प्रकार का हस्तक्षेप करना कतई उचित नहीं। एक सवाल अब यह रह जाता है कि उनके सदस्यों के सामने हिसाब किताब रख दिया जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं इस संस्था में जो पैसा है। वह केवल कार्यकारिणी के सदस्यों का या मेम्बरों का नहीं है बल्कि वह तो जनता का पैसा है उसका हिसाब तो जनता को मिलना चाहिये। सन् ४७ से पहले के समय को याद कीजिये जिस समय लोगों ने भारतवर्ष के एक एक बच्चे ने आपको आजादी के संग्राम में लड़ने के लिये धनराशि दी थी। उसका हिसाब मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को हो। क्या आपके नेताओं ने आपने उसका हिसाब दिया है। आप यदि किसी के धार्मिक ट्रस्टस पर ही अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो आप अपने से चलिये फिर आप इधर आने की चेष्टा कीजिये।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : क्या जन संघ ने हिसाब दे दिया है।

श्री शिवचरणदास : जब तक आप अपनी पार्टी का हिसाब जनता के सामने नहीं रखते उस पर सरकार का हस्तक्षेप आप पसन्द नहीं करते वैसी हालत में दूसरे लोगों को धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों पर आप अपना नियन्त्रण चाहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय यह एक प्रकार से अध्यात्मवाद पर भौतिक वाद की छाप लगाना चाहते हैं। मैं मानता हूं इसमें जनता का पैसा है

(श्री शिवचरणदास)

वह पैसा ऐसा है जिसको अपने निजी उपयोग के लिये नहीं लाया जा सकता। वह आस्तिक वादियों का पैसा है। उसका उपयोग नास्तिक वादियों के लिये नहीं किया जा सकता और उसका अधिकार भी नास्तिक लोगों को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे यह भी निवेदन करूं उनका इस प्रकार से हस्तक्षेप करना जरूरी है और वे इसमें करना चाहते हैं तो इसके दूसरे तरीके भी है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जिस ढंग का तरीका अपना रहे हैं वह उचित नहीं है उसके अलावा दूसरे तरीके भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। मैं उनसे पूर्ण सद्भावना के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह तरीका यह है कि आप समाज में आइये और इस ढंग से सन्यास ग्रहण करिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन के बाहर की स्थिति का इसके साथ मिलान न करें जो कुछ विधेयक में सिद्धान्त है उन्हीं तक अपने को सीमित रक्खें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह जो हम नहीं कह रहे हैं कि लंगोट लगा लें।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार हमारे मन्दिरों की जो निधि है उसके व्यवस्था के नाम पर अपना हस्तक्षेप करना चाहती है। मुझे अधिकार है कि मैं सरकार को हमारे वैदिक और शास्त्रीय ढंग है उसको मैं बताऊं इसलिये मैं उन शास्त्रीय ढंग को बताने के लिये यह निवेदन कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे सदन की मर्यादा सम्बन्धी बात कही है।

श्री मदनसिंह : पचास वर्ष बाद तो सन्यास ले सकते हैं।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मर्यादा के सम्बन्ध में संकेत किया है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका आप दूसरा अर्थ क्यों लेते है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है आप अपना भाषण आरम्भ रखिये।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के उपाय हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था जमाना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में उसके लिये ढंग हैं आज कोई भी व्यक्ति सन्यास धारण करके जनमत को अपने आध्यात्मिक बल पर बदल सकता है और उस ढंग से वह उसके कोश की भी व्यवस्था कर सकता है। आप शिक्षा के जरिये ऐसा जीवन बनाइये जिससे यह जो अव्यवस्था है आपने आप ठीक हो सके। आप शक्ति के बल पर कानून के बल पर शासन के बल पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो मैं समझता हूं यह बहुत ही गलत होगा।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नज़ीरें पेश करना चाहता हूं क्या वास्तव में सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को सरकार निभा सकी है खाली वाद या इज्म का नारा लगाकर यह काम नहीं चलता। आप अपने किसी भी

Page No.86

(श्री शिवचरणदास)

विभाग को उठाकर देखिये उसमें किस किस प्रकार के घोटाले हैं समाज कल्याण विभाग को ही लीजिये उसमें कुनबापरस्ती के सिवाय और कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज इस विभाग में केवल एक कुनबे का पोषण होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर न हों। प्रश्न माननीय सदस्य के सामने विधेयक का हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री शिवचरणदास : विधेयक में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लेकिन जो सरकार यह चाहती है कि मन्दिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लेकर उसमें सुव्यवस्था जमाना चाहती हैं उसके लिये मेरा निवेदन है कि वह अपने विभागों को देखें। जब वे अपने अधीनस्थ विभागों को ठीक कर लेगें तो इस ओर कदम बढ़ा सकते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow irrelevant portions of the debate neither I will allow repetitions in the debate. न मैं आपको पुनरावृति की आज्ञा देता हूँ और न अप्रासंगिक बातों का उल्लेख करने की ही जिसका सम्बन्ध इस बिल से नहीं हो।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें या न दें। मेरा जो फर्ज हैं मेरा जो अधिकार है उसको तो मैं पूरा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पुन : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आसन की जो व्यवस्था है उसका सम्मान करेंगे।

श्री शिवचरणदास : आदेश का सम्मान करते हुए भी उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अधिकार है उसको कभी छोड़ने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बड़े अदब से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन की कुछ मर्यादायें और परम्परायें हैं। वादविवाद के कुछ नियम हैं। व्यवस्था के सम्बन्ध में जहां तक प्रश्न है सदन के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि यह व्यवस्था का पूरा सम्मान करें। जहांतक माननीय सदस्य के अधिकार का सम्बन्ध है आसन इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहा है। जहां तक वादविवाद के सम्बन्ध में जब कभी व्यवस्था दी जाय सभी माननीय सदस्यों का कर्तव्य है उसका सम्मान करें। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा रोष में न आकर के वे अपने कर्तव्य को निभायें।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए और अधिकारों का पालन करते हुए आसन से सविनय निवेदन करूंगा कि कम से कम वे मुझे बार बार इन्टरप्ट न करें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member not to convess the Chair.

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है

(श्री शिवचरणदास)

तो खैर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कल मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुए हाई जम्प और लोंग जम्प और भोपाई का रूप दिखाया। उस प्रकार से भोपाई का भाव न दिखाते हुए उदयपुर के अन्दर एक कान्ड हुआ था उस ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं I very much resent these aspersions.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : भोपाई के लिये तो आप मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) यह मौलवी साहब कौन हैं?

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, उनकी उड़ाने बहुत तेज होती हैं किन्तु उनको यह याद होना चाहिये जिस समय उदयपुर में शान्तिलाल और एक दूसरे छात्र पर फायर हो रहे थे, उस समय वे भागते हुए नजर आ रहे थे और आज वे कहते हैं क्षत्रियों में खून नहीं उनकी नशों में खून नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा विश्वास है मैंने माननीय सदस्य का ध्यान बड़ी नम्रता से इस ओर आकर्षित किया था। पुन: मैं माननीन सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के बाहर कोई भी स्थिति उनके बीच में रही हो उसका प्रसंग उसका संबन्ध यहां जोड़ना उचित नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही माननीय सदस्य अपना भाषण आरम्भ रक्खे।

श्री शिवचरणदास : मुझे दु:ख इस बात का है कि कल जब यह कहा गया कि क्षत्रियों में वह रक्त नहीं उस समय उन पर रोक नहीं लगाई गई। मैं जब कि वे सामने बैठे हुए उनको सही बात कह रहा हूं तो मुझे क्यों रोका जाता है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने कभी यह नहीं कहा कि क्षत्रियों में खून नहीं है। आप मेरी भाषा का गलत अर्थ लगाते हैं तो यह मेरा दोष नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि क्षत्रियों में कोई गुण नहीं। मैंने तो कहा था क्षत्रियों का पुनर्भव हुआ है।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय सदस्य बोलते हैं अपने होश खो बैठते हैं आप प्रोसीडिंग में देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य ने नहीं किया था।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी भावनाओं का सदुपयोग किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था, जो सरकार आज दिन तक दिवालिया रही है जिसका बजट हमेशा घाटे में चला है। उसके हाथ में वह चीज़ देना जो आध्यात्मवाद की चीज़ है जिसके साथ वे खिलवाड़ करें यह उपयुक्त नहीं है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा था हिन्द

(श्री शिवचरणदास)

मात्र का अधिकार है कि वह अपने मन्दिरों के लिये कानून बनाये। अपने आपको हिन्दू मात्र कहने से हिन्दू नहीं हो सकते। हिन्दू संस्कृति और परम्पराओं के निभाने पर हिन्दू कहला सकते हैं। मैं समझता हूं कर्म से हिन्दू होना सही मायने में हिंदुत्व है। जब कि आपको हिन्दू कहलाने का अधिकार नहीं वैसी हालत में हिन्दू मन्दिरों की निधि को लेकर अपनी राय प्रकट करना कोई मायने नहीं रखता। मैं यह सोचता हूं उपाध्यक्ष महोदय यहां एक भावना का प्रश्न आता है मन्दिर हमने बनाये मन्दिर जो बने हैं वे हमारी भावनाओं के प्रतीक हैं उसमें हमें एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन मिलता है। उस शक्ति के लिये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा आज यह शक्ति जनता में है। जनता ने हमें बहुमत दिया है और उसी के आधार पर हम शासन चला रहे हैं इससे उनका कहना है कि जनता हमें पसन्द करती है। यह ठीक है लेकिन जनता की उससे भी अधिक भावनायें जनता की उनके मन्दिरों पर है। जिस जनता पर आप टैक्स लगाते हैं एक आना दो आना वह जनता उसका विरोध करती है लेकिन वही जनता मन्दिरों में सैकड़ों ही नहीं लाखों और करोड़ों रुपया बिना किसी टैक्स के बिना दबाव के अपनी भावना से प्रेरित होकर अर्पित कर देती है। उस पैसे को आप चाहते हैं कि अपने नियन्त्रण में करें। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिल इसके लिए हमारे सामने लाया गया यह नियन्त्रण करने में उपयोगी होगी यह कदापि नहीं हो सकता। अभी कल की बात है कृषि सहकारी समिति के बारे में कहा गया था कि इसके अन्दर वे ही लोग होंगे जो भूमिहीन होंगे जो जन्म से यह पेशा करते आये होंगे, लेकिन मैं देखता हूं आसीन्द के अन्दर एक कृषि सहकारी समिति का गठन हुआ है जिसके अन्दर सभी पूंजीपति इकट्ठे हो गये हैं और ऐसी हालत में भी वह सरकार द्वारा पनपाई जा रही है। ऐसी हालत में एक ओर तो भूमिहीन तरस रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय सदस्य फिर अपने विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : मैं प्रसंग के रूप में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका इस विधेयक से सम्बन्ध क्या है ?

श्री मदनसिंह : (दांतारामगढ़) गवर्नमेन्ट की एफीशियेन्सी बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एफीशियेन्सी का जिक्र करते हुये आप तो कोओपरेटिव पर चले गये।

श्री शिवचरणदास : मैं इस विषय को लेकर इतना ही कहना चाहता था कि सरकार अपने अधीन जो महकमें हैं उनमें भी सुधार नहीं कर सकती तो इस प्रकार से मन्दिरों की निधि में क्या सुधार कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जिस चीज़ का सदन में कई बार जिक्र हो चुका सदन में उसको बार बार कहना उसका पीष्ट पोषण करना उपयुक्त नहीं।

श्री शिवचरणदास :उपाध्यक्ष महोदय मेरा केवल इस प्रसंग को लाने का मतलब यह था कि मैं इस प्रसंग के साथ उसको जोड़ना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो जुड़ गया अब क्या बात है।

श्री शिवचरण दास: उपाध्यक्ष महोदय, जब हमें आजादी मिली थी तब हमारी सरकार ने एक सर्वोदय वाद की नीति अपनायी थी। उस सर्वोदय के सिद्धान्त के बाद हमारी सरकार ने समाजवाद का नारा लगाया समाजवाद के नारे से कुछ नहीं होता दिखाई दिया। तो उसने अपना रुख साम्यवाद की ओर मोड़ लिया। इस तरह से यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार की अपनी कोई एक नीति निर्धारित नहीं है उसका एक लक्ष्य नहीं है। वैसी हालत में जब वह हमारी इस निधि को व्यवस्था वह अपने हाथ में लेना चाहती है। तो हमें शंका होती है। मैं ही नही सारा सदन इस पर शंका करता हैं इस प्रकार से यह बिल संविधान के प्रतिकूल है और अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापिस लें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, प्रस्तुत विधेयक का कलेवर देख मेरी पुरानी शंका कि जब हम कानून पास करते हैं तो कभी कभी सुव्यवस्था उत्पन्न करने के बजाय हम अच्छी व्यवस्था की लंगी लगा देते हैं वह मेरी आशंका इसका कलेवर देख कर दृढ़ हो गई है। यह बड़ी सोच विचार की बात है कि हम एक विषय के विशेषज्ञ हैं और हम अपने देश की व्यवस्था कानून के द्वारा करते हैं और जनतन्त्र को हम उससे बल देते हैं। कानून का राज्य उत्पन्न करते हैं और कानून बनाते समय हम कानून बनाते नहीं बल्कि कानून को बिगाड़ते हैं और बड़ी गैर जिम्मेदारी तरीके से उन चीजों पर विचार करने से इन्कार कर देते हैं। अपनें दिमाग से जरूरी चीजों की तरफ से आंख बन्द करके कदम उठाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति बड़ी घातक प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है। उसकी सबसे पहले दो मिसाल दूंगा और जो विधेयक सदन में इस समय लाया गया है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरे ही चैप्टर में कुछ बातें रखी गई हैं जिसमें एक बात यह है कि कोई हिन्दू ट्रस्ट अन्सरटेन्टी के कारण रद्द नहीं माना जाये। हमारे देश का नहीं बल्कि समस्त संस्कृत देशों का जहां कि कानून की परम्पराए हैं वहां भी यह माना हुआ नियम है पुराने रोमन एम्पायर से जहां से इन परम्पराओं की स्थापना हुई और जिनको भारतवर्ष ने भी अपनाया है उसका सिद्धांत है कि ट्रस्ट क्रियेट करने के लिए दान दाता जो हैं उसकी मन्शा क्या है। अगर उसकी मन्शा सबसे पहले ज़ाहिर नहीं हुई है ऐसे शब्दों के उपयोग में अपनी मन्शा को ज़ाहिर किया है जिनका अर्थ लगाना असम्भव हो तो उस कानून को ठीक नहीं मानते। ऐसी अनिश्चितता के रहते हुए भी वह माना जायेगा। हम अन्दाजा नहीं लगा सकते फिर भी हम ट्रस्ट को वाजिब मानते हैं तो उस मन्शा की जगह कानून के अधिकारों की मन्शा को सबस्टिट्यूट कर देते हैं। यह कृत्रिम प्रोविज़न करके अच्छे कानून जो सदियों से चलते आये हैं और जिन पंडितों ने उनको प्रतिपादित किया उनके अनुसार परम्परायें करते आ रहे हैं उसको इस प्रकार से लंगी लगा देते हैं।

(श्री महेन्द्रसिंह पवांर)

दूसरी मिसाल आपको देता हूं। उस मेरी मिसाल को समझने के पहले मैं इतना निवेदन कर दूं कि ट्रस्ट की परिभाषा जिन भाइयों ने कानून पढ़ा हैं वह जानते हैं कि ट्रस्ट के अन्दर दो चीजें आवश्यक होती हैं। ट्रस्ट के अन्दर दान देने वाला किसी विशेष प्रयोजन के लिए दान देता है, एक चीज़ और जिनकी भलाई के लिए देता है उसके अतिरिक्त किसी दूसरे आदमी को उसका ट्रस्टी बनाता है और उसको जिम्मेदारी देता है कि तुम इस उद्देश्य से दिए हुए दान के पैसे का प्रयोग करो। दो आइडियाज़ ट्रस्ट में होते हैं। अब मन्दिर और मठों को देखिये। आप कोई भी कानून की परिभाषा में, कोई भी कानूनी विचार परम्परा के अनुसार किसी भी जुरिस्प्रुडेन्स के विज्ञान के अनुसार आप किसी भी मन्दिर को ट्रस्ट नहीं कह सकते क्योंकि मन्दिर किसी ट्रस्टी को दिया हुआ नहीं होता है। मन्दिर बना कर के किसी आदमी ने उसे आइडियोल को अर्पण किया है और उसके अन्दर बैठा हुआ पुजारी अथवा कोई भी उस आइडियोल को रिप्रेजेन्ट करता है, वह उसकी तरफ से नियमन करता है, मालिक की हैसियत से काम करता है और उसना बेनीफिशियेली दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मठ हैं। बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं शंकराचार्य की हैसियत के लोग होते हैं उनके पास समर्पण की हुई सम्पत्ति आती है और वह उस सम्पत्ति से अपने शिष्यों के पढ़ने के लिए अथवा किसी दूसरे प्रयोजनों हेतु इमारतें बनवाते है। अपनी उसूली परम्पराओं को सिखाने के लिए भवनों आदि का निर्माण करवाते हैं और जो भी आवश्यक चीजें होती हैं यूनिवर्सिटी आदि का निर्माण करवाते हैं। गुरु उसका मालिक है स्वामी को हैसियत से उनका नियमन करता है, ट्रस्टी को हैसियत से नहीं। किसी भी जुरीस्प्रुडेन्स की विचारधारा में मन्दिर डेडीकेटेड प्रोपर्टी है। जिसको दी गई है वही उसका नियमन करता है, इन्तजाम करता है। लेकिन हमारे इस बिल के अन्दर एक कृत्रिम परिभाषा देकर उसको ऐसा पलट दिया कि मन्दिर और मठ भी ट्रस्ट माने जांय। सिर्फ इतनी हल्की सी बात। मेरी मिसाल कोई दलील नहीं है लेकिन मेरे विचारों को समझने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। हम एक कानून बनाते है जि जहां मांस काटा जाता है वहां पर किस किस प्रकार के जानवर काटे जायें और क्या क्या काटा जाये। आज इसके लिए नगरपालिका कानून बना सकती हैं और ऐसे उसके पास अधिकार है लेकिन साथ ही साथ उसमें एक प्रोविज़ो लिखा है कि वह शक्ति रहते हुए भी गो हत्या नहीं करा सकती नगरपालिका क्योंकि उसको कानून ने बन्द कर दिया। अब मान लीजिये कि म्युनिसिपैलिटी कानून बनाती है और उसकी परिभाषा में लिख देती है कि जानवरों के काटने की व्यवस्था यह रहेगी कि गौ को भी बकरी बना दिया जाये। याने यह कानून को लंगी देने की बात है। आप गाय को बकरी मानेंगे और कानून के सम्बन्ध में ऐसा कह कर के आप गोवध जारी कर सकते हैं। यह ऐसी भद्दी बात है। जिनको आप ट्रस्ट नहीं कह सकते उनको आप आज ट्रस्ट कह रहे हैं। किसी को किसी बेनीफिशियल के लिए कोई चीज नहीं दी गई है और आपने अपनी कृत्रिम परिभाषा के अनुसार उसको ट्रस्ट बना दिया। ठीक है, इतनी भद्दी बात भी चल सकती है। आप शक्ति से उसको मनवा लीजिये बाकी आज

(श्री महेन्द्रसिंह पवांर)

ही एक जुमला बताया था उसमें लिखा था कि ब्रूट फोर्स से कोई चीज़ समझाने वोले है लेकिन पाशविक ऑग्यूमेंट्स से कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। आप दलील के अन्दर पाशविकता घुसेड़ रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आपका मतलब है कि सरकार ने हमें पशु बना दिया ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पाशविकता में और इस प्रकार के बौद्धिक दृष्टि में भेद नहीं है, मैं इतना कह रहा हूं। अब जिसने किया नहीं, किया वह तो समाज की कमी है, सरकार का कसूर नहीं है। मन्दिरों के अन्दर जिस दुर्व्यवस्था का जिक्र किया जाता है और उसको हम मानते हैं वह भी समाज की कमजोरी है। आप कई बार कह देते हैं कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार है, वह भी समाज की कमजोरी है, तो समाज में बुनियादी कमजोरी है उसी के कारण यह सब है। मैं तो यह इस चीज़ का हल नहीं मानता। आज मन्दिरों में जो दुर्व्यवस्था है उसके लिए इस प्रकार का कानून बना देना और उसके ऊपर कमिश्नर बैठा देना और सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण उत्पन्न कर देना वह उसका हल नहीं है। मेरी यह पक्की धारणा है और यह हल इसलिए नहीं है कि अगर समाज अपनी समस्याओं को अपनी शक्ति से हल करना नहीं जानता इतने वर्षों की परतन्त्रता के बाद हमने गणतन्त्र में रहना भुला दिया तो आज मन्दिरों के अन्दर कमजोरी आती है, उनके इन्तजामों में कमजोरी आती है और इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता जागरूक नहीं है। इनकी तरफ जनता की दिलचस्पी नहीं है। ठीक उसी कारण से आज सरकार भी कच्ची बनती है। आज सरकार के अन्दर जैसा संगठन होना चाहिये उसकी प्रतिछाया सरकार में नहीं आ पाती है तो जो आज समाज कमजोर है उसकी प्रतिछाया मन्दिरों में कमजोरी पैदा करती है। जो कमजोरी आज मन्दिरों में है वही सरकार में है। जो दुर्व्यवस्थायें आज मन्दिरों में हैं उन पर सरकार का नियन्त्रण रहने से भी वही दुर्व्यवस्था रहेगी। समाज जिस प्रकार से मन्दिरों के प्रति जागरूक नहीं है उसी तरह से सरकार के प्रति भी जागरूक नहीं है। माननीय सदस्य मगुदा के है उन्होंने कहा। मैं उनसे वैसे कई बातों में डिफर करता हूँ लेकिन मैंने उनकी एक पुस्तक में पढ़ा था। उन्होंने एक पुस्तक इलेक्शन के बारे में लिखी थी सन् ५२ में लिखी थी उन्होंने शायद वह भूल गए हों। मुझे याद है उसमें उन्होंने एक विदेशी राजनैतिज्ञ के जुमले का उद्धरण किया उसमें लिखा था "When electors are fools those elected are knaves" जब नासमझ चुनते हैं तो बदमाश आदमी चुने जाते हैं। तो मन्दिरों में भी इसी तरह के अयोग्य आदमी आयेंगे तो सरकार में भी आयेंगे। तो एक नासमझ दूसरे नासमझ की कार्यवाही को दुरुस्त नहीं कर सकता। उसका इलाज ही दूसरा है। वह बाद में जाकर ज़िक्र करूंगा। असली इलाज उसका मैं तो समझता हूं सामाजिस जीवन को बलशाली बनाना है आज प्रजातन्त्र को कायम करना है। जो संविधान की दुहाई देते है तो संविधान की बुनियाद में क्या है? हमने एक संविधान बनाया है कि भारत को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाना है ? जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न हो। यानी सारी

(श्री महेन्द्रसिंह पवांर)

शक्ति जिसमें है वह। वास्तव में जो सच्चे मायने में लोकतंत्र हो, सच्चे मायने में गणराज्य है। ऐसा राज्य उस देश में बनाना है। संविधान बनाया है उसी के अनुसार हमारी राजनीति चलती है। उसके अनुसार सारे देश की व्यवस्था उत्पन करना चाहते हैं। उस ओर कदम भी उठा रहे हैं। आप उस लोकतन्त्र जीवन और प्रणाली को कमज़ोर बना रहे हैं। मेरे एक माननीय सदस्य जो नजदीक में मेरे बैठे है उन्होंने अपने विचारों में इशारा किया था। एक सन्यासी की भाषा में उन्होंने कहा। उस सन्यास की भाषा में मैं नहीं कहना चाहता हूं। में तो एक सीधा सादा राजनीतिज्ञ हूँ। आप वास्तव में देश में सच्चा लोकतन्त्र कायम करना चाहते हैं जैसा कि हम सब को चाहिए, क्योंकि संविधान के प्रति हम सब लायल हैं। हमारी आस्था उसमें होनी चाहिए। अगर वह नहीं है तो हम इस देश में रहने के काबिल नहीं है चाहे इधर बैठने वाले हो चाहे उधर बैठने वाले हों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह हमारा राजनैतिक धर्म है कि लोकतन्त्र को मज़बूत करें। जन जीवन को इतना सजग बनायें कि अपनी बातें अपने आप देखे। जनजीवन से अपनी समस्याओं के प्रति जागरुकता पैदा करें। उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की प्रेरणा देना चाहिए। अगर यह नहीं करते हैं तो हम लीडर नहीं है। हमारा यहां का सारा काम बकवास और झूठ है।

मंदिरों की व्यवस्था को सुधारना है। मठाधीशों के इन्तज़ाम में अधिकार पूर्ण प्रभाव पैदा करना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम समाज में जाकर, उनमें आस्था रखने वाले लोगों के अन्दर जागरुकता पैदा करें। यह भावना पैदा करें और कहें कि यह महन्त या मठाधीश इस तरह से अव्यवस्था कर रहे हैं। आप इन पर नज़र रखें और इनके प्रति जागरूक रहें। महात्मा गांधी जिस चीज़ का सत्याग्रह करते थे वह करें। सत्याग्रह केवल अंग्रेजों से लड़ने के काम में नहीं आता था। जनजीवन में हमें सत्याग्रह करना चाहिए। हमें चाहिए कि जितनी भी समाज में खराबियां है सत्याग्रह से निकालें। यह सच्चा प्रजातान्त्रिक तरीका है। इससे हमें जनबल मिलता है और जनबल मिलने से लोकतन्त्र की जड़ें मज़बूत होती हैं। उस वक्त आपको आवश्यकता नहीं होगी कि आप इस तरह से काम करें, क्योंकि जागरूक देश में दुर्व्यवस्था को उत्पन्न करने वाले लोगों से लोगों की रक्षा करने के लिए जागरूक धार्मिक मतदान हो, जागरूक राजनैतिक मतदान हो तो यह नहीं हो सकता है। अशोक का उदाहरण लेता हूं। अशोक ने धार्मिक सुधार किये लेकिन उसने कानून नहीं बनाये। उसने प्रशस्तियां निकाली हैं। ये कोई आदेश नहीं हैं। एक धर्म गुरु धार्मिक जिस तरह से कहता है उसी तरह से रूल्स ऑफ कन्डक्ट को इनीशियेट किया गया है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा है कि इस नियम को नहीं मानेगें तो ५) रू० दण्ड हो गया या १००) रू० जुर्माना होगा। उसके लिए उसने अपने पुत्र और कन्या से कहा कि श्रमण बन जाओ और प्रचार करो। उसने राज्य शक्ति का उपयोग नहीं किया धर्म का काम कराने के लिए। उसने जनता का नेता बनने की कोशिश की। सच्चा सुधारक बनने की कोशिश की। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है और शक्ति का उपयोग करती है तो पुलिस के एक सिपाही

(श्री महेन्द्रसिंह पवांर)

के द्वारा वह कार्य कराना चाहते हैं जो कि एक धर्मगुरु का है। यह एक गलत दृष्टि है। यह जनतन्त्र की जो असली बुनियाद है उसकी जड़ों में हम छाछ डाल रहे हैं। उसको सुखा रहे हैं।

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्रीमन् उसका असली तरीका वह था और हम इस ढंग से करना चाहते हैं। इसमें और दुश्प्रवृत्ति दिखती है।

मुझे मेरे माननीय मित्रों का आग्रह था कि कानूनी ढंग से विधेयक के बारे में बताऊं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। एक चीज़ केवल आर्टीकल २५ के बारे में कहना चाहूंगा। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा २५ भी पढ़ दी। धारा २५ का जो प्रोविज़न रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अन्तर्गत उससे अधिकार सारे आ जाते हैं।

"धार्मिक आचरण से सम्बन्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती है।"

उन्होंने केवल हिन्दी में तर्जुमा कर दिया। कानून की मूल भाषा अंग्रेजी है तो उस ओरीजिनल को देखना चाहिए। उस आर्टीकल को देखिये 'economic undetakings connected with religious institutions.' ये इकोनॉमिक अन्डरटेकिंग का नियन्त्रण करेंगे। तो इकोनॉमिक अन्डरटेकिंग का क्या अर्थ है ? एक शब्द के कोई १० अर्थाथ नहीं होते हैं। बड़े साफ शब्दों में कहा है कि व्यवसायिक कार्य हो तो व्यवसायिक कार्य वह हैं जो कि आमदनी की दृष्टि से दिया जाता है ताकि वह मंदिर के उपयोग में आये। कोई भी आमदनी की दृष्टि से किया हुआ काम, जैसे कि हमने एक मिल लगा दी जैसे कि पुराने जमाने में जागीरें मंदिरों में लगती थीं तो नये जमाने में नई तरह के दान चालू हो गये। एक मिल किसी मंदिर को दे दो कि उसकी आमदनी उस मंदिर में जायगी। तो यह इकोनॉमिक अंडरटेकिंग है, क्योंकि वह मिल मुनाफे के लिए चालू किया गया है। उसका मुनाफा जो आयेगा उससे खर्चे के काम किये जायेंगे economic undertakings connected with religious instituions... अगर मंदिर के अन्दर चढ़ावा आता है केश में तो वह इकोनॉमिक अन्डरटेकिंग नहीं है। आप उसका नियमन नहीं करते हैं तो विधान की धारा की सुरक्षा नहीं रहती है। जो बड़ी बड़ी दलीलें पेश की गई हैं वह केवल दिमागी व्यवस्था है। इसको संयम से सोचना चाहिए। बात करने को कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मुत्तवातिर इसको देखा है। आर्टीकल २६ के अनुसार कहां तक कानून जायज रहेगा, कहां तक जायज नहीं रहेगा, यह एक दूसरी चीज़ है। अपने आप होता रहेगा इन्टरप्रेट। लेकिन एक चीज़ मैंने विशेष देखी। मैंने इसकी स्कीम को ऐनेलाइज़ किया है, लेकिन इसमें दुर्व्यवस्था को रोकने की स्कीम नहीं मिली। आजकल की परिस्थितियों में उसका ठीक इन्टरप्रिटेशन किया जाय तो दुर्व्यवस्था को संरक्षण देने की बात जरुर मिली है। आप ताज्जुब करेंगें किस प्रकार ? मैं आपको बताऊं। इस विधेयक में आपने शक्तियां दी हैं दुर्व्यवस्था के सिलसिले में वह आब्जेक्ट फेल हो जाय तो दूसरी स्कीम

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

बनाते हैं उस सिलसिले में, मिसएप्रोप्रियेशन के कारण नुकसान हो जाय और उसका खमयाज़ा महन्त से वसूल करने के सिलसिले में शक्तियां दी हैं असिस्टेन्ट कमिश्नर को और कुछ कमिश्नर को। वे एन्क्वायरी करके फैसला देते हैं। अल्टीमेटली वह कोर्ट में डिसाइड होता है। तो इस स्कीम में यह है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर यदि इजाजत नहीं दें तो वह मामला कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। अगर कोई कभी मना कर देते हैं तो कोई भी कोर्ट उसको अन्डरटेक नहीं करेगा। हमने सिविल प्रोसीज़र कोड को सेट एसाइड कर दिया है। कहीं कोई दुर्व्यवस्था हो और कोर्ट में ले जाना है और अगर कमिश्नर से पूछा जाता है, अगर उनकी राय हो तो कोर्ट में जाय। अगर उनकी राय नहीं हो तो कोर्ट में नहीं जा सकता है आज इस कानून के अनुसार। तो इस स्कीम का क्या नतीजा होगा कि कोर्ट बिना असिस्टेन्ट कमिश्नर की मन्जूरी के तय नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब एन्क्वायरी करके फिट समझें तो कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट फैसला कर सकती है। अगर कोर्ट देने की इजाज़त नहीं दें तो वह मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है। इस स्कीम का नतीजा यह होगा कि कमिश्नर के हाथ में यदि महन्त पैसों का दुरुपयोग करता है, दुर्व्यवस्था करता है तो मामले को ले जाने के रास्ते को रोक सकता है यह काम उसमें हो सकता है। कोर्ट में ले जाने के अधिकार को बेनिफिशियेरी से छीन लेते हैं और कमिश्नर के हाथ में दे देते हैं तो उसका दुरुपयोग होने वाला है।

फाइनेन्शल पॉवर्स दी हैं कमिश्नर के हाथ में। इस स्कीम के अन्डर में उसको ट्रेजरार बनाया है। एक एक पैसा जो नज़र में आने वाला है वह दिन प्रति दिन के खर्चे के अलावा एक फिक्स्ड जगह में जमा होना चाहिए। दिन प्रतिदिन का कितना खर्चा हो उस खर्चे को हम बान्धते हैं। किसी की बन्धी हुई आमदनी होती है, जैसे कि किसी को ५००) रु० की तनख्वाह मिलती है तो वह एकाउन्ट रखता है कि १२ महीने में इतना मिलता है। मंदिर में एक दिन में कम आये और एक दिन ज्यादा आये इसका कुछ हिसाब नहीं है। अगर कोई महन्त दुर्व्यवस्था करता है तो कमिश्नर उस दुर्व्यवस्था को संरक्षण दे सकता है। कोर्ट में मामले के जाने की इजाजत नहीं दिलाता है तो उसका कोई एकाउन्ट नहीं हो सकता है। तो आजकल की परिस्थितियों का जो नैतिक स्तर है तो सरकार इसमें निश्चय मान ले कि महन्त, कमिश्नर और दफ्तर के स्टाफ की एक लिंक बन जायगी। उसमें रुपये पैसों का बंटवारा होगा और जो कुछ भी हिसाब आयेगा वह सही माना जायगा। कोर्ट में जाने का रास्ता रोका जायगा। ऐसी व्यवस्था है। उसको मिटाने की व्यवस्था नहीं दिखती है बल्कि संरक्षण देने की व्यवस्था कानून देगा ऐसी लोगों की कन्सीव्ड राय है। एक माननीय सदस्य की राय है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय या कहीं ले जाया जाय तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर सोच विचार कर देखें तो इसकी लीगल स्कीम खराब मालूम होती है। वह बिल्कुल इन्डिफेन्सीबल स्कीम है।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने अच्छा फोरमुला रखा, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन अब इतना समय नहीं है फिर भी इसके बारे में कह देना चाहता हूँ....

एक माननीय सदस्य : Let him continue.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I would like to continue. Tomorrow I may be going out of Jaipur.

एक विचारधारा है कि मन्दिरों की व्यवस्था के लिये सरकारी मशीनरी बनादी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकारी मशीनरी खराब है। एक माननीय सदस्य ने जवाब दिया जो ऊपर से देखने में अच्छी दलील है, उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो सरकार को पलट दीजिये। जनतंत्र में सरकार को पलट सकते हैं दूसरी अच्छी सरकार होगी। दलील तो ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूं कि यह आप कौनसी परिपाटी प्रारंभ कर रहे हैं कल मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि धर्म के नाम से क्या क्या अन्याय नहीं हुए हैं। केवल धर्म के नाम पर ही अन्याय नहीं हुए हैं लेकिन फ्रान्स की एक लेडी ने फांसी पर चढ़ते हुए कहा था Oh liberty! What crimes are not committed in thy name! धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, धर्म के नाम पर लोगों के गले कटे है धर्म के नाम पर युद्ध इसलिये हुए हैं कि थियोक्रेटिक आधार पर चलना शूरू किया था। धर्म को राज शक्ति से मिला दिया था। इग्लैंड के बादशाह डिफेन्डर ऑफ दि फेथ कहलाते थे। वे लोग राजनीति और धर्म को एक करके राजनैतिक शक्ति के आधार पर धर्म का नियमन करते थे। इसीलिए युद्ध करना पड़ता था, लोगों को गले कटाने पड़ते थे। तो हमारे इतिहास ने बताया कि धर्म को राजनीति से अलग रखें ताकि धर्म के नाम पर गले नहीं कटाने पड़ें। इसी कारण से सेक्यूलर स्टेट का रूप हमारे यहां रखा गया है। मानव समाज को फिजूल के गले कटाने से रोकने के लिए हमने सेक्यूलर स्टेट कायम किया। धार्मिक सुधारों के लिये सेना का उपयोग न करें यह भी हमारा लक्ष्य रहा है। इस पर भी आप कहते हैं सरकार को पलट दो। आप फिर उसी थियोक्रेटिक रास्ते पर जा रहे हैं। धार्मिक सुधार के लिए राजनैतिक पार्टी को हटाना पड़े, आप किधर जा रहे हैं ? जिस चीज़ को सात शताब्दी पहले संसार ने छोड़ दिया उसी को आप आज वापिस लाना चाहते हैं। सरकार का इस चीज़ की ओर ध्यान दिलाता हुआ मैं आखिर में यही कहूंगा कि यदि हमारी भक्ति और श्रद्धा जनतंत्र की तरफ है तो इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ जन शक्ति के आधार पर मन्दिरों की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन इससे न सिर्फ मन्दिरों की व्यवस्था ठीक होगी बल्कि हमारा सांसारिक जो राजनैतिक मन्दिर है वह भी ठीक होगा। मैं समझता हूँ मेरी इस प्रार्थना पर गौर किया जायगा और इस कानून को लागू करने से पहले अच्छी तरह से इस पर सोच विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 8 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बज कर ५ मिनिट पर गुरूवार दिनांक ३० अप्रेल ५६ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २६ अप्रेल, १६५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ८६२४

पंचायत कोष का दुरुपयोग ।

श्री फतेहसिंह टांटनवा (लोसल) के यहां चोरी का माल बरामद होने के बावजूद माल न लौटाया जाना ।

दौसा से गंगापुर तक बिजली की व्यवस्था ।

बांदी कुई से जयपुर बस रूट ।

नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव ऑफीसर व सैक्रेट्री की योग्यतायें ।

सहकारी विभाग के निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों का फिक्सेशन ।

करौली और हिण्डौन में बिजली की व्यवस्था ।

आबू रोड़ तहसील में गेहूं के खराब बीज का वितरण ।

आर. ए. सी. के सिपाहियों को सुविधाएं ।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा ।

राणीवाड़ा डीसा सड़क के अन्तर्गत आने वाली ज़मीन का मुआवज़ा ।

ग्राम बालुन्दा तहसील मांगरोल के एक कुंए का मुआवज़ा ।

ज़िला गंगानगर में कृषि फार्म ।

सिंचाई विभाग के मज़दूरों को साप्ताहिक छुट्टी ।

एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के कार्यालय ।

वल्लभनगर कॉलोनी कोटा की सड़कें ।

जयपुर शहर में हत्या की घटनाएं ।

बगड़ी सज्जनपुर ग्राम पंचायत का चुनाव ।

सैन्ट्रल मार्केटिंग फेडरेशन ज़िला जयपुर ।

डूंगरपुर विद्युत के विकास हेतु लोकल एडवाइजरी कमेटी ।

अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या निधारित करने का आधार ।

टोंक बस सर्विस ।

दांता से रामगढ़ तक सड़क ।

स्कम्भ

भाकरा जोन में बैटरमेंट लेवी।

भरतपुर ज़िले में ट्राली वाले ट्रैक्टर्स।

सांचोर सीड स्टोर में धान की कमी।

पशु मेला सेवाड़िया व सांचोर में पानी का प्रबंध।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ८६६३

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

१ मेजर फतेहसिंह दिनांक –२४ अप्रैल, १६५६ से सत्र के अन्त तक।

२ श्री महेन्द्रसिंह (६१) दिनांक २७ अप्रैल से २० मई, १६५६ तक।

विधायी कार्य।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ ८६६३

स्कम्भ

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी विचार जारी रहा। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

१ श्री मूलचन्द डागा
२ श्री सम्पतराम जैन
३ श्री नारायणसिंह (मसूदा)
४ श्री रघुवीरसिंह
५ श्री शंकरलाल
६ श्री रामेश्वरदयाल
७ श्री लक्ष्मीचन्द
८ श्री हरिप्रसाद यादव
६ श्री गिरधारीलाल
१० श्री सूबेदारसिंह
११ श्री शिवचरणदास
१२ श्री महेन्द्रसिंह पंवार

गुरुवार दिनांक ३० अप्रैल ५६ की कार्य सूच

१ राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८।

(विचार–विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट 'क' वास्ते उत्तर तारांकित प्रश्न संख्यां १६३ ए० टी० एम०

जो फिक्स्ड हो चुके हैं				जो फिक्स्ड नहीं हुये हैं				जिनको अभी ऐरियर नहीं मिल सकें हैं				विशेष विवरण
१				२				३				४
यूनिफाइड पे स्केल में		रेशनेलाइज्ड पे स्केल में		युनिफाइड पे स्केल में		रेशनेलाइज्ड पे स्केल में		युनीफाइड पे स्केल में		रेशनेलाइज्ड पे स्केल में		
निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	
६२	७६	७३	११५	१६	२१	४४	७०	२	२	६	१८	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७७ का उत्तर देखिये)

THE AREA CULTIVATED YEAR-WISE IS NOTED BELOW:

S. No	Name of Farm.	Name of the year.	Area Cultivated	
1.	Sri-ganganagar	1953-54	137.12	Acres.
		1954-55	141.15	,,
		1955-56	150.42	,,
		1956-57	144.79	,,
		1957-58	197.69	,,
		1958-59	192.80	,,
2.	Sri-Karanpur	1953-54	40.75	,,
		1954-55	38.45	,,
		1955-56	42.10	,,
		1956-57	45.45	,,
		1957-58	50.75	,,
		1958-59	56,87	,,
3.	Padampur	1953-54	55.98	,,
		1954-55	62.16	,,
		1955-56	55.12	,,
		1956-57	68.12	,,
		1957-58	64.37	,,
		1958-59	80.00	,,
4.	Raisinghanagar.	1953-54	44.37	,,
		1954-55	47.12	,,
		1955-56	5.6	,,
		1956-57	51.35	,,
		1957-58	76.87	,,
		1958-59	71.00	,,
5.	Jetsar	1953-54	22.65	,,

परिशिष्ट

1954-55	33.50	,,
1955-56	31.00	,,
1956-57	34.15	,,
1957-58	40.80	,,
1958-59	63.20	,,

———

परिशिष्ट
B

Details of expenditure on account of seed and extra labour is noted year-wise as under:-

Name of farm	Name of year.	Expenditure
Sri-Ganganagar.	1953-54	8,385.66 ,,
	1954-55	5,680.73 ,,
	1955-56	7,952.96 ,,
	1956-57	8,849.48 ,,
	1957-58	7,998.48 ,,
	1958-59	12,196.96 ,,
SriKaranpur.	1953-54	1,233.87 ,,
	1954-55	2,302.82 ,,
	1955-56	916.23 ,,
	1956-57	1,178.42 ,,
	1957-58	963.81 ,,
	1958-59	6,671.89 ,,
Padampur.	1953-54	2,181.12 ,,
	1954-55	2,863.40 ,,
	1955-56	1,057.19 ,,
	1956-57	1,862.69 ,,
	1957-58	1,395.53 ,,
	1958-59	1,096.19 ,,
Raisinghnagar.	1953-54	1,430.31 ,,
	1954-55	2,242.31 ,,
	1955-56	1,489,35 ,,
	1956-57	1,699,47 ,,
	1257-58	1,788.44 ,,

	1958-59	1,324.42	„
Jatsar	1953-54	2,284.82	„
	1954-55	2,274.62	„
	1955-56	1,962.89	„
	1956-57	1,167.64	„
	1957-58	1,415.66	„
	1958-59	1,902.88	„

The statement showing income and expenditures year-wise is given

Name of the Farm.	Year.	Income	Expenditure
Sri Ganganagar	1953-54	13,200.30	31,501.30
	1954-55	57,200.00	38,430.70
	1955-56	54,173.22	38,501.00
	1956-57	53,070.00	42,509.13
	1957-58	11,225.75	33,791.23
	1958-59	51,300.30	39,687.34
Karanpur	1953-54	3,347.85	4,394.64
	1954-55	3,805.83	3,233.42
	1955-56	5,786.17	6,310.31
	1956-57	3,312.01	7,268.11
	1957-58	6,300.68	6,010.12
	1958-59	10,650.75	
Padampur	1953-54	8,200.75	7,343.27
	1954-55	5,740.79	3,728.37
	1955-56	9,365.69	9,789.89
	1956-57	7,000.67	7,322.34
	1957-58	13,359.47	3,665.13
Rai singhnagar	1953-54	4,135.19	6,628.13
	1954-55	5,112.16	7,553.93
	1955-56	5,205.59	10,099.75
	1956-57	9,716.19	13,995.45
	1957-58	9,420.21	13,672.79
	1958-59	7,545.05	11,419.33
Jetsar	1953-54	5,177.94	6,759.83
	1954-55	5,059.72	7,030.62
	1955-56	7,698.80	9,114.75
	1856-57	6,417.02	4,667.41
	1957-58	9,393.65	8,425.53
	1958-59	9,365.80	9,463.01

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ का उत्तर देखिये)

List of Executive Officers & Secretaries appoianted from Jan. 1956 to Dec. 1958 who have passed L. S. G. E.

S. No. 1	Name. 2	Designation. 3
1	Shri Nerendra Singh	Executive Officer.
2	„ Dinesh Chandra	do
3	„ Bachina Ram	do
4	„ Laxman Singh Mehta	do
5	„ Kapoor Chand Jain	Secretary
6	„ Man Mohan Jain	„
7	„ Sagar Mal Dadich	„
8	„ Bux Singh Tanwar	„
9	„ Chiranjilal Tiwari	„
10	„ Gopal Ram	„
11	„ Mahadave Lal. C. Dava	„
12	„ Vishanu Dutt Vyas	„
13	„ Ramesh Kumar	„
14	„ Shri Chand Soni	„
15	„ Brij Kishore	„
16	„ Milap Chand	„
17	„ Faquir Mohammed	„
18	„ Ram Kumar	„
19	„ Ram Saran	„
20	„ Ram Niwas	„
21	„ Pushkar Narain	„
22	„ Sita Ram	„
23	„ Shamhoo Parshad Barthiwal	„

१		२	३
24	,,	Guru Parkash Singh	,,
25	,,	Govind Swaroop	,,
26	,,	Prem Prakash Goyal	,,
27	,,	Gyan Singh	,,
28	,,	Khaluli Rehman	,,
29	,,	Ved Prakash	,,
30	,,	Smander Singh	,,
31	,,	Shri Ram Saxena	,,
32	,,	Raghuvir Singh Rana	,,
33	,,	Bhagwati Lal Mathur	,,
34	,,	Manohar Lal Ojha	,,
35	,,	Bankey Lal	,,
36	,,	Radhey Shyam	,,
37	,,	Vishan Parshad	,,

Executive Officers and Secretries Appointed from Jan. 1956 to December, 1958

S. No. 1		Name 2	Designation. 3
1	Shri	Mangilal Jat	Secretary
2	"	Kapoor Chand Jain	"
3	"	Man Mohan Jain	"
4	"	Madan Gopal Pareek	"
5	"	Sagar Mal Dedich	"
6	"	Bux Singh Tanwar	"
7	"	Vijaindra Singh	"
8	"	Chaturbhuj Shukla	"
9	"	Chiranjilal Tiwari	"
10	"	Raghunath Prashad	"
11	"	Laxman Singh II	"
12	"	Parasmal Jain	"
13	"	Gopal Ram	"
14	"	Roshan Singh	"
15	"	Ram Kumar Singh	"
16	"	Madhav Lal C. Dava	"
17	"	Vishnu Dutt Vyas	"
18	"	Ramesh Kumar	"
19	"	Shri Chand Soni	"
20	"	Brij Kishore	"
21	"	Triloki Nath	"
22	"	Milap Chand	"
23	"	Narandra Singh	Executive Officer
24	"	Suraj Bhan	Secretary
25	"	Dungar Karan	"
26	"	Faquir Mohamed	"
27	"	Ram Kumar	"

1		2	3
28	"	Ram Saran	"
29	"	Mahal Chand	"
30	"	Nami Chand	"
31	"	Dinesh Chand	Executive Officer
32	"	Pushkar Narain	Secretary
33	"	Ram Niwas	"
34	"	Sita Ram	"
35	"	Shamboo Prashad Parthwal	"
36	"	Guru Prakash Singh	"
37	"	Hari Shankar Sharma	"
38	"	Bachina Ram	Exective Officer
39	"	Govind Swaroop	Secretary
40	"	Prem Prashad	"
41	"	Hazari Lal	"
42	"	Prem Prakash Goyal	"
43	"	Gayan Singh	"
44	"	Khaluli Rehaman	"
45	"	Ved Prakah	"
46	"	Samandar Singh	"
47	"	Shri Ram Saxena	"
48	"	Raghubir Singh Rana	"
49	"	Bhagwati Lal	"
50	"	Laxman Singh Mehta	Executive Officer
51	"	Manohar Lal Ojha	Secretary
52	"	Mohabat Singh	"
53	"	Banka Lal	"
54	"	Vijai Kumar	"
55	"	Radehy Shyam	"
56	"	Vishan Prashad	"

शुद्धि-पत्र

(२६ अप्रैल १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८६२८	१८	इसलिए न की	इसलिए न कि
८६३३	१७के पश्चात्	—	प्रश्न संख्या १२६७ श्री अध्यक्ष: श्री दयाकृष्ण विजय (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)
८६३४	अन्तिम	श्री दोलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
८६४०	१६	सिपासियों	सिपाहियों
८६४२	अन्तिम से ६	कर्मचारियों की	कर्मचारियों को
८६४५	५	Fee	feel
८६४८	१८	हस	इस
८६६२	१	(श्री जगदीश प्रसाद गाथुर)	(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)
८६६३	७	raods	roads
८६८२	१२-१३	(श्री नाराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा
८६८४	अन्तिम से ६	श्री पी० के० चौधरी	श्री॰पी० के० चौधरी
८६८६	१४	श्री दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
८६६०सेह२	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर (स्थगित)	तारांकित प्रश्नोत्तर
८६६३	१५	मेजर फतेहसिंह (वि संख्या)	मेजर श्री फतेहसिंह (वि संख्या ४१)
८६६६	अन्तिम से ७	?र्डिंग्ज	वर्डिंग्ज
८६६६	अन्तिम से ६	Areligion	A religion
६०००	अन्तिम से ११	इन्स्टिट्यशन	इन्स्टिट्युशन
६००१	६	तरीका	तरीके
६००१	अन्तिम से ६	विचारधाराए	विचारधाराएं
६००३	३	इन्स्ट्री	इन्डस्ट्री

.१	२	३	४
६००३	१६	इन्डस्ट्री	इन्डस्ट्री
६०१२	अन्तिमसे ५	प्रवधान	प्रावधान
६०१३	३	कोशस	कोन्शस
६०१८	अन्तिम से ४	रोयन कथोलिक	रोमन कैथोलिक
६०२१	,, ,, २	जनत	जनता
,,	अन्तिम	हमका	हमको
६०३७	अन्तिम से ८व १२	एसीस्टेट	एसिस्टेन्ट
६०३६	५	argumuents	arguments
६०४६	४	अनधिकार	अनाधिकार
६०४८	१	श्री उपाध्यक्ष(श्री रामेश्वरदयाल):	श्री उपाध्यक्ष(श्रीरामेश्वरदयाल से):
६०४६	अन्तिम से ३	में	मैं
६०५१	६	नम्रता के साथ मैं	नम्रता के साथ
६०५१	२२	प्रतित	प्रतीत
६०५६	१२	साधुओं	साधुओं
६०६२	अन्तिम से ६	Thet	That
६०६५	१५	माषण	भाषण
६०६५	अन्तिम	trianing	training
६०६६	१४	परों	पेरों
६०७०	२२	परिणत	परिणित
६०७६	२	कान्ति	क्रान्ति
६०८०	४	(श्री सूबेदारसिंह)	(श्री सूबेदारसिंह)
६०८५	अन्तिम से ८	सार्वजनिन	सार्वजनीन
,,	,, ,, ४	विराध से	विरोध में
६०८६	१०	करके	करने
६०८६	अन्तिम से १०	क्यों रावल	क्यों रखना
६०६२	१	(श्री शिवचरणदा)	(श्री शिवचरणदास)
६०६५	७	श्री उपाध्यथ	श्री उपाध्यक्ष
६०६८	७	हिदुन्तत्र	हिन्दुत्व

१	२	३	४
६१०२	अन्तिम से ११	उसना	उतना
६१०५	,, ,, ७	सामाजिस	सामाजिक
६१०६	शीर्षक	६०९६	६१०६
६१०६	अन्तिम से ३	अकिधार	अधिकार
६१०८	,, ,, ५	Undetakings	Undertakings
६१२६	१	Secretries	Secretaries